खण्ड-02 सत्र -02 (भाग-01) / अंक-23 बुधवार 02 दिसम्बर, 2015 / 11 अग्रहायण, 1937 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

द्वितीय सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-02 (भाग-01) में अंक 15 से अंक 25 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

l=&2 Hkkx ¼1½ c/kckj] 02 fnlEcj] 2015@11 vxgk;.k] 1937 ¼'kd½ vad&23

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री रघुविंद्र शौकीन
11. सुश्री राखी बिड़ला
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री आसिम अहमद खान
18. श्री विशेष रवि

19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
23. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री आदर्श शास्त्री
26. श्री गुलाब सिंह
27. श्री कैलाश गहलोत
28. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
29. सुश्री भावना गौड़
30. श्री सुरेन्द्र सिंह
31. श्री विजेन्द्र गर्ग
32. श्री प्रवीण कुमार
33. श्री मदन लाल
34. श्री सोमनाथ भारती
35. श्रीमती प्रमिला टोकस
36. श्री नरेश यादव
37. श्री करतार सिंह तंवर
38. श्री प्रकाश
39. श्री अजय दत्त
40. श्री दिनेश मोहनिया
41. श्री सौरभ भारद्वाज
42. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
43. श्री नारायण दत्त शर्मा
44. श्री अमानतुल्लाह खान
45. श्री राजू धिंगान
46. श्री मनोज कुमार
47. श्री नितिन त्यागी
48. श्री एस.के. बग्गा
49. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
50. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
51. सुश्री सरिता सिंह
52. श्री श्रीदत्त शर्मा
53. चौ. फतेह सिंह
54. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

l=&2 Hkkx ¼1½ c/kokj] 02 fnlEcj] 2015@11 vxgk;.k] 1937 ¼'kd½ vad&23

lnu vijkgu 2-00 ct: leor gvkA

माननीय अध्यक्ष महोदय ¼**Jh jke fuokl xk;y**½ *पीठासीन हुए।*

fo'k"k mYy[k ¼fu;e&280½

v/;{k egkn; % सभी माननीय सदस्यों को अभिनन्दन, स्वागत। विशेष उल्लेख नियम–280 में श्री एस.के. बग्गा जी।

Jh ,-d- cXxk % अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान वैट डिपार्टमैन्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। दिल्ली के व्यापारियों को रिफण्ड के लिए बहुत पेरशान किया जा रहा है। रिफण्ड देने की प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गयी है कि वैट डिपार्टमैन्ट रिफण्ड देना नहीं चाहता। ए.टी.आर. (एक्चूवल टैक्स रिपोर्ट) के नाम से व्यापारियों को रिफण्ड नहीं दिया जा रहा है। इसमें कह रहे हैं कि जिससे माल खरीदा है, उसके पहले आठ स्टेज में वैट नहीं जमा है। इसमें क्रेता का क्या कसूर है? यह ड्यूटी डिपार्टमेन्ट की है कि रिर्टन दाखिल है या नहीं। टैक्स जमा है या नहीं। क्रेता इसके बारे में क्या जानता है? इतने व्यापारी मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं जिनकी ए.टी.आर. नब्बे प्रतिशत से सौ

प्रतिशत तक है। उनको भी रिफण्ड नहीं दिये जाते हैं तथा व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। इससे व्यापारियों में काफी रोष है। वे वैट डिपार्टमेन्ट की कार्यप्रणाली से बहुत परेशान हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके बारे में जांच करायें।

अध्यक्ष महोदय, आपसे भी प्रार्थना है कि वैट डिपार्टमेन्ट से एक सूची मंगवायें तथा पूछे कि रिफण्ड देने के लिए व्यापारियों को क्यों तंग किया जा रहा है? जो व्यापारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको रिफण्ड मिलना चाहिए। हम लोगों ने इलेक्शन में व्यापारियों से वादा किया था कि वैट डिपार्टमेन्ट में आपको तंग नहीं करेंगे। व्यापारी हमसे पूछते हैं तथा शिकायत करते हैं। आपसे पुनः प्रार्थना है कि आप व्यापारियों की समस्याओं का हल करायें। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % श्री अनिल कुमार बाजपेयी जी। अनुपस्थित। श्री वेद प्रकाश जी।

Jh oSn izdk'k % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान बवाना डिपो की तरफ दिलाना चाहता हूं। जो बवाना डिपो 1974 में खुला था, वहां कभी 125 बसें चलती थीं और पचास गांव, लगभग मेरी विधान सभा के आसपास के और पचास–सौ गांव हरियाणा के लगते हैं वहां पर। अब वहां एक सौ पच्चीस बसों में से मात्र केवल सैतीस बसें चलती हैं। न तो बवाना के एरिये में कोई फीडर बस है और न ही मेट्रो है। वहां के लोग बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। ना किसी स्कूल में बसे हैं। जहां एक सौ पच्चीस बसें चलती थीं,

आज मात्र सैतीस बसें रह गयी हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीन सौ बसें मिलेनियम डिपो में खड़ी हुई हैं। जिसके लिए हाईकोर्ट का बार–बार प्रेशर है कि उनको वहां से उठाया जाये। मैं माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, मैं माननीय मंत्री जी, मैं आप से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि उनमें से कुल पचास बसें दे दी जायें तो बवाना के बच्चे भी पढ़ लेंगे और वहां के लोग दिल्ली में ड्यूटी भी करके आ जायेंगे। वहां बहुत बुरा हाल है माननीय मंत्री जी। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं आठ महीने से लगा हुआ हूं जी इस काम पर। मुख्यमंत्री जी से भी मीटिंग कर चुका हूं जी और आपको भी कई लेटर लिख चुका हूं जी लेकिन बसें जो पहले 76 थीं, अब वो 37 रह गयी हैं। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जो तीन सौ लो फ्लोर बसें मिलेनियम डिपो में खड़ी हैं, आप उनमें से मात्र पचास बसें दे दे तो हमारे गांव देहात का कुछ गुजारा हो जायेगा। बच्चे पढ़ जायेंगे अन्यथा जी बहुत ही बिल्कुल विषम परिस्थिति है और मैं पुनः अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि कृपया आप कुछ आश्वासन दें तो मुझे अच्छा लगेगा। माननीय मंत्री जी कुछ कह दो कि अब तक आ जायेंगी, कैसे आ जायेंगी। माननीय मंत्री जी। प्लीज, बुरा हाल है जी।...(व्यवधान)...भाई एक मिनट मुझे बोलने दो कुल 37 बसें बाकी है जी।...(व्यवधान)...कुल 37 बसें हैं जी

एक की सुन लेने दे न भाई एक की। बाद में बाल लियो। प्लीज।

v/;{k egkn; % एक बार वेदप्रकाश जी को अपनी बात कह लेने दीजिए।

Jh on izdk'k % वहां जी, कुल 37 बसें हैं जी और वहां तो कोई फीडर बस नहीं है जी। कुछ भी नहीं है जी। आप बता दो जी कब तक क्या हो जायेगा? क्योंकि आपके पास तीन सौ बसें खड़ीं हैं जी। हाईकोर्ट रोज कहता है उठाओ, उठाओ। मेरे पास जगह है जी रखने की। कुल पचास दे दो जी बस। आठ महीने से मांग रहा हूं जी। हां जी, कब तक कहूं जी गांव के लोगों को जी प्लीज। मंत्री जी। कब तक कहूं जी? नहीं, कहां चल रहा है? 37 बस और उनमें भी सारी डैमेज है जी। तो माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं अपनी बात रखता हूं लेकिन कोई मुझे सान्तवना नहीं दे रहे हैं जी ताकि मैं लोगों को कुछ बता पाऊं। कुछ तो बता देते जी। ठीक है जी। धन्यवाद जी।

v/;{k egksn; % माननीय मंत्री जी। बड़े प्यार से वेद प्रकाश जी ने कहा है बहुत सम्मान से।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % नहीं गुलाब जी। आपका 12वें नम्बर पर है। आया हुआ है। 12वें नम्बर पर है। वो तो देखिये बैलेटिंग है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज बैठिये।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % तोमर जी। अच्छा एक बार बैठिए। प्लीज। तोमर जी प्लीज। देखिए, मैं बता रहा हूं। मैं इस विषय पर एक बार बता रहा हूं। दो मिनट बैठिए प्लीज। बैठो तो सही। देखिए मेरी प्रार्थना ये है कि 280 में हम

10 ले पाते हैं। मैंने फिर भी प्रसन्ना जी से कहा है कि 12–13 तक सूची मुझे दे दिया करो। कोई एक दो मिस होते हैं तो कम से कम 10 को मैं इजाजत दे सकूं और इसकी बैलेटिंग होती है और बैलेटिंग में हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रसन्ना जी के कमरे में होती है वो। वहां नेता विपक्ष के लोग बैठते हैं आकर, ठीक समय पर आते हैं वो...(व्यवधान)...वहां लेट नहीं होते। ...(व्यवधान)...ये चीफ ह्विप भी जाते हैं, बैठते हैं इन्हीं के सामने बैलेटिंग होती है।...(व्यवधान)...चलिये...(व्यवधान)...हां मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। कुछ उत्तर दे दीजिये। उनको...(व्यवधान)...दे देनें दीजिए।

mi e[;e=h % प्यार से बोलने का उत्तर मिल रहा है।

v/;{k egkn; % वैसे 280 में परंपरा नहीं है उत्तर देने की लेकिन वेद प्रकाश जी ने बहुत आग्रह पूर्वक बहुत...(व्यवधान)...हो गई बात हो गई। ...(व्यवधान)...

ifjogu e=h % अध्यक्ष महोदय, अभी वेद प्रकाश जी ने बवाना के डिपो और वहां पर बस की समस्याओं पर बात रखी थी, केवल बवाना की दिक्कत नहीं है। जो भी हमारे ग्रामीण अंचल की विधानसभाएं पड़ती हैं, उन सारे जगहों पर बसों की इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसलिये अभी हम लोगों की कोशिश है कि तेजी के साथ नई बसें आयें। मिलेनियम डिपो की, जिसकी बात अभी आपने कही है, वहां तीन सौ बसें हैं। लेकिन आपको बताऊं की मिलेनियम डिपो एक ऐसा दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक ऐसा ध्रुव है जिसकी अभी हम जद्दोजहद कर रहे हैं, वापिस आ जायें क्योंकि मिलेनियम डिपो खत्म होने के बाद एक हजार बसें जो वहां पर थीं वो खत्म होंगी उसका स्पेस और

उसके जो सेन्ट्रल दिल्ली है, कम से कम आप समझो, 27 विधानसभाओं का आवागमन उससे प्रभावित होने वाला है तो उसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं कि वापिस आ जायें लेकिन वह एक अलग मसला है। ग्रामीण अंचल में बसें आयें अभी अगर इनको इन बसों को एल्टीमेटली मजबूरी में हटाना पड़ता है तो उसमें से हमने पहले भी बवाना में आपने शुरू में रिक्वेस्ट किया था तो दस या बारह बसें उस समय हम शायद बढ़ा पाये थे। वहां पर लेकिन गुलाब भाई के यहां भी दिक्कत है, आपके यहां भी दिक्कत है और जगहों पर भी है। अभी एक हजार नई बसें जिनका टेन्डर हो चुका है और उनका डिपो अभी हम बनाने जा रहे हैं जिसमें एक हजार बसें आते ही हम ग्रामीण क्षेत्र में जो और बसें हैं, उसको डेप्लॉय करेंगे लेकिन अभी तत्काल जो आपने कहा, मैं जरूर बात करता हूं डीटीसी से अगर कुछ बसें अभी जा सकती हैं तो दोनों जगह पर मैं भिजवाने का प्रयास करता हूं।

v/;{k egksn; % राजेन्द्र पाल गौतम जी।

Jh jktUnj iky xkSre % धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने नियम 280 के तहत मुझे बोलने का अवसर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एक बेहद महत्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं। क्योंकि मुझे लगता है ये केवल मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है बल्कि बाहरी दिल्ली के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो सेन्ट्रल दिल्ली से हट के जो एरियाज हैं, खासतौर पर जो बार्डर के ही आसपास के हैं, शायद उन सभी जगह इस तरह की समस्या है। आज देखने में यह आ रहा है कि जितने भी बड़े चौक हैं,

रेड लाईट हैं वहां पर ट्रैफिक पुलिस देखने में नहीं आ रही है और ट्रैफिक पुलिस ना होने की वजह से और हमारे यहां ये तो हम सब एडमिट करेंगे कि लोगों में ट्रैफिक सेंस भी नहीं है, लोग बेतरतीब ड्राईविंग करते हैं और सारे चौक पर जाम लग जाता है। जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र में जीटीबी हॉस्पिटल वाला जो रेड लाईट चौक है, उस पर कभी एक घंटे तक जाम लग जाता है और कई दफा तो ऐसा भी देखने में आया है कि उसी रेड लाईट पर जीटीबी हॉस्पिटल जाने वाले मरीज की इसलिये जान चली गई कि उसको जो आधा एक घंटा जो बहुत महत्वपूर्ण था, उसकी जान बचाने के लिए वो ट्रैफिक जाम में फंस गया। इसी के साथ–साथ ताहिरपुर रेड लाईट, मृगनयी चौक ये कई ऐसे एरियाज हैं मेरे एरिये पर और मुझे लगता है ऐसे दूसरे एरियाज में भी होगा। वहां दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस जब से हमारी सरकार बनी है, उसके बाद अचानक गायब हो गई है। इससे पहले ऐसा नहीं था। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी मात्रा में ये देखने में आया है कि ट्रैफिक पुलिस गायब है और ऐसा लगता है उनकी इच्छाशक्ति नहीं है। जानबूझकर वो लोग नदारद हो गये। शायद उनको ऊपर से कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन हैं ताकि दिल्ली की जनता परेशान हो के दिल्ली सरकार को कोसना शुरू कर दे। गलती दिल्ली पुलिस की। ट्रैफिक पुलिस इन्टैन्शनली केन्द्र के इशारे पर, मैं समझता हूं कि जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि दिल्ली सरकार के बारे में लोग गलत बोलना शुरू कर दें जबकि गलती दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस की है और देखने में एक चीज़ और आई है। दिल्ली हाई कोर्ट का

एक जजमेंट भी आया था अखबार में recent judgement है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने स्पेसिफिकली किया था कि दिल्ली पुलिस यातायात को सुगम बनाने की बजाय रेड लाईट से काफी आगे जाकर खड़ी होती है केवल चालान काटने के लिये और आज ही सुबह की बताता हूं, मुझे देश के बड़ा आश्चर्य और दुख भी हुआ जैसे ही मैं अपने घर से निकला और शास्त्री पार्क रेड लाईट को क्रॉस किया, क्रॉस करने के लगभग सौ मीटर के बाद कम से कम पच्चीस तीस ट्रैफिक पुलिस के जवान और अधिकारी वहां खड़े हो के चालान काट रहे हैं। रेड लाईट पर एक भी नहीं है और इतने आगे जा के पच्चीस तीस, तो ऐसा लगता है जैसे दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस है ये इन्टेन्शनली हमारी सरकार को बदनाम करने के लिये, दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिये ट्रैफिक चौराहो से गायब है। इस पर संज्ञान लेना चाहिये। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि पुलिस कमिश्नर से बात की जाये। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से बात की जाये कि इस और ध्यान दें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % सुखवीर सिंह दलाल जी।

Jh lq[kohj flag nyky % अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपनी मुण्डका विधानसभा का ही नहीं, शायद ये पूरी दिल्ली का ही मसला हो वृद्धा पेंशन, की और आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी विधानसभा से बिलॉग करता हूं जहां कि अस्सी परसेंट जनता गरीब ही है और वहां वृद्धा के लिये पेंशन का एक सहारा पिछली

सरकार ने दिया हुआ था, उसको चालू रखने के लिये मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं। मेरी विधानसभा में पच्चीस सौ, छब्बीस सौ पेंशनों को रोक दिया गया है। सिर्फ ये बहाना लगाकर कि वहां पर वेरिफिकेशन किस तरीके से कराई गई, उसका आज तक भी पता नहीं लगा लेकिन मैंने मंत्रालय से बार–बार आग्रह करने के बाद वहां तीन चार बार कैम्प भी लगवाये। उस कैम्प में वहां का एक दो आदमी गया और वहां मेरे ऑफिस में ही कम से कम 1500 से दो हजार आदमी तक इकट्ठा हो गये लेकिन विभाग कुल 180 आदमी के हिसाब से वो करके ले के आये बाकी के लिये उन्होंने कहा हमें आप इसके जिनके कागज आये हैं, वेरिफाई करके हमें जमा करा दो। मैंने जून के महीने में ही वहां पर 1678 पेंशन के कागज अपने नार्थवेस्ट में जमा कराये लेकिन आज तक उनकी पेन्शन का चालू करना तो क्या जब भी लोग वहां जाते हैं, धक्के खाकर वापिस आ जाते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ऐसा मेरी विधानसभा में ही है, पता नहीं और का भी। अभी ढाई हजार पेंशन के करीब जो हैं, उनको ये कहा गया कि भई काटने के कगार पर है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं इसकी या तो दोबारा जांच कराई जाये और एक और चीज बताना चाह रहा हूं एक क्लर्क या आंगनवाड़ी वर्कर जो वहां चैक करके देता है, उसको तो स्थापित माना जाता है लेकिन एक विधायक कम से कम तीन चार लाख वोटरों से चुन के आया हुआ और वो सत्यापित करके दे मेरे पास रजिस्टर है मैंने जमा भी करा दिया एक सीडी है लेकिन आज तक उसको वो वहां के District Welfare Officers उसको कानूनी नहीं मानते। वो कहते है कि हम दोबारा करायेंगे। मैंने कहा दोबारा भी करा लो इन पर लोगों की पेंशन नहीं कटनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं आपका ध्यान एक और मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार बुजुर्गों पर एहसान नहीं कर रही। ये तो एक उनका होना चाहिये। वो कहते हैं सरकार कहती है कि जिसकी एक लाख रुपये इन्कम से ज्यादा है साठ हजार है मैं मानता हूं एक सत्तर साल का बुजुर्ग आदमी क्या कमा सकता है। मैंने अभी भी सबल परिवारों में ये देखा है जहां बेटा तो कार में चलता है लेकिन मां बाप की कोई परवाह नहीं करता, या तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या उनको पेंशन का मैं अपने गांव में देखता हूं या और इलाके में चर्चा भी नहीं होता उनके पास, उनको एक सरकार ने एक हजार रुपये का अनुदान देकर पेंशन देकर एक इज्जत दी हुई थी लेकिन उसको काटा जा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है और मैं उसी के साथ जब भी हम मंत्रालय में बात करते हैं तो एक कैप का सिस्टम आ जाता है भई साढे चार लाख। मैं कहता हूं पिछली सरकार ने भी जो जो दिया हुआ था वो उसी टाईम चला हुआ था क्या? हम उसको कन्टिन्युएशन में करके भई, ठीक है जो वृद्ध है, उसको थोड़ा सा एक आश्वासन देकर ये काम कर दिया जाये तो मैं समझता हूं सरकार का बहुत ही एहसान होगा उन बुजुर्गों पर और वो सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सकते हैं और आम आदमी यह महसूस कर सके कि मैं दिल्ली की सरकार का एक आम नागरिक हूं वह अपने बच्चों से तो है ही लेकिन सरकार से भी अब एक पेंशन के माध्यम से वह थोड़ा सा महसूस कर रहा था कि आप आदमी की सरकार आई है तो मुझे कुछ राहत मिलेगी लेकिन उसका मुझे लग नहीं रहा। छह, सात, आठ महीने हो गये हैं। हमारी तो कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही और मैं उसी के माध्यम से ये कहता हूं कि दोबारा

इस चीज को किया जाये कि दोबारा या तो पेंशन चालू की जाये क्योंकि मैं कितने दिन तक उनको बहका सकता हूं कि भई इस महीने आ जायेगी, आपकी पेंशन अगले महीने आ जायेगी। लेकिन अभी तक नहीं आई। दूसरा हमें 412 पेंशन दी गई थी मैंने उसी टाईम जब तीन दिन बाद जब मेरे ऑफिस से जब फार्म जमा कराने के लिये गये हैं, वहां लिखा मिलता है कि मुण्डका विधानसभा का कोटा पूरा हो गया है। उसके बाद मैंने सोचा कि सचमुच ये हो गया होगा लेकिन मेरे दफ्तर में उसके बाद भी लोग जबर्दस्ती कराकर ले गये हैं। उनकी पेंशनें जो चालू हो गई हैं लेकिन जिन आदिमियों ने पहले जमा करा रखी थीं, उनकी पेंशनों का उनके पास अता पता भी नहीं है। फार्म भी नहीं हैं। अब ना तो वह रिजैक्शन में है ना वो एस्स्पेटेन्स में है। ऐसे ऑफीसर्स को जो वहां पर कुछ कर देता है, उसकी पेंशन तो चालू हो जाती है लेकिन आम आदमी की पहुंच क्योंकि रोहिणी में बहुत दूर दफ्तर है। मेरी विधानसभा से वहां जा भी नहीं सकता बुजुर्ग आदमी, जाने के लिये उसको कम से कम टैक्सी का भी दौ सौ चार सौ रुपया खर्चा चाहिये जो उसके बच्चे भी नहीं ले जाते और वह उम्मीद करता है।

v/;{k egkn; % दलाल जी कन्क्लूड करिये विषय हो गया पूरा।

Jh l[kohj flg nyky % तो मैं उसी के आग्रह करता हूं इसकी तरफ ध्यान दिया जाये और इन बुजुर्गो की पेंशन चालू की जाये।

v/;{k egkn; % श्री विजेन्द्र गर्ग जी।

Jh fotUn xx% धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मेरा आज का विषय दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बद से बदतर होते हालात के बारे में है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान दिल्ली में लड़कियों, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के प्रति बढ़ते अपराधों की और दिलाना चाहता हूं। सभी जानते हैं कि राजधानी में लड़कियों और महिलाओं के मामले में अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस कदर हैवानियत के मामले देखने सुनने में आ रहे हैं, ऐसी घटनायें हम लोगों के लिए चिन्ताजनक होने के साथ–साथ शर्मनाक भी हैं। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली पुलिस जिसके पास दिल्ली वासियों की सुरक्षा का जिम्मा है, वह इन अपराधों को रोकने के लिये क्या कर रही है? क्या दिल्ली पुलिस के भरोसे दिल्ली वाले चैन की नींद सो पा रहे हैं? अध्यक्ष जी, मुझे तो लगता है कि रात की बात तो बाद में है, लोग तेजी से बढ़ रहे अपराधों एवं अपराधियों के खौफ से दिन में भी भयभीत एवं आशंकित रहते हैं। अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस का केवल और केवल काम अपने आकाओं के लिये धन की उगाही करना रह गया है, ना कि दिल्ली वालों को कानून और व्यवस्था देना रह गया है। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली पुलिस दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाये रखने में असफल सिद्ध हुई है और वह अपने उद्देश्य से भी भटक गई है। दिल्ली पुलिस का शिकंजा अक्सर गरीब, ईमानदार एवं निर्दोष नागरिकों पर कसा जाता है। यहां तक कि दिल्ली के सट्टा बाजार एवं शराब के कारोबार में बच्चों का उपयोग हो रहा है, क्योंकि बच्चों को कानूनन बड़ी सजा नहीं दी जा सकती। यह सब पुलिस की जानकारी में

होता है। अतः अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि दिल्ली को अधिक से अधिक सुरक्षित तथा अपराध एवं अपराधियों से मुक्त कराने की दिशा में यथाशीघ्र ठोस कदम उठायें। मैं चाहूंगा माननीय गृह मंत्री जी इस पर दो लाईन का कोई वक्तव्य दें जिससे की दिल्ली की जनता में एक संदेश जाये। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % श्री महेन्द्र गोयल जी।

Jh egUnz xks;y % धन्यवाद जी, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे एरिया में सात थाने आते हैं। एक थाना के.एन. काटजू मार्ग है। जिसके अंदर आज कानून के नाम से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शराबियों को संरक्षण दिया जाता है, चोरों को संरक्षण दिया जाता है। उनके लिए कोई भी हम शिकायत करें, हम कहते हैं, ''भई यहां पर चोरी हो रही है, उसके खिलाफ एफआईआर बहुत कम हो रही है। मैं आपके माध्यम से एक चीज जानना चाहूंगा कि आप के.एन. काटजू मार्ग का एक रिकार्ड मंगवायें कि यहां पर कितनी चोरी हुई है अभी तक? कितनी चैन स्नेचिंग हुई है? कितनी डकैतियां हुई हैं या कितने मर्डर हुए हैं? एक भी केस मैंने आज तक इन नौ महीने के पीरियड में जितने भी केसों के बारे में बात की है, एक केस भी आज तक सॉल्व नहीं हुआ। यह बहुत ही दुखदायी है। विजेन्द्र गुप्ता जी के पास भी वहां पर फोन जाते होंगे बहुत से लोगों के, क्योंकि ये भी बराबर के एरिये से हैं और भी थानों के अंदर ये पोजीशन है। लेकिन इन थाने की खास तौर पर हालत बहुत बदतर है। इनको शराबियों के बारे में हम कहते हैं कि ये गाड़ियों के अंदर लोग शराब पी रहे हैं कॉलोनी

के अंदर। मोटर साइकिलों को वहीं पर लगा के वहीं पर सरेआम शराब पी जाती है और उनकी जब हम शिकायत करते हैं कि इस गाड़ी वाले का आप चालान करो या इनका आप मैडिकल करवाओ तो एक ही बात कही जाती है यदि इन्होंने शराब नहीं पी तो हरासमेंट का केस आप के ऊपर बनेगा। तो इस पोजीशन में विधायक क्या करे? इस पोजीशन के अंदर तो एक ही बात है कि विधायक फिर हाथ जोड़कर अपने घर पर बैठे रहें। पब्लिक को कहें कि हम आपका काम नहीं कर सकते। आपके माध्यम से मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस प्रस्ताव को संज्ञान में लें और एस एच ओ साहब की या तो ट्रांसफर किया जाये या उनका रवैया सुधारने की बात की जाये। मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है उनसे, मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है कि या तो वो रवैये के अंदर सुधार लाएं या फिर कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो के यहां से चले जायें या फिर ये कह दें कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम पब्लिक से अपना काम करवाने के लिये हमें आप ही इजाजत दे दें। ये जरूर चाहूंगा कि इजाजत मिल जाये तो हम लोग जैसे पहले अपने काम करते थे, हम आम आदमी के जब वालियन्टर थे इससे बहुत बढ़िया काम करते थे। किसी भी थाने के सामने जा के धरना प्रदर्शन कर लेते तो एसएचओ की हवा बहुत ढीली हो जाती थी। डीसीपी की हवा ढीली हो जाती थी लेकिन आज तो इतना हो रहा है कि कोई विधायक यदि शिकायत लेकर उनके दर पर जा रहा है तो इस विधायक को अंदर ठोक दो, यह काम होता है। तो ये आपसे मेरी विनती है, गुजारिश है।

v/;{k egkn; % कन्कलूड कीजिये महेन्द्र जी प्लीज।

Jh egUnz xk;y % और मैं गृहमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इसके

ऊपर यदि प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा है नहीं तो आप बाद में जवाब दे दें। यही मैं चाहूंगा। जय हिंद।

v/;{k egkn; % भई ऐसे दिक्कत हो जायेगी। एक बार 280 मुझे कम्पलीट करने दो प्लीज। सुश्री भावना गौड़ जी, बोलें, इससे पहले ये सदन उनको बधाई दे दे। उनका आज जन्मदिन है।

lJh Hkkouk xkM % शुक्रिया, अध्यक्ष महोदय।

v/;{k egkn; % और मैं प्रसन्ना जी, से प्रार्थना करूंगा माननीय सदस्यों का जब भी, आज आपने याद दिलाया है, जब भी जन्मदिन पड़े तो सूचित कर दें ताकि उनको बधाई दे दी जाये।...(व्यवधान)...मेरा काम बधाई दिलवाना है। ...(व्यवधान)...हां भावना गौड़ जी।

lJh Hkkouk xkM % बड़े भाई बने हैं महेन्द्र जी, तो मिठाई खाना तो आज महेन्द्र जी से ही बनता है फिर तो। शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, जन्मदिन की इतनी सारी शुभकामनाओं के लिये मैं आप सबको ह्रदय से धन्यवाद देती हूं।

अध्यक्ष महोदय, नियम संख्या 280 के तहत मैं अपने इस प्रस्ताव पर ध्यान आदरणीय जल विभाग के मंत्री का मैं उपरोक्त विषय पर अपना ध्यान दिलवाना चाहूंगी।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड की लाईनों के रख रखाव के तरीकों में बहुत बदलाव आया है। कर्मचारी अभी भी अपने पुराने और पारम्परिक औजारों के साथ काम करना चाहते हैं जो अब अव्यावहारिक

एवं असंभव है। दिल्ली की सभी सड़कों और अधिकांश गलियों में मोटी कंकरीट बिछाई जा चुकी है जिसे कुदाल या फावड़े से काटना संभव नहीं है। परिणाम स्वरूप कोई भी लीकेज ठीक करने में अनावश्यक देरी और पानी की बर्बादी होती है बल्कि यह दूषित जल सप्लाई का कारण भी बनता है। विभाग को छोटे छोटे काम के लिये ठेकेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे वित्तीय बोझ भी बढ़ता रहता है। पिछले कुछ वर्षों से विभाग द्वारा स्टोर्स में रोजमर्रा काम में आने वाले सामान को खरीदने या रखने की प्रथा लगभग समाप्त हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, यदि प्रत्येक विधानसभा में आवश्यकता अनुसार आधुनिक उपकरण जैसे जेसीपी, या रोड कटर इन सब चीजों को अगर विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जाये तो ना केवल शिकायतें शीघ्रता से निपटाई जायेंगी बल्कि विभाग वित्तीय खर्च से भी निश्चित तौर पर बचेगा। इसके साथ–साथ मैं एक बात और अध्यक्ष महोदय, जोड़ना चाहूंगी कि हमारी सभी की विधानसभाओं में जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनकी सबकी उम्र लगभग पचास और साठ के बीच में है और इस वद्धा अवस्था के अंदर अगर हम उनको कहते हैं कि कुदाल उठाकर के काम करो या फावड़े से खुदाई करो तो असंभव भी होता है साथ–साथ में हमें भी संकोच भी होता है और शर्म भी महसूस होती है और वो काम जितनी तेजी के साथ में हमें लोगों को रिजल्ट देना होता है, वो हम नहीं दे पाते हैं तो कृपया करके हमारे जल विभाग के मंत्री इस तरफ सोचें। या तो नये कर्मचारियों की भर्ती करें या उन कर्मचारियों को कहां हम एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरफ ध्यान दें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egksn; % विजेन्द्र गुप्ता जी।

Jh fotsUnz xqIrk % उपमुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के आडिट विभाग का मुख्य कार्य सभी लेखा संबंधी कार्यों की जांच–पड़ताल करना होता है। इसका दायित्व दिल्ली सरकार के विभागों के अतिरिक्त इसकी आटोनॉमस वॉडी तथा सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं का आडिट करना भी होता है और कुल इकतालीस हजार करोड़ रुपये का सरकार का बजट है। स्थिति यह है कि 1977–78 में दिल्ली सरकार का कुल बजट एक सौ पैंसठ करोड़ रुपये था और जितनी आडिट की व्यवस्था चालीस साल पहले थी। बारह–तेरह टीम थीं, उतनी ही टीम आज है। स्थिति इतनी भयानक है कि आपके अठारह सौ पन्द्रह करोड़ रुपया वैट विभाग में, यह सीएजी की रिपोर्ट में है कि यह अण्डर असेंसमैन्ट में यह सरकार ने गंवा दिये और उसके कारण क्योंकि मानीटिंरिंग नहीं हो रही है। इसमें जबरदस्त करप्शन भी है। दस हजार करोड़ रुपये का एक पैरा इसमें है, उसमें असेसमैन्ट के केस पेन्डिग पड़े हैं और विद्यालयों की स्थिति यह है कि चालीस साल पहले डेढ़ सौ स्कूल होते थे जिसमें एडिड भी अनएडिड भी और गवर्नमेन्ट के भी स्कूल दिल्ली में थे। आज सिर्फ ग्यारह सौ स्कूल हैं और दस हजार करोड़ रुपये का बजट है 25 प्रतिशत, लेकिन वहां पर अधिकारी नहीं हैं, जो उनको आडिट कर सकें, उनको देख सकें।

अध्यक्ष जी पिछले पांच वर्ष में तीन हजार छः सौ छयासठ करोड़ रुपया अनाधिकृत बस्तियों पर, उनके विकास पर खर्च हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सीएजी ने कहा है कि इसकी कोई मॉनिटरिंग/एकाउन्टिग इसका कोई रख–रखाव नहीं है। वो जो पैसा खर्च हुआ तीन हजार छः सौ छयासठ करोड़ रुपया उसकी एकाउन्टिंग ही नहीं है, उसकी मानिटरिंग नहीं है। सीएजी लिखता है:

Delhi Urban Development Department excepted that there was no monitoring of physical and financial progress of works

जितने काम हुए, सीएजी का ही कमेंट है, डिपार्टमेन्ट एस्सेप्ट कर रहा है कि हमारे पास इसकी मानिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ–साथ डीयूएसआईबी में लगभग expenditure in excess of budget allocation जितना बजट एलोकेट है उससे ज्यादा एक्सपैण्डीचर किया जा रहा है और हुआ है, उसके तमाम तथ्य भी मेरे पास हैं। लेकिन चूंकि आडिट नहीं हो रहा है। एकाउन्टिग को प्रापरली कोई विजुअलाइज नहीं कर रहा है, चालीस हजार केस जैसे मैंने बताया कि पेण्डिग पड़े हैं। 15–15 और 20 साल, मैं यह नहीं कहता कि यह इसकी सरकार में है या उसकी सरकार में है। पन्द्रह, सतरह, अठारह साल से आडिट पैराज पैन्डिग पड़े हैं और होता क्या है कि अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव है कि बीस साल, या पन्द्रह साल का आडिट तीन दिन में पूरा हो सके। तिहाड़ जेल का आडिट नहीं हुआ। अब कहा गया कि तीन दिन में उसका आडिट तो यह खानापूर्ति हो गई। यानि कि हम अगर आडिट पर कन्ट्रोल नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से यह करप्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। आडिट में सीएजी ने अपनी आब्जर्वेशन में कहा कि जब यह इस तरह की irregularities आ रही हैं there is need for the government to improve the internal control system so that occurrence of such cases can be avoided, detected and corrected. अगर सरकार इस पर ध्यान दे और इस विभाग को मजबूत करे अब देखिये, मुझे यह नहीं समझ में आता कि आपके पास पूरा सिस्टम नहीं है, अधिकारी नहीं

हैं। कुल एक सौ पैंसठ करोड़ का बजट था, जैसा मैंने बताया। एक सौ पच्चास आडिट यूनिट थी यानी कि एक सौ पच्चास यूनिट्स का आडिट होता था। आज बाईस सौ आडिट यूनिट्स हैं सरकार की, लेकिन व्यवस्था उसी तरह है। क्यों नहीं इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, वो अपने विभाग में काम क्यों नहीं कर रहे? बाईस सौ यूनिट हैं पूरी सरकार के पास टोटल और इकतालीस हजार करोड़ रुपया जो खर्च होता है। पहले सिर्फ डेढ़ सौ यूनिट का जिसका सिर्फ आपको आडिट करना था। अब आपके पास बाईस सौ हैं लेकिन सिस्टम उतना ही है। इसके साथ–साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि सरकार के जो अपने अधिकारी हैं, एकाउन्टिंग के आडिट के, वो बाहर जाकर काम क्यों कर रहे हैं? यानी कि वो सरकार के महकमे में नहीं हैं। पहले ही आपके पास शार्टेज है। फिर कम से कम दो सौ अधिकारी ऐसे हैं जो डेपुरेशन पर हैं। केन्द्र सरकार में गये हुए हैं। क्यों गये हुए हैं? उनको वापिस बुलाना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। और सरकर को उनको अपने विभाग में तुरन्त अपने काम पर लगाना चाहिए। मैं इसको अति महत्वपूर्ण मामला मानते हुए यह कहना चाहूंगा कि अनाधिकृत बस्तियों का मामला हो, अर्बन डवलेपमेन्ट डिपार्टमेन्ट का मामला हो, अनअथोराइज्ड कालोनीज से जुड़ा हुआ मामला हो और डीयूएसआईबी के अन्दर एक भी एकाउन्ट्स ऑफिसर नहीं हैं। पूरे डीयूएसआईबी डिपार्टमेन्ट में एक भी सैक्शन अधिकारी नहीं है। इस पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मेरा यह अनुरोध है कि बयालीस साल पहले 780 पोस्ट होती थी वो घटकर 680 रह गई हैं। यानि कि 165 करोड़ का जो बजट था वो 780 पोस्ट थी इस विभाग की और अब 41,000 करोड़ बजट है तो मात्र 650 पोस्ट हैं। अध्यक्ष जी, क्योंकि महत्वपूर्ण मामला है, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर

जरूर सदन को विश्वास में लें और हम सरकार से यह अपेक्षा करते हैं, हम यह नहीं कहते कि ये पेन्डेन्सी जो है वो ऑल ऑफ सडन हो गई है ये लोंग पेण्डिग इश्यूज है इस पर सरकार का क्या नजरिया है? सरकार इसके प्रति कितनी संवेदनशील है? सरकार की भावना क्या है और सरकार इसको कैसे दूर करना चाहती है? हम चाहते हैं कि सदन को जरूर इससे अवगत कराया जाये।

v/;{k egkn; % उप मुख्यमंत्री जी।

mi e[;e=h % माननीय अध्यक्ष जी। नेता प्रतिपक्ष के observation से मैं एकदम सहमत हूं और मैं उनको आश्वस्त भी करना चाहता हूं। उनको और सदन के तमाम साथियों को आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि यह इन्होंने वाकई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। सरकर में एक तरफ हम नई–नई योजनायें भी बना रहे हैं, बजट बढ़ा रहे हैं बहुत सारी चीजों पर, उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया। तो सरकार कई तरह की रिर्फोम्स कर रही है जिसमें गर्वनेंस की रिर्फोम्स में देखें तो राइट टु सर्विस लाना, लोकपाल लाना। वो भी एक रिफार्म्स का हिस्सा है, लेकिन ये जो practices हैं, बहुत सारे ऐफिडेविटट्स खत्म किये, बहुत सारे काम करने का तरीका बदला। इसी एकाउन्ट्स रिर्फोम्स और आडिट रिर्फोम्स भी शामिल है। जो पिछले सात–आठ महीने में। मैं उनकी इस बात की तारीफ करता हूं कि उन्होंने बड़ा व्यवहारिक मुद्दा उठाया/ऐसा नहीं है कि सात–आठ महीने में पेन्डेन्सी बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक बात है। आडिट की पूरी प्रक्रिया में कितने लोग लगे हुए हैं? कहां क्यों लगे हुए हैं? कहां बाहर गये हैं? बाहर

क्यों गये हुए हैं? इतने दिनों से जिन चीजों को उठाया गया, उन पर क्या एक्शन हुआ? एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये सब चीजें सरकार के भी संज्ञान में हैं। लेकिन आप ओर संज्ञान में लाये, यह अच्छी बात है डेपुटेशन के कर्मचारी वापिस बुलाये जायें तो मैं सिर्फ आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस पूरी की पूरी आडिट रिर्फोम की प्रक्रिया को बहुत व्यापक कर रहे हैं। एक बार सरकार का पैसा खर्च हुआ और चार लोग आडिट करके सिर्फ तीन दिन में बैठ कर जायें और तीन दिन में भी जो आब्जर्वेशन दें, उस में भी कुछ न हो। पांच–पांच, सात–सात साल सदन में इसको कोई उठा दें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये ठीक नहीं हैं। इससे अच्छा है कि आडिट न ही हो। लगभग–लगभग न होने जैसा ही है। मैं इस बात से सहमत हूं और आपके संज्ञान में भी होगा कि जो कल भी हमने जिस बिल को पास किया, उसमें भी अन एडिड स्कूल्स के आडिट का अलग तरीका, ऐडिड स्कूल्स के आडिट का अलग तरीका, ऐडिड स्कूल्स के लिये भी, मैं खुद शिक्षा मंत्री होने के नाते इसके लिये योजना बनवा रहा हूं कि कैसे हम हर एक सरकारी स्कूल का हर साल आडिट कर सकते हैं क्योंकि वहां तो बहुत कुछ वीकेएस फंड से लेकर तमाम लोगों की वर्क आडिट, फाइनेंस आडिट इन सब चीजों के लिये हम लोग कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और बहुत जल्द इन सब चीजों को यथासमय सदन में लायेंगे। यथासमय इम्पलीमैण्ट करके जनता के माध्यम से भी पहुंचेगे। इसमें मैं सिर्फ सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार का इस ओर ध्यान है।

Jh fotUn xlrk % तमाम अधिकारियों को अगर आप देंगे...

mi e[;e=h % बिल्कुल करेंगे।

Jh fot;Un xIrk % उसमें थोड़ा कम रहेगा, ज्यादा रहेगा। रिपोर्ट सदन के समक्ष जो आज भी स्थिति है, उससे कम्परेटिव करके अभी कितना बेनिफिट दिया जायेगा।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय अभी कुछ टाईम बाउन्ड देना मेरे लिये कुछ, और यह रिर्फोम खुद हमारे ऐजेन्डा का हिस्सा है, ऐसी बात नहीं है।

lJh vydk ykEck % अध्यक्ष जी, सिर्फ एक जानकारी मनीष जी को शायद पता है कि नहीं पता है। चार तारीख को डी यू एस आई बी, स्लम विभाग एक नये रैन बसेरे का उदघाटन करने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो करने जा रहे हैं अध्यक्ष जी, कि एक एप्लीकेशन का उदघाटन भी करने जा रहे हैं। उस एप में ये है कि कोई भी सड़क से अगर गुजरता है और उसे लगता है कि कोई शख्स सड़क पर पड़ा हुआ है उसे सर्दियों के दिनों में रैन बसेरों में पहुंचाने की जरूरत है, उसकी सिर्फ एक तस्वीर खींच कर अगर वो एप के माध्यम से हमें भेज देंगे तो बत्तीस के करीब मार्शल की भी नियुक्ति स्लम विभाग ने की है कि तुरन्त उन्हें उठाकर रैन बसेरों में लाया जायेगा ताकि सर्दियों से यह मौतें न हों। तो मैं इसकी सराहना करती हूं।

Jh lkeukFk Hkkjrh % बहुत–बहुत सराहना की जानी चाहिये। यह बहुत बड़ा कदम है।

v/;{k egkn; % श्री सोमदत्त जी।

Jh lkenÙk % अध्यक्ष महोदय मेरी विधानसभा सदर बाजार में बहुत छोटे–छोटे कटरें हैं और बहुत छोटी–छोटी सी गलियां हैं। इनमें अकसर शाम को अन्धेरा हो जाता है। इसकी वजह से लगातार चोरी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। शाम के समय महिलाओं का निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है। बीएसईएस और टाटा पॉवर को उन खराब स्ट्रीट लाईटों के बारे में जब भी कम्पलेंट करते हैं तो वो अक्सर यह कहते हैं कि हम केवल वही लाईटें ठीक करेंगे जो खम्भों पर लगी हुई हैं। जो भी लाईटें दीवारों पर लगी हैं या कहीं और लगी हैं उनको वो ठीक करने से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि भविष्य में भी वही लाईटें ठीक करेंगे जो सिर्फ खम्भों पर लगेंगी या खम्भों पर लगाई जायेंगी। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है इससे लॉ एण्ड आर्डर की समस्या भी खड़ी होती जा रही है। इसलिये बिजली कम्पनियों को निर्देश दिया जाये जैसे पहले खम्भों पर, दीवारों पर क्योंकि दिल्ली–6 में ऐसा पॉसिबिल नहीं है कि खम्भे लग पायें, इतनी छोटी, इतनी तंग गलियां हैं वहां खम्भे लगाना बिल्कुल सम्भव नहीं है। इसलिये लोगों में इस बात को लेकर निरन्तर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कृपया बिजली कम्पनियों को निर्देश दिया जाये कि पुरानी लगी हुई लाईटों को ठीक किया जाये और उनकी जगह पर नयी लाईटें भी लगाई जायें। वहां खम्भे लगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस कण्डीशन को कृपया वेव करवा दें। धन्यवाद।

Jh tjuly flg % इसमें मंत्री जी एक आश्वासन दे दें।

v/;{k egkn; % जरनैल जी दो मिनट। राजेश जी मैं बात पूरी कर रहा हूं। सिर्फ दो मिनट। जरनैल जी दो मिनट। मैं मंत्री जी से इसे विषय पर अनुरोध कर रहा हूं पिछली सरकारों में किसी भी सभाओं में बीएसईएस ने एमएलए फंड से पार्क में बड़ी हाई मास्ट लाईटें लगा दीं या और पोल लगा दिये। एमएलए फंड से पोल लग गये। आज एमसीडी वाले कहते हैं, जो सोमदत्त जी ने प्रश्न उठाया कि यह एमएलए फंड से लगी हैं। दिल्ली सरकार ठीक करेगी। हम इसको ठीक नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार कहती है, बीएसईएस वाले या जो एमसीडी के पार्क में लगी हैं, जो वो ठीक करेंगी। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है यह हमारी विधानसभा में भी है, लगभग सभी विधायकों की विधानसभा क्षेत्र में है। किसी भी दबाव में वो एमएलए फंड से लग गई, आज वो एमसीडी की जगह पर लग गये, एमसीडी की गलियों में लग गये, पार्कों में लग गये। लेकिन अब वो ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके लिये कुछ थोड़ा सा संज्ञान लेंगे। दूसरा, जो सोमदत्त जी ने बात कही है कि जिन गलियों में नहीं जा सकते थे, उन गलियों में घरों पर वो भी दबाव में लग गये। वो किसी के दबाव में घर पर एक सोडियम लाईट लग गई बाहर गली में। अब उसमें वो एफिडेविट मांगने लग गये हैं, नहीं लगाते हैं तो यह भी एक प्राब्लम खड़ी हो गई है। उसकी लाईटें घरों से उतार लीं और लाईटें खराब हो गईं तो ठीक नहीं कर रहे। उसके लिये कारण क्या दे रहे हैं? कारण दे रहे हैं कि यह उस वक्त यह लाईट लग गई थी अब यह पाया जा रहा है कि घरवाले इसमें से चोरी कर रहे हैं, हम इसलिये हटा रहे हैं। वो रीजन यह देते हैं। मुझे राइटिंग में

रीजन दिया है कि इस का कृपया संज्ञान लें।...(व्यवधान)...मैंने सबकी बात जोड़ दी है।

lJh vydk ykEck % ...(व्यवधान)... विधायक फंड से कोशिश कर लीजिये और मैंने सोचा कि मैं लगवा लूं अध्यक्ष जी दो लाईट का हाई मास्ट लाईट का खर्चा बताया गया सात लाख रुपये। मैं निवेदन करना चाहती हूं। मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा है। इसको प्लीज देख लीजियेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाई मास्ट लाईट लगवाने की, पर एक लाईट साढ़े तीन लाख की और दो सात लाख की लगेंगी तो मुझे लगता है कि हम पर कल कोई उंगली न उठे, सरकार इसको थोड़ा नजर में रखे।

v/;{k egkn; % राजेन्द्र जी, एक मिनट।

Jh jktUnz xkre % अध्यक्ष जी, जिन कॉलोनियों का इलेक्ट्रिफिकेशन है, उनकी प्राब्लम भी यही है कि वहां पर जो लाईट घरों पर लगी हुई हैं, क्योंकि पोल तो वहां है नहीं। न ही अण्डरग्राउण्ड हैं, इसलिये उन कॉलोनियों का भी साल्यूशन होना चाहिए जिससे वहां पर लाईटें लग सकें।

v/;{k egkn; % मैंने विषय रख दिया है। एक बार राजेश जी बोल लें।

Jh jkt'k xIrk % अध्यक्ष जी मैंने इसमें काफी मीटिंग करीं और नार्थ एमसीडी के अन्दर एमसीडी के कमीशनर साहब से भी बात हुई और जितने भी अधिकारी हो सकते थे, सबसे बात हुई एनडीपीएल के साथ में। नार्थ एमसीडी

का यह कहना है कि वो सवा छः करोड़ रुपये डिमांड करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आपने जैसे जिन लाईट्स के बारे में बताया जो खासकर संकरी गलियों में है जो सोमनाथ भाई ने कहा तो वो कहते हैं कि वो अनसेफ वायरिंग है। वह कहते हैं कि पहले जो एमएलए ने लगवाई वो अनसेफ वायरिंग का सवा छः करोड़ रुपये मांगते हैं। एमसीडी यह कहती है कि सिर्फ बेड स्विचेज हैं, इन्हें बदल दिया जाये और हमारे क्षेत्र में टीडीपीएल वो क्लीयर कर चुका है कि जब तक यह पैसे हमें नहीं मिलेंगे, इन लाईट्स को हम चालू नहीं करेंगे। तो आदरणीय मंत्री जी यह मीटिंग कर लें। मैं एक बार उनके संज्ञान में ला चुका हूं। तो आज एक बार फिर से। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % माननीय मंत्री जी। ये तो चर्चा का विषय नहीं है उसकी आदत मत डालिये प्लीज।

Jh jkt:'k _f"k % सर, उसी कनैक्शन में है। सर नौ महीने हो गये हैं। पूरी विधानसभा में एक भी स्ट्रीट लाईट हम नहीं लगा पाये हैं। यह सारे एमएलए की शिकायत है। पहले बीएसईएस ने इशू इन्वाल्ब किया कि एलईडी सरकार लगायेगी उसके बाद करेंगे। अब एलईडी का ईशू लेकर वो कह रहे हैं कि जो इटीसी जो टैक्नीकल कमेटी है, अब दस दिन के बाद करेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नौ महीने हो गये, इस ओर कुछ साल्व कराईये प्लीज।

v/;{k egksn; % मंत्री जी।

LokLF; e=h % अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो सोमदत्त जी ने जो प्लान

बताया है कि जहां पर गलियां बहुत छोटी हैं पुरानी दिल्ली में ऐसी गलियां तीन फीट, चार फीट की गलियां हैं। वहां पर खम्भे नहीं लगाये जा सकते, मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं। पॉसिबल नहीं है और हिन्दुस्तान में ही नहीं, हिन्दुस्तान के बाहर अगर आप जायेंगे तो बहुत सारी कण्ट्रीज में खम्भे न लगाकर घरों के ऊपर लाईटें लगाई जाती हैं। आफिशियल स्ट्रीट लाइट लगती हैं और इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि पीछे किसी भी दबाव में यह कानून बनाया गया कि घरों में लाईट नहीं लगाई जा सकती। सरकार कम्पनियों से बातचीत करके इसको फिर से लागू करेगी। अगर गली में खम्भा लगायेंगे और गली चार फीट की है, खम्भा लग ही नहीं सकता या तो हम यह कहें कि लाईट लगेगी कि नहीं। लाईट तो लगानी पड़ेगी। लाईट लगानी जरूरी है और इसको हम ठीक करेंगे। कम्पनियों से बातचीत करेंगे और इसको सुलझाया जायेगा। जहां तक राजेश जी ने बात की है और आदरणीय सदस्यों ने कि अगर ऐसा कुछ है कि वायरिंग अनसेफ है तो सॉल्व करना पड़ेगा। हम यह जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि यह अनसेफ है, इसको लगा दीजिये। कल को कोई एक्सीडेन्ट होता है तो सरकार उसकी भी मीटिंग करेगी, सॉल्व करेगी और पैसे किसने देने हैं उसको रिजाल्व किया जायेगा। बिना लाईट के दिल्ली के अन्दर काम नहीं चल सकता। गलियां हैं, सड़के हैं तो सरकार कमिटेड है कि जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी गलियां हैं, वहां पर लाईट लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है और मैं सभी सदस्यों से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनके क्षेत्र में अगर कोई भी एरिया ऐसा है, जहां पर लाईट लगाने की जरूरत है और वहां पर अनसेफ एरिया है महिलाओं के लिये खासतौर पर तो

सरकार के संज्ञान में लेकर आये, सरकार सब जगह लाईट लगवायेगी तो यह हमारी जिम्मेदारी है। इसकी चिन्ता किये बिना कि वो किस डिपार्टमेन्ट के अण्डर आता है, एमसीडी के अण्डर आता है या दिल्ली सरकार के अण्डर आता है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने वोट तो सरकार को दिये तो इस बात पर संज्ञान नहीं लेते कि एमसीडी का है तो काम नहीं करेंगे तो दिल्ली सरकार वो लगवा कर देगी और जितनी लाईटें खराब भी हैं, उसकी जिम्मेदारी भी दिल्ली सरकार अपने ऊपर लेती है। सबको ठीक कराने की जिम्मेदारी हम लेंगे, किसी से भी ठीक करवायें, हम करवायेंगे। सभी विधायक आप हमें बताइये कि समस्या आपको भी पता है कि मल्टिप्लीसिटी ऑफ अथारिटी है। पैसा खर्च करने के लिये सरकार तैयार है, हम करेंगे। अगर हम इस चक्कर में पड़े रहें कि नहीं जी, यह तो एमसीडी का एरिया आता है, यह डीडीए का एरिया आता है तो वह शायद सॉल्व नहीं हो पायेगा और समस्या खत्म नहीं हो पायेगी। अब सदन खत्म होने के बाद मैं सदस्यों के साथ अलग से मीटिंग भी करूंगा और कम्पनियों को बुलाकर इस चीज को सॉल्व किया जायेगा। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % धन्यवाद। देखो ऐसे नहीं, प्लीज। अभी एक बार मुझे ये पूरा कर लेने दीजिये। 280 मुझे पूरा कर लेने दीजिए, प्लीज। अभी आदर्श शास्त्री जो उपस्थित नहीं है, श्री गुलाब सिंह जी। आपका विषय तो हो लिया, मंत्री जी ने जवाब भी दे दिया। आपका नाम लेकर जवाब दिया है।

Jh xqykc flag % अध्यक्ष जी, मामला ये नहीं है कि 9 महीने हो गए, बस नहीं चली, सौ दिक्कतें हो सकती हैं सरकार की। वो शेयर करनी चाहिए।

एक तो भई मामला कहां फंसा हुआ है। एमटीए के मैम्बर है, हमें ही नहीं पता कि क्या चल रहा है तो थोड़ा बताएं इस विषय में, एक दिन मीटिंग बुला ले, क्योंकि हम ये कह रहे हैं गांव में भई छः महीने और रुक जाओ। नई बसें आ रही हैं, छः महीने और रुक जाओ नई बसें आ रही हैं। दूसरा ये है कि नई बसें तो तब आएंगी ना कि जब वहां पर सीएनजी की लाईन होगी। मंत्री जी के संज्ञान में है, मैंने एक विजिट वहां पर कराया आईजीएल वालों का। उन्होंने कहा कि अगर पांच सौ बस आ रही हैं तो डीटीसी लिख के दे या फिर कलेस्टर लिखकर दे ताकि हम अभी से अपना काम शुरू कर दें भई छः महीने बाद हम आपको इतनी बसों का बिजनिस आपको यहां पर देंगे तो उसके ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा है। मेरी उन आफीसर्स से बात हो रही है जी। अभी हम कुछ इसमें कहने की स्थिति में नहीं है, उसमें निर्णय पर नहीं पहुंचे, यानी कि इतने काम है। मैं मानता हूं। मान लो चार महीने बाद नई बस आ गई। वो बसें फिर भी चलेंगी कैसे? जब वहां पर सीएनजी उपलब्ध नहीं होगी? तो ये सारे मामले ऐसे हैं और दस महीने हो गए, चलिए छोड़िए, वहां पर बसें नहीं जा रही है मिलेनियम डिपो की, बिल्कुल जेन्युइन बात मंत्री जी ने बताई। लेकिन कुछ बसों के रूट है, वो एक्स्टेण्ड कराने है या फिर कुछ रूट बंद हो रखे हैं। तीन–चार–पांच रूटों की बात कर रहा हूं, मैं कोई सौ–पचास बस की बात नहीं कर रहा हूं पहले। क्योंकि मैंने भी अपनी सोच वैसी ही बना ली है कि सरकार अभी नहीं कर पा रही है तो थोड़ा कम पर आ जाओ तो पांच–छः बसों का ही इन्तजाम कर दें। बार–बार, बार–बार कहने पर भी वो काम नहीं हो पा रहे हैं। अधिकारियों को, मैं चाहता नहीं हूं मंत्री जी को बार–बार परेशान

करूं। मैं अधिकारियों के पास जा–जाकर खूब कह चुका, डेलीगेशन इनके पास लेकर आए गांव के बुजुर्ग लोग, लेकिन उसके बाद नहीं होता फिर क्या करें? एक विधायक से वहां पर सुबह रोजाना घर पर आ जाते हैं, मतलब इतनी बेइज्जती महसूस होती है हमें, कैसा–कैसा सुनना पड़ रहा है उनसे। तो ये दो–चार–पांच बसों का ही वो कर दे शुरू में, बस यही मुझे कहना है।

v/;{k egksn; % ठीक है, धन्यवाद, हां।

Jh ukjk;.k nÙk 'kekZ % अध्यक्ष जी, जो चैन्नई के अंदर अभी जो एक भयानक स्थिति बनी हुई है बरसात की वजह से। सैकड़ों–सैकड़ों के हिसाब से जानें गई हैं। जान–माल का नुकसान हुआ है। हजारों लोग स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, वहां से बाहर निकलने के लिए। मैं सदन के माध्यम से वहां के सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लोग उनकी इस तकलीफ में उनके साथ है, लेकिन वहां से निकालने के लिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं है तो मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, सैंट्रल गवर्नमेंट को लिखे कि वहां जितनी जल्दी हो सके, आने वाले टाइम में वहां भोजन की भी कमी पड़ेगी। क्योंकि बाढ़ आई हुई है और जितनी जल्दी हो सके, जो एयरपोर्ट पर 24 घंटे से कोई भी विमान लैंड नहीं किया है, स्टेशनों पर लाखों की तादाद में लोग पड़े हुए हैं तो उनको निकालने के लिए सैंट्रल गर्वनमेंट जल्दी से कोशिश करे और उन लोगों को राहत दे जो चौबीस घंटे से उस बारिश में भीग रहे हैं। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

v/;{k egksn; % ठीक है, शर्मा जी बैठिए।

...(व्यवधान)...

Jh lkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, पिछले एक डेढ़ महीने से करीब–करीब चैन्नई के अंदर, तमिनलाडु के अंदर एक कडलोर नाम की डिस्ट्रिक्ट है, वहां ऐसी बड़ी आपदा आई हुई है जो बारिश से, रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि सौ साल के अंदर ऐसी बारिश कभी नहीं हुई वहां पर।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % राजेश जी, आप बैठ जाइये, प्लीज। नितिन जी बैठिए। नहीं अब हो गई आपकी बात। नहीं ऐसे नहीं।

Jh lkeukFk Hkkjrh % ऐसी बारिश और साइक्लोन, इन दोनों के कारण जो ये प्राकृतिक आपदा तमिलनाडु में आई है, पांडुचेरी में आई है, इस प्राकृतिक आपदा के साइज को देखते हुए मैं सदन से आपके जरिए गुजारिश करूंगा कि सैंट्रल गवर्नमेंट को कहा जाए कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। वहां पर करीब–करीब ढाई सौ से तीन सौ लोगों की जानें गई हैं और कई हजारों करोड़ की प्रोपर्टी का नुकसान हुआ है। आज बहुत बड़ी आपदा वहां पर आई हुई है तो आपके जरिए मैं सदन से गुजारिश करूंगा कि इस मामले को माननीय प्रधानमंत्री को कहा जाए कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें और वहां पर जितना कुछ बन सके हमसे, हम भी वहां पर कर सके। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % नितिन जी, दो मिनट, दो मिनट सिर्फ। आपका आया हुआ है। मैं अभी कॉल करता हूं, दो मिनट बैठिए, प्लीज। बाजपेयी जी, जल्दी, बहुत संक्षेप में कर दीजिए, उसमें भाषण ना हो।

Jh vfuy dqekj cktis;h % सर, मैं आपका ध्यान गांधी नगर में ई डी एम सी द्वारा चलाई जा रही सीलिंग की ओर दिलाना चाहता हूं। गांधी नगर एशिया की रेडिमेड मार्केट्स की विगेस्ट मार्केट है, आए दिन वहां पर छापे मारे जा रहे हैं और कन्वर्जन के नाम पर दुकानदारों को भयभीत किया जा रहा है और उनकी सीलिंग की जा रही है। आज भी मेरी विधान सभा क्षेत्र में वहां सीलिंग हो रही है, मैं भी वहां से अभी आया हूं जबकि डिप्टी कमीश्नर से मेरी बात हुई थी। मैंने तीन कैंप वहां पर लगाए थे और करोड़ों रुपये का राजस्व भी मैंने ईडीएमसी को उसमें दिलवाया था और उसके बावजूद भी वो लोग सीलिंग कर रहे हैं। व्यापारी कहां जाए? सर, मैं चाहता हूं आपके शाहदरा विधान सभा में सीलिंग हुई, विश्वास नगर में सीलिंग हुई और जिस तरीके से व्यापारियों को धमकाया जा रहा है, आए दिन तीसरे–चौथे दिन वहां लोग सीलिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। व्यापारी वहां आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। किसी दिन बड़ी घटना हो जाएगी, इसकी जवाबदेही किसकी है? मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

v/;{k egkn; % श्री अजय दत्त जी, प्लीज। बहुत संक्षेप में।

Jh vt; nÙk % धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, हमें आज नौ महीने के आस–पास हो गए है हमारी गर्वमैंट को चलते हुए और to correct myself it is ten months now हम लोग दिल्ली में एक शासन चला रहे है, जहां पर पुलिस और एमसीडी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, निभाती थी। I should say, आज की ये स्थिति है कि स्पेशियली दिल्ली पुलिस, दिल्ली में अपने सारे काम छोड़कर, हमें नहीं पता किन कामों में लगी हुई है। रिश्वत लेने का अगर नाम आए तो उन्होंने आज रेहडी–पटरी वालों से, पूरी दिल्ली में उनके रिश्वत के दाम दुगने हो गए हैं। जैसे हमारे दूसरे माननीय सदस्य ने बताया कि अगर कोई एफआईआर करने जाए, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती अगर किसी ने झगड़ा कर लिया, दो पार्टियों ने और अगर कोई माननीय सदस्य फोन करता है कि भई इनका झगड़ा निपटा दिया जाए तो उनसे पैसे मांगे जाते है और अगर उन्हें पता चले कि ये हमारी पार्टी से ताल्लुक रखता है तो उनको ह्रासमैन्ट किया जाता है, उनके ऊपर और दफाएं लगाई जाती हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। मेरे क्षेत्र में आज से दस महीने पहले और पीछे ऐसी घटनाएं कम होती थी। इस दस महीने के करीबन चार–पांच बार वहां पर मर्डर हो चुके है, गैंगवार हो चुकी हैं, चाकू–छुरी की घटनाएं रोज होती है और हम जैसे सदस्यों को भी आज वहां पर घूमते हुए डर लगता है कि हम क्या करें। जब दिल्ली पुलिस को ये बताया जाता है कि आप आए, हमें बचाएं, या इन प्राब्लम्स को सॉल्ब करें तो कोई नहीं आता।....

v/;{k egkn; % कन्क्लूड करे।

Jh vt; nÙk % तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, हमारे क्षेत्र के डीसीपी को लिखें कि आपकी पुलिस क्यों व्यवस्था को ठीक नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और जोर देकर कहता हूं कि जो ट्रैफिक पुलिस का रवैया आज दिल्ली में चल रहा है, वो सिर्फ ट्रैफिक को ज्यादा से ज्यादा उसमें प्राब्लम देने के लिए और काम करने के लिए नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है और इस विषय में...

v/;{k egkn; % इसको कन्क्लूड करिए, प्लीज।

Jh vt; nÙk % अध्यक्ष महोदय मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस विषय को आप बहुत ही तन्मयता से और एक सीरीयस विषय के रूप में इसको लें, जिससे कि दिल्ली पुलिस की जवाबदेही, दिल्ली की सरकार के प्रति बने।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % भई, देखो ऐसा नहीं....

Jh vt; nÙk % मैं मेरी बात खत्म नहीं हुई है अध्यक्ष महोदय। एक मिनट। अध्यक्ष महोदय...

v/;{k egkn; % मैं उस पर नियम कुछ निकाल रहा हूं, करूंगा उस विषय पर।

Jh vt; nÙk % अध्यक्ष महोदय, एक मेरा लास्ट प्वाइंट है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा...

v/;{k egkn; % नहीं, अब बैठ जाइये।

Jh vtn nÙk % जैसे अरविंद जी ने कहा था कि दिल्ली पुलिस हमें एक साल के लिए दे दीजिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सैंट्रल गवर्मेन्ट को, दुबारा बताइये, एक साल के लिए दिल्ली पुलिस हमें दे दीजिए, हम दिल्ली की व्यवस्था बदल देंगे, धन्यवाद।

v/;{k egkn; % चलिए, एक सैकेंड।....

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % दो मिनट रुकिए। भई तोमर जी, दो मिनट रुकिए, मैं माननीय सदस्यों से, राजेश जी, बैठ जाइये, नहीं ऐसा तो सारा समय मेरा बीत जाएगा। सारा बिजनिस रह जाएगा। नहीं प्लीज, बैठिए।...

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % बोलिए तोमर जी, आप बोलिए।....

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % भई कितने लूंगा मैं 280 में? ये 16 ले चुका हूं। एक सैकेंड, एक बार देखिए, प्लीज।

Jh _rjkt xkfoUn % साढ़े सोलह सौ unauthorized कॉलोनी का....

v/;{k egkn; % आप लिखकर दीजिए मुझे, आप लिखकर अभी दे दीजिएगा मुझे। आप अलग से लिखकर दे दीजिए, मोस्ट अर्जेण्ट में आप लिखकर दे दीजिए।

Jh ftrUn flg rkej % अध्यक्ष जी, मैं पिछले चार दिन से लगातार क्वैश्चन लगा रहा हूं, मुझे आप एक–दो मिनट का मौका दीजिए,...

v/;{k egkn; % तोमर जी...

Jh ftrUn flg rkej % बहुत इम्पोर्टेण्ट मैटर है, प्लीज।

v/;{k egkn; % जल्दी कर दीजिए, तोमर जी।

Jh ftrUn flg rkej % हां, मैं दो मिनट में खत्म करता हूं।

v/;{k egkn; % भई बैठ जाइये, सब लोग।

Jh ftrUn flg rkej % सर, दो मिनट में खत्म कर रहा हूं अपनी बात को, बहुत इम्पोर्टेण्ट मैटर है प्रिविलेज का मैटर है अध्यक्ष जी। मेरी त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में शकुरपुर जै.जै. कालोनी है जो 1975 में बसी थी, उसमें करीब सात हजार मकान हैं और उसी कालोनी के बिल्कुल साथ बराबर पर डीएसआईडीसी ने कुछ शेड्स एलाट किए थे, 1975 में। उसकी जो बाउंडरी वाल बनी थी, वो 40 साल पहले बनी थी और वो 6 इंच की दीवार, 4 इंच की दीवार थी बिना किसी कोलम के। पिछले डेढ़ साल पहले सर्दियों में 2013 की दिसंबर

की बात है शायद, करीब 40% दीवार उसकी गिर गई और तीन लोग उसके नीचे बैठे हुए थे जो धूप ले रहे थे, उसमें एक बुजुर्ग की डेथ हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद जब हमारी सरकार बनी तब से मैं लगातार प्रयास करता रहा कि वो दीवार बन जाए, डीएसआईडीसी से संपर्क किया मैंने, तमाम लोगों से संपर्क किया, बहुत सारी प्रक्रिया उसकी पूरी हो गई। एस्टिमेट बन गया, एस्टिमेट सैक्शन हो गया, इसी दौरान अभी करीब डेढ़ महीने पहले जो वहां पर सुपरिडेंट इंजीनियर है थे, उनका ट्रांसफर हो गया और नए एसई आ गए है वहां सुपरिडेंट इंजीनियर मिस्टर के.के. बंसल, उन्होंने ये लिखकर उस फाइल को वापस कर दिया कि ये पूरी बनाने की जरूरत नहीं है, इसको रिपेयर कर दिया जाएगा। 40 साल पहले बनी हुई दीवार है अध्यक्ष जी, जिसमें कोई कॉलम नहीं और साढ़े सात फुट ऊंची दीवार, क्या उसको रिपेयर किया जा सकता है? जब मैंने चीफ इंजीनियर से बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे है आप और ये दीवार पूरी बनेगी और उन्होंने फाइल पर कमेंट लिखकर भेजा कि इस दीवार को पूरा बना दिया जाये। उसके बाद भी क्योंकि वो सुपरिडेंट इंजीनियर की पावर में आता है, एनआईटी करना उसका, टेंडर होना, उन्होंने उसको वापस कर दिया। जब मैंने मिस्टर के.के. बंसल एसई से बात की तो उनका व्यवहार बहुत ही बुरा था।...

v/;{k egksn; % तोमर जी, कन्क्लूड करिए।

Jh ftrUnz flag rksej % ये प्रिविलेज का मैटर है, सर। मैं मांग करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत विधायकों को देखा है, आप मुझे धमकी

दे रहे है। ये मैं जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा, मैं इंजीनियर हूं, ये सब बातें उन्होंने की है। मैं आपसे मांग करता हूं सर, कि इस मैटर को पहले प्रिविलेज कमेटी को दिया जाए और सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि उस एसई का तुरंत ट्रांसफर किया जाए और उस दीवार को बनवाया जाए, बहुत जरूरत है उसकी, सर।....

v/;{k egkn; % तोमर जी, ये मैटर मुझे लिखकर दे दीजिए।

Jh ftrUnz flag rksej % सर, मैं लिखकर लाया था क्वेश्चन उठा रहा हूं लेकिन मेरा आ नहीं था चार दिन से....

v/;{k egkn; % आपने जो बोला है, वो भी आ जाएगा रिकार्ड में, एक बार मुझे लिखकर भी दीजिए।

Jh ftrUnz flag rksej % मैं देता हूं, सर आपको। thank you very much सर, thank you.

fo'ks"kkf/kdkj guu o voekuuk dh lpuk,a

v/;{k egkn; % धन्यवाद। एक breach of privilege मुझे नितिन जी से प्राप्त हुआ है this is to bring to your kind attention that hon'ble member Shri Pankaj Pushkar yesterday on 01.12.2015 in the Assembly premises made a false statement before the madia and he alleged that I have been threatening him with life since 25th Nov., 2015 नीतिन जी रखिए, आप अपना विषय, क्या रखना चाह रहे है।

Jh fufru R;kxh % अध्यक्ष महोदय, ये आज के दैनिक जागरण की

कापी है, इसमें लिखा है, निकला तो सभी में है पर एक आपको पढ़कर बता देता हूं कि आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर ने अपनी पार्टी के विधायक नितिन त्यागी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कापी है, सर। इसमें भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सभी अखबारों में कुछ न कुछ लिखा है। कल सारे चैनल्स पर चला, लगातार चला है। दिल्ली आज तक पर तो घंटों तक पीछे कैपश्न चलता रहा कि पंकज पुष्कर को कई दिन से धमकी मिल रही है और धमकी का आरोप एमएलए नितिन त्यागी के ऊपर है। सर, हमारी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमने सड़कों पर डंडे खाए हैं पुलिस के, गालियां खाई है उन लोगों की जो आज विपक्ष में बैठे हैं और जो लोग आज विपक्ष में नहीं है, उनकी भी, जो कही नहीं है उनकी भी। आंसू गैस झेली, साथ में कई बार डिटेन हुए हैं। सर, हमने कभी किसी को पलटकर गाली तक नहीं दी, धमकी देना तो बहुत दूर की बात है। हम वहां से नहीं आते, उस संस्कार से नहीं आते, ना हमारी पार्टी उस संस्कार से आती है कि हम इस तरीके की हरकतें करें। इस तरह के इल्जाम लगाना, झूठे आक्षेप लगाना, ये किस तरीके की राजनीति है? सर, मैं आदर करता हूं विजेन्द्र जी बैठे है, प्रधान जी बैठे है, ओम प्रकाश शर्मा जी, अभी यहां पर नहीं है, ओम प्रकाश जी का भी, यहां पर गर्मा–गर्मी जरूर होती है पर बाहर हमेशा भाई–चारे की तरह से मिलते है, आदर करता हूं। वो हमेशा अपने दल की बात को उठाते है और पूरी जोर से उठाते हैं। आज छोटा सा विपक्ष ही सही पर विजेन्द्र गुप्ताजी पूरा एफर्ट करते है अपनी बात रखने का, सम्मान करता हूं इस बात का। पर ये कैसे सज्जन है, ये कैसे सैनिक हैं इस

दल के, जो अपने हथियार बेचने के लिए निकले है, ये कैसे सैनिक है जो अपने सेनापति को मरवाना चाहते है? ये पूरे के पूरे दल को गिराना चाहते है, इस तरीके की, ये कैसी महत्वकांक्षा है, सर? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से पंकज जी से पूछना चाहता हूं। उन्होंने जब ये बयान दिया मीडिया में और पूरे मीडिया में चला तो क्या उन्होंने सोचा कि नितिन त्यागी का एक परिवार भी है, मेरे बूढ़े मां–बाप भी है, जिनसे आज लोग पूछ रहे है कि भई तेरे बेटे ने धमकी दे दी, क्यूं दे दी? मेरे बच्चों से उनके स्कूल के स्टूडेंट्स, उनके सहपाठी पूछ रहे है कि भई, तुम्हारे पापा ने किसको धमकी दे दी, मेरी बीबी से पूछ रहे है। आज तक कोई कंपलेंट मेरे खिलाफ किसी पुलिस थाने में नहीं हुई, टिल डेट ना सिर्फ यहां, मैं लक्ष्मी नगर का विधायक हूं। ये पूरा मीडिया में जो चला रहा था कल इस खबर को और जिन्होंने आज ये छापा है सभी अखबारों ने, मैं आप सबका स्वागत करता हूं लक्ष्मी नगर में, लक्ष्मी नगर की एक–एक गली में जाकर पूछिए, कभी किसी से ऊंची आवाज में भी मैंने बात की हो। कल यहां से निकले, कल यहां पर पंकज जी ने बोला, आपसे बातचीत हुई, उन्होंने नाम नहीं लिया, मुझे नहीं पता, मैंने उनसे, पंकज जी से यहां पर पूछा, पंकज भाई किसके आपने साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने मुस्करा कर बोला पता चल जाएगा। मैं बाहर निकला तो मीडिया ने मुझसे पूछा कि आपके ऊपर धमकी का आरोप लगाया है पंकज पुष्कर जी ने। पंकज पुष्कर जी मेरे भाई की तरह है, साथ में काम किया है साथ में चुनाव लड़ा है। जिस विधान सभा से आते है तिमारपुर से, वहां का मैं डिस्ट्रिक इंचार्ज था। बहुत सपोर्ट किया है। उनसे मैंने यहां तक कहा है कि कभी ऐसी कोई परेशानी हो

आप मुझे बताइये, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा पर इस तरीके का आरोप, किस तरीके की राजनीति से प्रेरित है, सर? क्या ये वो राजनीतिक कीचड़ है जिस पर पत्थर भी उछाल लेंगे तो अपने ऊपर ही कीचड़ आकर पड़ेगी? ये किस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत है, सर? बहुत traumatized फील कर रहा हूं। सर, अपने बच्चों की आंखों में भी आंसू देखे। सर, मेरे माता–पिता आजकल कलकत्ता गए हुए है, वहां से उनके बहुत चिंतित होकर फोन आए। बहुत परेशान हुआ सर, इस चीज को लेकर। सर, इस तरीके का आरोप कि मैंने इस सभा के अंदर उनको धमकी दी, यहां लॉज में धमकी दी, इस विधान सभा के परिसर में उनको धमकी दी, अलग–अलग जगह पर धमकी दे रहा हूं। सर, इसकी आप एक बार जांच करवाइये। मैं हर जांच में बैठने को तैयार हूं। कहीं तो कुछ निकले। अगर नहीं निकलता है तो उस पे उनकी क्या सजा होगी, इस तरीके की बात करना, ये मान–हानि का भी मुकदमा बनता है, सर। पूरा केस है, सर मान–हानि का। किसी भी इंसान के स्वाभिमान के साथ आप कैसे खेल सकते है? इतना घमंड है उनको अगर जीतने का तो एक बार पार्टी छोड़ दें, फिर लड़कर दिखा दें। आत्मा की सुन ले, कल आत्मा की बात कर रहे थे, पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे हर चीज में। कोई बात नहीं, वो आपकी सोच हो सकती है। आपकी मनःस्थिति हो सकती है। हमारे में मतभेद हो सकते है पर ऐसा कौन सा भेद है कि आप मुझ पर ऐसा आक्षेप लगा रहे है। हिंदुस्तान में, हमारे इस देश भारत में हर सैनिक दूसरे की सेना के सैनिक का भी सम्मान करता है पर फिर पूछता हूं कि भाई तुम कौन से सैनिक हो जो अपने हथियार बेचकर आए हो?

v/;{k egkn; % नितिन जी, आप मुझसे इधर मुंह करके बात कर लीजिए, प्लीज।

Jh fufru R;kxh % सर, मुझे साफ–साफ ऐसा महसूस होता है....

v/;{k egkn; % कन्क्लूड करिए, प्लीज।

Jh fufru R;kxh % कि ये मेरे प्रिविलेज का ब्रीच है और आपसे अनुरोध कराता हूं हाथ जोड़कर, करबद्ध प्रार्थना है, सर इसको आप प्रिविलेज कमेटी में डालें। इसके ऊपर आप संज्ञान ले रहे है? आप इस पर क्या कार्रवाई करने वाले है? आप प्लीज इसके बारे में मुझे बताइये। क्योंकि जिस तरह से मीडिया ने कल मेरे नाम, सर पूरे नाम की धज्जियां उड़ाई है, सर। सर, बहुत आहत महसूस कर रहा हूं। आप प्लीज इस का संज्ञान लें और मुझे बताएं, ...(व्यवधान)... नहीं–नहीं एक चीज और बताना चाहूंगा, एक और चीज बोलना चाहता हूं, सर, यहां से मैं निकला, जब खत्म हुआ सदन, विजेन्द्र जी बात पूरी करने दीजिए।.....

...(व्यवधान)...

Jh fufru R;kxh % विजेन्द्र जी अभी बात नहीं पूरी हुई है। ...(व्यवधान)...

Jh v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी।

Jh fufru R;kxh % अध्यक्ष जी, अभी एक और बात बताता हूं, मैं कल

यहां से, एक मिनट सुनिये, ...(व्यवधान)...मैं यहां से बाहर निकला, यहां मैंने पंकज जी से पूछा, पंकज भाई क्या हो गया? उन्होंने कहा, ''तुमको अभी पता चलेगा कोर्ट कचहेरी के चक्कर कटवाऊंगा, ये लोग साथ में थे सर और विधायक महोदय मेरे साथ में थे, प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए इस केस को।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % अब बैठिए जरा प्लीज। पुष्कर जी बैठिए। बैठिए आप। अमानतुल्लाह जी रिकार्ड हो गयी आपकी बात। बैठिए प्लीज। पुष्कर जी बैठिए प्लीज। देखिए पुष्कर जी, एक सैकेंड, मेरी बात सुन लिजिए। अपना विषय कल रख चुके हैं। कल आपने कहा। आपका लिखित में मेरे पास आया है। कल मैंने उसका उत्तर भी दिया है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % कल उन्होंने बयान दिया है। विजेन्द्र जी ऐसे नहीं। नाजायज नहीं। कल आपका भी बयान आया अखबारों में। एक सैकेंड बैठिए विजेन्द्र जी, बैठिए प्लीज। पुष्कर जी, कल आप इस विषय पर बोल चुके हैं। राइटिंग में मुझे दे चुके हैं। आज आपको कोई नोटिस नहीं। ना मेरे पास कोई है। ये उत्तर का प्रतिउत्तर नहीं रहता।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % नहीं, नहीं बैठिए प्लीज। देखिए मेरी बात सुनिए। जो आज आपने अखबारों में दिया है। जो स्टेटमेंट दिया है। उस पर उनको नोटिस आया Breach of trust का। मैं उस पर कोई और....

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % एक सैकेंड। सरिता सिंह जी। किसी की शिकायत मेरे पास आई है ना। आपकी शिकायत? आप नोटिस दे दीजिए। आपने अखबारों में दिया है ना।

Jh fotUn xqIrk % मैंने आपको लिखित में दिया है।

v/;{k egkn; % ना। मुझे नहीं दिया लिखित में। मैं पहले उनको निपटा लूं। ऐसा है पुष्कर जी, आप बैठिए प्लीज। मैं एक सैकेंड अलाऊ नहीं करूंगा। मैं एक सैकेंड के लिए अलाऊ नहीं करूंगा। आप बैठिए प्लीज। आप बैठिए प्लीज। आप बैठिए प्लीज। मैं वार्निंग दे रहा हूं बैठिए प्लीज।

Jh iadt iq"dj % मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं।

v/;{k egkn; % कोई आवश्यकता नहीं हाथ जोड़ने की। आपका हाथ जोड़ता हुआ फोटो कल मैंने अखबार में देख लिया और आपको मैंने समय दिया बोलने का उसका दुरुपयोग किया है। बैठिए अब बैठिए। आप बैठिए प्लीज। मैं इस पर टिप्पणी दे रहा हूं।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % आप थोड़ा शांत रहेंगे प्लीज। पुष्कर जी, मैं आपसे बार–बार प्रार्थना कर रहा हूं कृपया आप बैठ जाइए। बैठिए अलका जी, महेन्द्र जी बैठ जाइए। नहीं–नहीं कोई सदस्य खड़ा नहीं होगा। नहीं, कोई नहीं खड़ा

होगा प्लीज। अलका जी। पुष्कर जी, एक मैं दस बार बोल रहा हूं। मैं हाथ जोड़ रहा हूं।....धन्यवाद। भई महेन्द्र जी मैं अलाऊ नहीं कर रहा। मैं इस विषय पर किसी को अलाऊ नहीं कर रहा। माहौल को हम खराब कर रहे हैं अननैसेसरी।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % देखिए विजेन्द्र जी आपको कुछ बोलना है? मुझे इस पर डिसिजन ले लेने दीजिए। मुझे नोटिस मिला है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % मुझे नोटिस मिला है। आपने मुझे लिखकर दिया है। मैं उसकी जांच कर रहा हूं। जांच कर लूं उसको। देखिए या तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपका सदन में दीजिए। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला सदन में दीजिए।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % एक सैकेंड सोमनाथ जी। आप बैठिए प्लीज। आप बैठिए आप बैठिए महेन्द्र जी। एक सैकेंड, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % भई जरनैल जी, ये बात ठी नहीं है। मैं आग्रहपूर्वक कह रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों से कह रहा हूं बैठ जाएं। विजेन्द्र जी, मैं उनको रूलिंग दे रहा हूं। रूलिंग दे रहा हूं। दो मिनट रुकिए। महेन्द्र जी दो मिनट रुक जाइए।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % महेन्द्र जी आप बैठ जाइए। महेन्द्र जी बैठ जाइए। महेन्द्र जी बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % महेन्द्र जी, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं बात कर रहा हूं। विजेन्द्र जी, आप मेरी रूलिंग सुन लीजिए। आप मेरी रूलिंग एक बार सुन लीजिए। आप ने मुझे लिखित में शिकायत दी है। मेरे चैम्बर में दी है। मेरी ड्यूटी बनती है कि उसकी जांच करूं और मैं कर रहा हूं। एक बात, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि सदन के माध्यम से होनी चाहिए। मेरी रूलिंग सुन लीजिए। आप को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का देना है आप दीजिए। मैं यहां लाऊंगा। मैं कमेटी को भेज दूंगा। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। अगर उसकी जांच वहां करनी है। आप राईटिंग में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में दीजिए।

v/;{k egkn; % वो मेरी ड्यूटी है। मैं क्या कर रहा हूं? मेरी ड्यूटी है किस को दूंगा। आपने कल मुझे दिया है। थोड़ा सा रूलिंग के हिसाब से तो चलिए।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है। आपने कल अपना विषय रख लिया। कल आपने अपना विषय रख लिया और मैंने आपसे कहा कि विचाराधीन है और उसके बाद आपने प्रेस में जाकर मीडिया को बयान दिया है। आप बैठ जाइए। कल मैंने कहा विचाराधीन है। आपने यहां पर नोटिस नहीं

दिया। बिना नोटिस दिए मैंने आपको बोलने का मौका दिया। बैठ जाइए आप। बैठ जाइए राजेश जी। मैं नितिन जी का ये जो विषय है इस को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के नाते कमेटी को भेज रहा हूं। एक बात। दूसरी बात इस माहौल को थोड़ा सा हल्का कर दूं जो तीन दिन पहले आपने पत्र दिया था, उस पत्र के विषय में मैंने मेम्बर लॉज में आप लोग बैठे थे, कुछ टिप्पणी हुई, उसकी मैंने जांच पड़ताल की है। मेरे पास जानकारी आई है। नितिन जी, से मैं कह रहा हूं आगे से बिन्नी ना कहा करें। धन्यवाद।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % नहीं पुष्कर जी, बैठ जाइए प्लीज। मैंने उनको डायरेक्शन्स दी है। आगे से गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % जो मैंने जानकारी ली है, मैं वो बता रहा हूं। आप बैठ जाइए। आपको लगता है। एक सैकेंड पुष्कर जी, मैं आप पर भी रूलिग दे रहा हूं समझ लिजिए। आपको लगता है कि आपको किसी ने मारने की धमकी दी है। विद ए नेम मुझे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दीजिएगा। नहीं। दीजिए मुझे।

Jh iqdt i"dj % महोदय, कल मैंने दिया था।

v/;{k egkn; % नहीं दिया। आपने नहीं दिया मुझे। आप कल दे दीजिए।

Jh iqdt i"dj % कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल मैंने नोटिस दिया था।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % आपका पेपर मेरे पास आया है। लिखित में आया है। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

Jh idt i"dj % आप सदन में हत्या देखना चाहते हैं।

v/;{k egksn; % भई कोई सदस्य नहीं बोलेगा। कोई सदस्य नहीं बोलेगा। मेरी प्रार्थना है नितिन जी, आप उधर बात न करें। कोई उंगली न उठाइए उधर। क्यों इम्पोरटेंस दे रहे हैं उंगुली उठाकर उधर? अब बैठिए।

Jh idt i"dj % अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करता हूं।

v/;{k egksn; % मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप बैठिए। अगर आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मेरे पास आया है और वो छूट गया है तो उसको संज्ञान में लेकर कल रूलिंग दे दूंगा। मैने इतनी बड़ी बात कही है कि अगर आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दिया है। जब मैं इतनी बात कह रहा हूं। आपने अगर मुझे नोटिस दिया है मैं कल उस पर रूलिंग दे दूंगा।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि सदन की गरिमा बनाये रखें। यह हम सब की जिम्मेदारी है और कोई इस ढंग की अनुचित टिप्पणियां न करें। मेरे तक आवाज अभी नहीं आई है। आने के बाद बड़ी परेशानी खड़ी हो जायेगी हम सब के लिए। तो ऐसी टिप्पणी न करें प्लीज।

lfefr ds ifronu dk iLrqrhdj.k

v/;{k egkn; % अब श्री नारायण दत्त शर्मा और सुश्री भावना गौड़। आचरण समिति (छठी विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे।

Jh ukjk;.k nÙk 'kekZ % अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आचरण समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।*

v/;{k egkn; % अब माननीय मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

mi eq[;ea=h % अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के तीसरे बिन्दु में दर्शायी गई (चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित चौथे दिल्ली वित्त आयोग के प्रतिवेदन की प्रति) सदन पटल पर रखता हूं।**

---

* पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–15490 पर उपलब्ध।

** पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–15491 पर उपलब्ध।

/;kukd"k.k iLrko

v/;{k egkn; % ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियम 54 के अंतर्गत श्री राजेन्द्र पाल गौतम।

Jh jkt Un iky xkre % अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

Jh fot Un xIrk % अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची के बिन्दु नं. 2 पर कुछ कहना चाहता था।....

v/;{k egkn; % उस पर क्या कहेंगे आप?

Jh fot Un xIrk % मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।

v/;{k egkn; % कल डिस्कसन में होगा।....अच्छा धन्यवाद करना है? अच्छा। ये 2011 के बाद आज ये सरकार सौभाग्यशाली है, उस पर अपना वक्तव्य देना चाहते हैं कि....कल वैसे चर्चा में है। आप धन्यवाद दे दीजिए। चर्चा नहीं।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % सरकार की जीत है, आपकी जीत है।

Jh fot Un xIrk % सरकार तो लाना नहीं चाह रही थी। कोर्ट जाना पड़ा....मुझे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद...मैं यही कहूंगा कि देर आये दुरुस्त आये। सुबह का भूला शाम को घर लौट आये तो उसे भूला नहीं कहते।

v/;{k egkn; % कल चर्चा होगी। तब करिये। प्लीज। धन्यवाद। गौतम जी।

Jh jkt Un iky xkre % आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक बेहद महत्वपूर्ण विषय की तरफ ले जाना चाहता हूं। दिल्ली में पिछले लगभग 20–25 सालों में सरकार के जिन कार्यालयों में एम्पलाइज रिटायर होते जा रहे हैं। लेकिन जिस मात्रा में एम्पलाइज रिटायर हुए हैं, उसका 25 परसैंट भी रेगुलर एम्पलायज अभी तक हम लोग नियुक्त नहीं कर पाये हैं। दिल्ली में चयन के लिए दिल्ली सर्विसेज सलेक्शन बोर्ड गठित हुआ। लेकिन वह अपने उस कार्य में अभी तक सफल नहीं हो पाया है और जिस परिणाम की दिल्ली सरकार ने अपेक्षा की थी, उस प्रकार की नियुक्ति नहीं हो पा रही हैं। जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली सरकार के विभिन्न कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में सरकारी कार्य की गति में बाधा उत्पन्न हो गयी है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि ये चयन की प्रक्रिया जो बहुत ज्यादा शिथिल और स्लो पड़ चुकी है, उसको थोड़ा तेज किया जाये। आज स्कूलों में बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ को करने होते हैं, क्लेरिकल काम, उसको अध्यापक कर रहे हैं और दिल्ली सरकार के लगभग सभी विभागों में स्टॉफ बहुत ज्यादा शॉर्ट है। इससे सरकार जिस तेज गति से काम करना चाहती है, अच्छे अच्छे बिल भी पास कर रही है, नहीं न कहीं उनकी संख्या कम होने की वजह से उनको गति देने में दिक्कत आयेगी। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % उप मुख्यमंत्री जी उत्तर देंगे।...इसी पर...हां बोलिये।

Jh lj\Un flg % अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक ऐसी बिरादरी की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जिसको एकदम नौकरियों से साइड किया जा रहा है। वैसे एक्स सर्विसमैन का कोटा हर जगह हर स्टेट के अंदर एक क्लास, बी क्लास और सभी नौकरियों में रखा हुआ है। परन्तु दिल्ली सरकार के अंदर जो सेवा चयन बोर्ड है, उसमें एक्स–सर्विसमैन का कोटा नहीं है। एसएसए की भी जो अभी भर्तियां या कांट्रेक्ट पर जो भर्ती किए जा रहे हैं, उसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं रखा गया है। साथ ही जो नर्सिंग में जो एक्स सर्विसमैन का कोटा है, सभी स्टेटों में डिपेन्डेन्टों को दिया जाता है, चाहे एक्स सर्विसमैन का बच्चा हो वाइफ हो। परन्तु दिल्ली के अंदर ऐसा कानून नहीं है कि एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है, वह डिपेन्डेन्ट को दिया जाये। उसको मद्देनजर रखते हुए जो एक्स सर्विसमैन की वेकेन्सीज हैं, वह खाली रह जाती हैं और उससे एक्स सर्विसमैन को बड़ा धक्का लगा है। साथ ही बहुत सारी नौकरियों में पोस्ट अपग्रेड कर दी गई हैं। जो सी क्लास थी, वह बी क्लास में चली गयी हैं, जिसका टीजीटी...पीजीटी इस तरह की...तो उसमें भी एक्स सर्विसमैन वंचित रह जाते हैं फार्म भरने का मौका नहीं मिलता, जिससे कि आपने देखा होगा कि एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक हैं, वो हर तरह की पोस्ट के लिए इलिजिबल है। उनको हर जगह मौका दिया जाये, मैं सरकार से और उप मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसका संज्ञान लिया और जो देश की रक्षा करने वाले सैनिक है, वार विडोज हैं, वार डिसएबल्ड सैनिक हैं, और जो पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए विशेष ध्यान रखा जाये। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % जरनैल सिंह जी। बस और कोई इस विषय पर नहीं। आपने हाथ खड़ा किया है। ठीक है।

Jh tjuSy flag (तिलक नगर) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इसी विषय पर थोड़ा बोलना चाहूंगा कि जो दंगा पीड़ित परिवार हैं, समय समय पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से उनको भी नौकरियां देने की बात की गयी है, पर आज तक कुछ खास हो नहीं पाया। तो जब भी इस विषय पर कार्रवाई हो तो उनका जरूर ध्यान रखा जाये।

v/;{k egkn; % चौ. फतेह सिंह जी। संक्षेप में बिल्कुल।

pkS- Qrsg flag % अध्यक्ष महोदय, जब दिल्ली सवोर्डिनेट सर्विस सलेक्शन बोर्ड का गठन किया गया था तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया था कि ये दिल्ली के अंदर सभी सरकारी महकमों में जो भर्ती होगी, उसमें पारदर्शिता लायी जायेगी और समय पर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड अपनी प्रक्रिया को एडॉप्ट करके सभी विभागों को नये कर्मचारी मुहैया करायेगा। लेकिन जिस प्रकार की इनकी गतिविधियां हैं, जिस प्रकार की शिथिलता है, उसके कारण से मुझे लगता है कि 15–20 साल के इस अन्तराल में वोर्ड किसी चयन प्रक्रिया को एडॉप्ट नहीं कर पाया। मेरा इसमें ये कहना है कि चयन बोर्ड अपनी सारी प्रक्रिया पूरी करके दिल्ली वासियों को जिस प्रकार आज आम जनता का नौकरियों के बारे में यह कहना है कि अब तो भर्ती होनी ही बंद हो गयी। लोगों को नौकरियां बंद हो गयी हैं। इस प्रकार का जो संदेश जा रहा है, वह न जाये और सेलेक्शन बोर्ड तुरन्त अपनी कार्रवाई को प्रभावी ढंग से लेकर चले और जितने भी दिल्ली

के विभिन्न महकमों में रिक्त पद हैं, उनको तुरन्त भरे और जो एससी का बैकलॉक है, उसे भी तुरन्त भरे।

v/;{k egkn; % माननीय उप मुख्यमंत्री जी।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य राजेन्द्र पाल गौतम जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि डी एस एस बी की जो चयन प्रक्रिया है, वह सरकार की जरूरतों के हिसाब से एट पार नहीं है। मैं इस सदन के सामने ये लाना चाहता हूं कि 2007 की भी वेकेन्सीज डीएसएसएसबी में पेंडिंग पड़ी हुई थी। पिछली बार जब 49 डेज के लिए हम सरकर के रूप में इस सदन में आये थे, तो उस दौरान मैंने एक समीक्षा बैठक की थी। डीएसएसएसबी की और उनसे पूछा था कि जब आपके पास 2007 तक की वेकेन्सीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उनसे समीक्षा बैठक में प्लान पूछा था कि जिस स्पीड से आप भर्तियां कर रहे हो, उस हिसाब से 2007 की वेकेन्सीज को भरने में आपको कितने साल लगेंगे, अगर यही एग्जामिनेशन का पैटर्न रखा जाये?

अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा लाइट है, लेकिन मैंने उनको केलकुलेट करके बताया कि अगर इस स्पीड से आप चलोगे तो अगले 35 साल में आप सिर्फ 2007 से 2014 तक की वेकेंसीज को भर पाओगे और 2014 से लेकर आगे जो वेकेंसीज निकलेगी उनको तो कब भरोगे, पता नहीं। उसके बाद वहां हमने उस दौरान भी काफी चेंजेज सजेस्ट किए थे। प्रक्रियाएं कुछ सेट–अप की थी। वापिस सरकार में आकर फिर से लगातार साप्ताहिक रिव्यू करके वहां अभी बोर्ड का भी हमने एक तरह से कुछ नये अधिकारी भी वहां भेजे हैं और उसको काम

करने के लिए स्टाफ दिया है। साथ–साथ कुछ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्थाएं हैं जो भर्तियां करती हैं, उनकी भी मदद ले रहे हैं ताकि जो दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में पेंडिंग काम है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, हमने अभी पटवारियों के बारे में लिया है क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास पटवारियों की कमी है। भारत सरकार की एक रिक्रूटिंग एजेंसी है उससे रिक्रूट करा रहे हैं ताकि डीएसएसएसबी अपनी क्षमता के अनुसार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरी प्रक्रिया को रिव्यू करके जितनी तेजी से काम कर सके, वहां कर सके। लेकिन साथ–साथ पैरलल रिक्रूटमेंट का काम भी चलता रहे। भारत सरकार की एजेंसीज की भी हम मदद ले रहे हैं इसमें। जहां तक स्कूलों का माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया था, स्कूलों के लिए इसी तरह से मैंने खुद दौरा करके पिछले नौ महीने में देखा है कि स्कूल्स में संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन व्यक्तियों की उस रूप में कमी है। प्रिंसिपल और अध्यापकों के पास में पढ़ाने के साथ–साथ एडमिनिस्ट्रेटिव काम का भी बोझ है। माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि ऐसे में एक प्रिंसिपल पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें या टॉयलेट ठीक कराने से लेकर पंखे ठीक करने से लेकर जितने बड़े स्कूल है, जितने कमरे हैं अगर कोई व्यक्ति सिर्फ डेडिकेटिड तरीके से पंखे ठीक कराना, टॉयलेट ठीक कराना, पानी ठीक कराना साफ–सफाई भी देखें तो एक आदमी फुल टाइम चाहिए। ऐसे में हम प्रिंसिपल से कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो पढ़ाई पर ध्यान दें। पढ़ाई का काम देखें, बच्चों की पढ़ाई देखें और टीचर का काम देखें। इसलिए सरकार ने कुछ दिन पहले एक निर्णय लिया है जो मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि पहली बार एक व्यवस्था करते हुए हमने प्रिंसिपल्स को पावर

दी है कि वो इस काम के लिए रिटायर्ड लोगों को भी रख लें। अभी तक सरकारी स्तर पर रखा जाता था, ऊपर से सरकार पर, सेंट्रल लेवल पर रख कर और नीचे भेजे जाते थे, पर प्रिंसिपल अपने वहां पर व्यवस्था कर लें और इस काम के लिए हमने उसका कुछ मापदण्ड निर्धारित किया है, उनको भी रिक्रूट कर सकते हैं और वहां उनसे काम करा लें ताकि जो इमिजिएट जरूरतें हैं, वहां पूरी होनी शुरू हो जाये और स्कूल का काम सफर न हो। इसी तरह से डिपार्टमेंट में भी हमने कहा है कि जहां तक हो सकें, हम तेजी से कर रहे हैं आगे बाकी संस्थाओं की मदद से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम न रुके, काम किसी भी कीमत पर न रुके, चाहे जरूरत हो आज बाजार में, मतलब समाज में बहुत टेलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, उनकी सेवाएं लेने के लिए नये–नये तरीके निकाल कर उनकी भी सेवाएं ली जा सकें, तो ली जाये।

v/;{k egksn; % धन्यवाद। श्री सोमनाथ भारती जी।

Jh lkseukFk Hkkjrh % माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। इस सदन में अधिकांशतः हम चिंतित होते हैं लॉ एंड के ऑर्डर का प्रॉब्लम लेकर। कानून व्यवस्था पूरी दिल्ली के अंदर, मुझे मालूम नहीं, बाकी विपक्ष के तीन साथी किस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि हम सभी अपने–अपने क्षेत्रों में बहुत ही चिंतित हैं, जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। एक व्यवस्था दी गई है थाना लेवल कमेटी के रूप में कि थाना लेवल कमेटी क्षेत्र के विधायक की अध्यक्षता में, उसमें लोकल काउंसलर भी होते हैं, एसडीएम भी होते

हैं, आरडब्ल्यूए के रिप्रजेंटेटिव भी होते हैं, स्कूल–कॉलेज के रिप्रजेंटेटिव भी होते हैं, ये सभी मिल कर के एक कमेटी बनी है थाना लेवल कमेटी जो कि हर तीन महीने पर उनका मिलना जरूरी है और उसमें क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो कानून व्यवस्था की समस्याएं हैं, जो ऐसी चिंताएं, जो कि पुलिस के जरिये ही सुधर सकती हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। जब पिछली बार हम सरकार में आये थे, 49 दिन की सरकार में, उस वक्त 10 दिन के अंदर थाना केवल कमेटीज बन गई थी और इस बार 10 महीने के बाद भी आज दिल्ली के अंदर हमारे विधान सभा क्षेत्रों में थाना लेवल कमेटी नहीं बन पायी। इस सदन में बार–बार, बार–बार हममें से कोई न कोई इस बात को उजागर करने का प्रयास करता है कि पुलिस हेल्प नहीं कर रही है, मुद्दों को सुलझा नहीं रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि थाना लेवल कमेटी नहीं बनी। कल मैंने माननीय गृह मंत्री साहब से कहा था कि इसका क्या स्टेटस है और हमारे बाकी साथियों ने भी बताया कि इसमें एलजी साहब के यहां से एक नोटिफिकेशन आना होता है, जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तब तक थाना लेवल कमेटी नहीं बन पाएगी। आज मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि यह एलजी साहब के टेबल पर वो फाइल रखी हुई है और हम सारे साथी वहां बेवकूफों की तरह अपने स्तर पर जानने का प्रयास कर रहे हैं क्यों नहीं बन पा रही, हम डीसीपी से बात करते हैं, हम कमिश्नर साहब से बात करते हैं लेकिन कोई भी जानकारी नहीं दे रहा। कोई बताने को तैयार नहीं है। एमएलएज के रिक्वेस्ट को कोई एन्टरटेन करने को तैयार नहीं है। मैंने खुद इसका अनुभव बार–बार किया कि जब भी डीसीपी साहब से बात करो, ज्वाइंट कमिश्नर साहब से बात करो तो

वो इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं, बताने को तैयार नहीं कि किसकी जिम्मेवारी है। आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से इस बात को उजागर करना चाहता हूं कि यह जान–बूझ कर के एक कान्सिपिरेसी का हिस्सा है क्योंकि थाना लेवल कमेटी के जरिये जो क्षेत्र की कानून व्यवस्था के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल एमएलए का हो पाता है, उसको डिस्रप्ट करने का तरीका है, यह न बने, न हम यह मीटिंग लें, न ये मुद्दे उठें। जैसे जरनैल भाई बार–बार इस बात को लाते हैं कि क्षेत्र के अंदर करीब–करीब दिल्ली में हर ऐसे क्षेत्र में, हर विधान सभा क्षेत्र में कोई न कोई कोना है जहां कि ड्रग ट्रैफिकिंग खूब दबा कर हो रहा है। ड्रग ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, यह सभी पुलिस के नेतृत्व में जो करप्ट ऑफिसर्स है, उनके नेतृत्व में होता है। ये सारे मुद्दे हम न उसको टेकल कर पाये। समय से न उठा पाये, इस कारण से यह कमेटी नहीं बन पा रही है। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जो फाइल पड़ी है उनके टेबल पर, जो धूल खा रही है दस महीने से, नहीं तो, यह तो पब्लिक प्रोसीक्यूटर तो बाई नाइट एप्वांइट कर देते हैं। अगर पब्लिक प्रोसीक्यूटर केसेस में एप्वाइंट करना हो, जिसमें कि आम आदमी पार्टी के विधायक किसी केस में फंसे हुए हों, वहां तो रातों–रात एफआईआर हो जाती है, रातों–रात उनका एप्वाइंटमैंट हो जाता है लेकिन यह जो इतना इम्पोर्टेण्ट कमेटी बनना है, जिसके जरिये क्षेत्र का विधायक जो एकाउंटेबल है अपनी जनता के प्रति, उसका कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्या ये चाहते नहीं है? मैंने अभी मेरे क्षेत्र के डीसीपी साहब से, ई–मेल भेज कर उनसे पूछा कि कब होगा, उनको कोई जानकारी नहीं है। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे।

कम से कम बताये तो सही। अगर सदन में नहीं लाया होता तो यह बड़ा डिमिस्टिफाई नहीं होता कि किसके टेबल पर पड़ी हुई है यह फाइल। आज मुझे जानकारी मिली है, माननीय गृह मंत्री महोदय के, उनसे मिली है कि कई महीनों से उनकी टेबल पर पड़ी है। आज आप कृपया करके इस मामले का संज्ञान लें और जो उचित कार्रवाई हो सकती है, उसको करें। नहीं तो हम सभी जो हमारी एकान्टबिलिटी जनता के प्रति है, वो बहुत ही इस वक्त एक ऐसे माहौल से गुजर रही है कि हम सब पावर होने के बावजूद अपने दायित्व को निभा नहीं पा रहे हैं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % धन्यवाद। अजय दत्त जी।

Jh vt; nÙk % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस पर गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 280 में भी पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के विषय में एक छोटी सी चर्चा की थी।

v/;{k egkn; % अजय दत्त जी, जो सोमनाथ जी ने विषय रखा है, उस पर अपना वक्तव्य रखें।

Jh vt; nÙk % अध्यक्ष महोदय, उसी पर मैं आ रहा हूं। मैं उसी पर वक्तव्य रख रहा हूं। आज दिल्ली पुलिस से जब पूछा जाता है कि थाना लेवल कमेटी कब बन रही है, मैंने भी तीन बार डीसीपी से पूछा, तो उन्होंने कहा की यह फाईल गृह मंत्रालय के पास है। मैंने उनसे वेरी स्फेसिफिकली पूछा कि गृह मंत्रालय दिल्ली गृह मंत्रालय या सेंट्रल गृह मंत्रालय। उन्होंने कहा कि

मैं पूछ कर बताता हूं। हमें गुमराह किया जा रहा है, इसका बहुत सीधा–सीधा तार जो लग रहा है उसमें यह बात सामने निकल कर आई है कि दिल्ली पुलिस यह नहीं चाहती है कि विधायक, एसडीएम, एनजीओएस किसी मुद्दे पर बैठ कर कुछ कन्सेन्सस डिस्कस करें और उनको रिजॉल्व करने की तरफ आगे जाये। दिल्ली पुलिस एकमत से अपने सोकॉल्ड एकछत्र राज को दिखाने की कोशिश कर रही है। वो यह नहीं चाहती है कि कोई भी एमएलए इस मीटिंग में बैठे और जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं जो स्मेक, ड्रग्स, काले धंधे जो हो रहे हैं उन पर कोई उंगली उठा सकें। तो मैं आपके माध्यम से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे एलजी साहब से आप कहिये, जो कि दिल्ली वीमेन कमीशन के चेयनपर्सन के उन्होंने भी कल प्रैस रिलीज में बताया है और एलजी साहब से पूछा है कि आप बताइये कि थाना लेवल कमेटी क्यों नहीं बन रही है। इसका रीजन क्या है, आप क्यों दिल्ली की जनता को उनके अधिकारों को देने से मुकर रहे हैं? तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आप इस विषय में संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी थाना लेवल कमेटी को बनवाये। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % सरिता सिंह जी।

lJh lfjrk flag % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जिस विषय को आज सोमनाथ भारती जी ने उठाया। थाना लेवल कमेटी की बात मैं भी कहूंगी। इससे पहले भी कहा है। मेरी विधानसभा में पांच थाने पड़ते हैं। मानसरोवर पार्क, शाहदरा, वेलकम, ज्योति नगर और नंद नगरी और राजेन्द्र भाई भी यहां पर है। हमारे यहां आपको भी पता है कि नंद नगरी और वेलकम कुछ ऐसे क्षेत्र

जहां पर क्राइम का रेट बहुत ज्यादा है और लगातार कुछ में जब डीसीपी साहब से मैं दो–तीन महीने पहले मिली तो उन्होंने एक–दो बार तो मुझसे बात की पर मैं अपने सदन में ये बात कह रही हूं कि पिछले दो महीने से मैं अपने क्षेत्र के डीसीपी से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूं, किन्तु सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। मैं उनको फोन से मैसेज करती हूं कि मुझे आपसे मिलने का समय चाहिए पर डीसीपी साहब नहीं पता, किस चीज में व्यस्त हैं? वो एक एरिया रिप्रजेन्टेटिव, एरिया के विधायक से मिलने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं। क्योंकि मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उनके सामने रखे हैं। आपने जब सरकार बनी तो आपने थाना लेवल कमेटी की एक लिस्ट भेज दी कि आप थाना लेवल कमेटी के नाम अपनी तरफ से भेजिए, या तो आपने वो फॉर्मेलिटी नहीं की होती, आपने फार्मेलिटी के तौर पर एक लेटर भेजा और आज तक थाना लेवल कमेटी का चयन–गठन कुछ भी नहीं हुआ है। तो एलजी साहब से यही निवेदन है कि अगर थाना लेवल कमेटी नाम की कोई बॉडी है तो या तो उसे बना दीजिए ताकि हम उसके सदस्य बनकर वहां पर लोगों की समस्याओं को दूर करें, क्योंकि आए दिन हमारे सभी के ऑफिसेज में महिलाएं आती है, बुजुर्ग आते हैं या जो पीड़ित लोग हैं, वे आते हैं। लोग पुलिस के अत्याचारों से बहुत पीड़ित हैं। क्राइम रेट बढ़ रहा है। उसका सोल्यूशन हमारे पास कुछ नहीं है। बार–बार यही कह देते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है। जनता ये नहीं समझती। तो अगर थाना लेवल कमेटी है तो उसे एक्टीवेट किया जाए। उससे काम करवाया जाए और अगर वो नहीं कर सकती है तो एक जवाब यहां पर कमीश्नर ऑफ पुलिस आकर दें कि अभी तक थाना लेवल

कमेटी क्यों नहीं बनी है। उसका जवाब तो इस सदन पटल पर जरूर आना चाहिए एलजी साहब के माध्यम से। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % कर्नल सहरावत जी।

duy lgjkor % आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे समय देने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। दिल्ली पुलिस का, जैसे की आज सोमनाथ भारती जी ने चर्चा में यह बात उठाई है लॉ–एंड–ऑर्डर मेन्टेन करने में। इलाके की पार्किंग और पूरा जो ट्रेफिक है उसकी मेन्टेनेन्स में और जहां सरकार जमीन की इन्क्रोचमेंट होती है, उसको हटाने के लिए हर बार विधायक को उनके समर्थन की जरूरत पड़ती है। एयरपोर्ट इलाके में जहां बिजवासन विधानसभा है, पूरा एनएच–8 जगह–जगह पर अनॉथराइज पार्किंग्स ऑपरेट करी जा रही हैं, उसके बारे में मैं दिल्ली पुलिस को लिख चुका हूं। इसके अलावा ग्रामसभा की वो जमीन जो तीस साल से अधिक से एन्क्रोच थी, इसके बारे में डीडीए उसको हटाने के लिए लिखित में डिप्टी कमीश्नर को चार बार लिख चुका हैं और आप इस बात को समझिए कि चार बार लगातार दिल्ली पुलिस ने एन्क्रोचमेंट हटाने के लिए फोर्स देने में अपनी असमर्थता व्यक्त करी है। दिल्ली पुलिस चार बार लगातार यह कह चुकी है कि हमारे पास फोर्स नहीं है। तो कहीं न कहीं एक सांठगांठ है बारह सौ करोड़ की जमीन जो कि हमने एन्क्रोचमेंट से मुक्त कराई है जिसकी मिनट्स बनी है, उसका कब्जा लेने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस असमर्थता व्यक्त कर रही है। तो रक्षक है, वो भक्षक बन गया है। किस तरीके से सरकारी संपत्ति की रक्षा करके उसे पुनः जनता के पास लाया जाए, ये अपने आप में एक चुनौती बन गई है। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % अलका जी, बहुत संक्षेप में रखियेगा, प्लीज नहीं अब भावना जी, प्लीज। देखिये अभी चार बजे तक दो मैटर बाकी हैं। माननीय मंत्री कपिल जी ने जवाब देना है। भावना जी, एक बार अलका जी को बोल लेने दीजिए, प्लीज।

lJh vydk ykEck % अध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल संक्षेप में। मेरी अपनी विधानसभा में एक दो नहीं, सात थाने लगते हैं। जैसे ही विधायक बने, ये बताया गया कि चुने हुए विधायक हर थाना कमेटियों के अध्यक्ष होते हैं और विधायक बनते ही पहली मीटिंग बुलाई गई। खुद एसएचओ ने हमें लैटर दिया, हमें सूचित किया कि इस तरह की प्रक्रिया एलजी के माध्यम से बनी हुई है। अध्यक्ष जी, इतना गुमराह किया गया, पहली मीटिंग के बाद अब हमें समझ आया। उस मीटिंग में जलबोर्ड, एमसीडी, बिजली विभाग सबको बुलाया गया और इतना उलझाया गया कि असली मुद्दों पर जो बात होनी चाहिए थी, महिलाओं की सुरक्षा नागरिक सुरक्षा, बढ़ता अपराध, उसका डाटा क्या? उस पर कतई चर्चा नहीं होने दी। अब हमें इन नौ महीनों में समझ आ गया कि थाना कमेटियों का मतलब होता क्या है। वहां पर किन विषयों पर चर्चा और जानकारी दी जाती है। और सुनिश्चित किया जाए कि नागरिक सुरक्षा हो। अध्यक्ष जी, विजेन्द्र गुप्ता जी ने ये डाटा आपके सामने सदन में रखा कि कश्मीरी गेट थाने में भी साढ़े चार सौ मौतें हुई हैं।

v/;{k egkn; % अलका जी, एक सेकेण्ड मेरी बात सुनिये। जो विषय है उस पर आइये।

l|Jh vydk ykEck % मैं उसी पर, थाना कमेटियों पर बोल रही हूं। मैं कमेटियों की अहमियत बता रही हूं कि सिर्फ कश्मीरी गेट थाने की कमेटी का जो खुलासा किया। साढ़े चार सौ मौतें वो नेचुरल मौतें नहीं हैं अध्यक्ष जी। वो मौंतें, मैं यही बता रही हूं। इसका खुलासा न हो जाए सिर्फ थाने में इतनी हत्याएं, मौतें हो रही हैं तो आप सोच लीजिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी जैसे थानों के हालात क्या होंगे। कितनी चोरी, अपराधिक घटनाएं हो रही हैं जिस पर सिर्फ पर्दा डालने के लिए इन कमेटियों का न गठन किया जा रहा है और न मीटिंग बुलाई जा रही हैं। तो मेरा सदन से और आपसे निवेदन है कि इन थाना कमेटियों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत गठन करके ये जो अपराध के आंकड़े हैं, वो सामने आने चाहिए। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % अंतिम, श्री जरनैल सिंह जी बस...(व्यवधान)...आप जरनैल सिंह जी को बता दीजिए जो जोड़ना है। हां जरनैल जी शुरू करिए, जल्दी. ..(व्यवधान)...सोमनाथ जी चार बजे तक सारे विषय लेने हैं।

Jh tjuly flg ¼राजौरी गार्डन½ % अध्यक्ष जी, ये हमारे सोमनाथ जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है इसमें जैसे ही विधायक बनकर हम लोग आये तो थानों से हमें आया कि आपको मेम्बर्स बनाने हैं थाना कमेटियों के लेकर, लेकिन आज जब पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं आता। मैं सिर्फ एक बात यह कहना चाहता हूं आपसे। मैं कई बार थाने में कह चुका हूं कि यहां से ड्रग्स बेची जा रही है। यहां पर एक किराये पर चोरों को रखा हुआ है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं डीसीपी ट्रेफिक से मिलकर आता हूं और कहता

हूं कि पेसिफिक मॉल के पास लगातार इन्क्रोचमेंट है और गाडियां खड़ी हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये हाल हो चुका है। बड़े दुख की बात है कि जो हमारे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके अंतर्गत जो डीसीपी की मीटिंग्स होती हैं। जिसका चेयरमैन एमपी होता है वो मीटिंगें तो हो रही हैं, लेकिन जिसका अध्यक्ष विधायक होता है, उसकी कमेटियां ही नहीं बनाई जा रही हैं। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। अध्यक्ष जी, ज्यादा समय नहीं है, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि और एक पूरा दिन सिर्फ दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर डिस्कशन का रखा जाए और दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, उनको यहां पर बुलाया जाए और हर एमएलए अपने क्षेत्र की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो दिक्कतें हैं, जो आरडब्ल्यू कह रही है। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ानी है, वो सबकी लिस्ट लेकर आएं और पूरा दिन डिस्कशन हो, यहां बैठे और वो उनको दिया जाए और उसके बाद उनसे जवाब तलब भी किया जाए और नहीं तो दोबारा बुलाकर जवाब लेकर आएं। ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं। जब तक ये थाना लेवल कमेटियां नहीं बनती हैं, ऐसी व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % मैं करता हूं बातचीत करके। श्री सत्येन्द्र जैन जी।

Jh lR;sUnz tSu ¼LokLF; e=h½ % आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सोमनाथ भारती जी ने कहा थाना लेवल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज, जैसे ही इस सरकार का गठन हुआ था, होम मिनिस्ट्री ने कुछ चेन्जेज प्रपोज किये थे। जैसे कि इस थाना लेवल कमेटी की कमेटी की मीटिंग तीन महीने में एक बारी होती है। तो प्रपोजल ये था कि तीन महीने बहुत ज्यादा होते

हैं, एक महीने में की जाए। जैसे महिला सुरक्षा है, उसका थोड़ा डाटा दिया जाए और जो क्राइम होता है, उनका सारा डाटा दिया जाए। तो इस तरह की काफी सारी चीजें मैंने प्रपोज की थी। जिसके ऊपर एक कमेटी बैठाई गई। उन्होंने इन्क्वायरी की और सारी रिकमंडेशन्स देकर वो एलजी साहब के पास नोटिफिकेशन के लिए 7 अक्टूबर से पेंडिंग है। सदन की भावना से एलजी साहब को अवगत कराया जाएगा। उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि जल्द से जल्द फाइल को क्लीयर करें ताकि थाना लेवल कमेटी बन सके।

दूसरी चीज मुझे काफी दुखद लग रही है कि जो बार–बार सभी सदस्य अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि जब ऑफिसर से मिलने जाते हैं तो ऐसा आभास हो रहा है कि वो इलेक्टिड रिप्रजेन्टेटिव्स को भी ड्यू–रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। कल भी प्रश्न आया था एमसीडी के बारे में। जैसे कि उन्होंने कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास कर दिया, ऑफिसर्स से मिलने जाते हैं, खासतौर से पुलिस के अंदर तो खास तौर से मुझे अलग से भी बताते हैं कि उनका व्यवहार मर्यादापूर्ण नहीं होता है कई बारी। इस तरह से हमारे सदस्यों के साथ वो व्यवहार करते हैं, उसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार की ओर से पहले से इसके लिए नियम–कानून बनाये गये हैं, सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स को आपकी ओर से भी ये नोटिस भेजा जाए कि जो भी इलेक्टिड रिप्रजेन्टेटिव्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनसे ठीक से व्यवहार किया जाए और उनको जानकारी दी जाए। ये कानूनन होना चाहिए और मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से भी सभी डिपार्टमेंट्स को आर्डर्स की कापी भिजवाने की कोशिश करूंगा और अगर एमएलएज के साथ कोई भी अधिकारी ठीक से व्यवहार नहीं

कर रहा है तो प्रिवलेज कमेटी में उसको लेकर आना चाहिए, ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। धन्यवाद।

i;Vu ,o ty ea=h dk oDrO;

v/;N egkn; % अब कपिल मिश्रा जी अपना जवाब देंगे।

Jh dfiy feJk ¼i;Vu ,o ty ea=h½ % अध्यक्ष महोदय, शादी होने के कुछ दिन पहले लड़के वालों की तरफ एक लिस्ट आ गई कि ये सारा सामान हमें दोगे तभी शादी होगी अदरवाइज बारात लेकर नहीं आएंगे और वो लड़की और लड़की के परिवार वाले, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि इतना सारा पैसा वो दे पाते, उतना समान वो दे पाते। तो दोनों परिवार वाले लड़की के परिवार वाले और लड़के के परिवार वाले इंडिया गेट पे मिले, जहां पर लड़की ने उनके पैरों पर गिरके उनसे बोला कि आप शादी मत रोको। हम अभी नहीं दे सकते हैं। मैं भी कमा रही हूं और कुछ करके धीरे–धीरे करके सारा सामान खरीद लेंगे लेकिन लड़के वाले नहीं माने। उन्होंने बोला कि ये शादी नहीं होगी। जब लड़की का परिवार इंडिया गेट से वापस आ रहा था, मेट्रो से वापिस आ रहे थे और वो लड़की यमुना बैंक मैट्रो स्टेशन पर उतर गई और मैट्रो आगे निकल गई परिवार मैट्रो में रह गया, जब तक परिवार वहां से वापिस आता तब तक ये लड़की मैट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर चुकी थी और इसके पास से केवल एक ही पर्चा निकला और उस पर्चे में वो पूरी लिस्ट थी जो दहेज का सामान लड़के वालों ने मांगा था उनसे। वो वीडियो भी शायद सबने ही देखा होगा और बार–बार जब भी उस वीडियो को देखता हूं, उस खबर

को देखता हूं तो ये नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए लेकिन ऐसा लगता है कि ये बहुत हो चुका है। हमारे समाज में लड़कियां पढ़ रही हैं, मेहनत कर रही हैं और हमें मालूम है कि स्कूल जाना भी कितना मुश्किल है जिस माहौल में, दिल्ली जैसे शहर में लड़कियां रहती है, घर से निकलने से लेकर शाम को घर आने तक और घर के अंदर भी जो स्थिति है। बड़े ही तनावपूर्ण माहौल में कोई लड़की आगे बढ़ती है और उसके बाद ये दहेज की स्थिति! ये लम्बी–चौड़ी बड़ी महंगी शादी करने का दबाव हम लोगों ने देखा है। हम सब जानते हैं। परिवार टूटते जा रहे हैं। ऐसे कई परिवार मैंने देखे हैं। एक मेरे बड़ा नजदीकी परिवार है, उन्होंने अपनी बिटिया की शादी के लिए कर्जा लिया और अपना घर भी बेच दिया, क्योंकि लड़के वाले चाहते थे कि बहुत बड़ी शानदार शादी हो। उन्होंने अपना घर बेच दिया और वो किराए पर रहने लगे और शादी भी बड़ी शानदार की। लेकिन शादी के एक साल के बाद क्योंकि लड़के वालों की मांग इतनी बढ़ गई थी कि वह शादी तोड़नी पड़ी और लड़की वापस अपने घर पर रह रही है। तो ना वह शादी चली, ना उसके पास कुछ पैसा बचा। केवल इस दहेज के कारण वो पूरा परिवार इस स्थिति में आ गया कि जो उनके घर का लड़का पढ़ाई कर रहा था, वो पढ़ाई छोड़ के अब कुछ कमा रहा है कि घर का किराया और बाकी जो उन्होंने कर्जा लिया, वो चुका सके। और दुबारा लड़की की शादी करने के बारे में सोचते हुए भी डर रहे हैं। ये बड़ी भयावह स्थिति हमारे समाज में हो चुकी है। उसी को अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बड़े सकारात्मक पक्ष भी मुझे नज़र आया। अभी पिछले हफ्ते मैं एक शादी में गया उसमें वो लड़का दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग से फाईनल

ईयर पास किया और सोरभ शाँडिल्य नाम का लड़का है, उसने शादी की और उसने अपनी शादी में अपने घर वालों को ये बोल दिया कि मैं एक भी पैसा नहीं लेने दूंगा। शादी भी बड़ी नहीं होने दूंगा। बड़े साधारण तरीके से मंदिर में उनकी शादी हुई। उसने कोई डोली जाएगी, बारात आएगी, उस तरह का आडम्बर खर्चा नहीं करने दिया और रीति–रिवाज से पारम्परिक तरीके से शादी हुई और बड़ा आनंद, ऐसा लगा कि दोनों तरह का पक्ष है। एक पक्ष ऐसा है जिसमें किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है किसी को जिंदा जलाया जा रहा है। अब परिवार के परिवार बर्बाद होते जा रहे है, अभी मैं कहीं देख रहा था, हमारे देश में हर बीस मिनट में कोई एक महिला, बहन, बेटी दहेज के कारण अपनी जान गंवा रही है और बीमारियों से महिलाओं की जो मृत्यु हो रही है, उससे कहीं ज्यादा आज दहेज के कारण महिलाओं की मृत्यु हो रही है हमारे देश में। तो मुझे ऐसा लगा कि आखिर क्या हो? क्या कर सकते है? मैं ये सदन के सामने भी प्रस्ताव रख रहा हूं और अपने मंत्रालय में भी मैंने अधिकारियों को बोला है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा उनसे कहिए आप कोई महिला बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा उनसे या किसी के द्वारा भी। एक तो ऐसे लोगों को हमें बढ़ावा देना बहुत जरूरी है जो बिना दहेज के शादी कर रहे हैं, बिना आडंबर के शादी कर रहे है। जहां बड़ी लम्बी चौड़ी शादी नहीं हो रही खर्चे नहीं हो रहे, खर्चे नहीं हो रहे, लोग आएं, बिल्कुल स्वागत करें, खुशियां मनाएं लेकिन वो जो बोझ है इतने करोड़ की शादी इतने रुपये का लेन–देन होगा ना हो उसको बढ़ावा कैसे दे सकती है सरकार? उसके बारे में मुझे लगता है सोचने का समय आ गया है, हम अपने–अपने क्षेत्रों में पहचान करले ऐसे लड़के–लड़कियों की जा बिना दहेज के शादी कर रहे हैं। उनको

बढ़ावा दें, उनको सम्मान दे, उनको पहचान दें और दूसरा सम्भव हो सके तो, मुझे नहीं मालूम ये कैसे सम्भव है, लेकिन अगर सम्भव हो तो हम लोग ये कोशिश करें कि अगर हमें लगता है कि बड़े आडम्बर वाली शादी है, बड़े दिखावे के वाली शादी है, रुपयों का लेन–देन हो रहा है, कई बार हमने देखा है किसी शादी के अंदर जाते हैं तो गेट पर ही कार सजी हुई होती है, सारी दुनिया को दिखाया जा रहा होता है ये कार दहेज में दी जा रही है, ये गाड़ी दहेज में दी जा रही है या ये पैसा, मुझको ऐसा लगता है कम से कम व्यक्तिगत तौर पर तो ये निर्णय ले लेना चाहिए बाकी अगर सब लोग भी निर्णय लें कि जहां हमें समझ में आ जाए की ये बहुत बड़ा आडम्बर या दिखावा हो रहा है या दहेज का लेन–देन हो रहा है, कम से कम जन प्रतिनिधि अब ऐसी शादियों से थोड़ी दूरी बनानी शुरू करें ऐसे लोगों को थोड़ी हिकारत की नजरों से देखना शुरू करें और ऐसे लोगों को सम्मान देना शुरू करें जो सीधी–सादी कम खर्चे में बिना दहेज की शादी कर रहे है। बस यही अपने मन की भावनाएं थी जो सदन में रखना चाहता था, धन्यवाद।

v/;{k egkn; % देखिए, समय मेरे पास चार बजे तक का है, दो मिनट के लिए प्रवीन जी, उसके बाद अलका लाम्बा जी, समय बचेगा तो मैं दूंगा।

Jh iohu dqekj % माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपने इतने गम्भीर और सामाजिक चर्चा में मुझे शामिल किया, अध्यक्ष महोदय कपिल मिश्रा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए जो कि इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि खर्चीली शादियों

में विधायक ना जाएं जहां पर दहेज दिया जा रहा हो तो मैं विधान सभा के सामने शपथ लेना चाहात हूं कि क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं अगर शादी करूंगा तो उसमें दहेज नहीं लूंगा। इतना कन्फर्म है जब शादी करूंगा तो और हमारे सभी माननीय सदस्य पार्टी देंगे। तो अध्यक्ष महोदय, कपिल मिश्रा जी के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से समर्थन करते हुए मैं इस सदन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि और जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने अच्छे और ईमानदार सदस्यों को उन्होंने हमारी विधान सभा में भेजा ताकि हम अपनी दिल्ली का और इस समाज के सारे ज्वलंत मुद्दे यहां पर उठा सकें, इसके साथ कपिल मिश्रा जी का बहुत–बहुत धन्यवाद, इस बात को उठाने के लिए।

v/;{k egksn; % अलका लाम्बा जी।

lJh vydk ykEck % अध्यक्ष जी मैं आपका धन्यवाद करती हूं आपने मुझे अवसर दिया और कपिल मिश्रा जी ने बहुत ही गम्भीर मामला उठाया और मैं धन्यवाद करती हूं आपने इतने गम्भीर मुद्दे को लिया, यह ऑकड़े बताते हैं कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर एक महिला, हमारी बेटी, बहन कहें, वो दहेज की बलि चढ़ती है। अध्यक्ष जी, मैं भी इसका शिकार रही। मेरे पिताजी की छह बेटियां हैं मुझे मालूम है किस तरीके से सरकारी नौकरी पर थे कैसे कर्जा ले लेकर पहली बहन की शादी की, दूसरी की शादी की और तीसरे पर मैं आकर अड़ गई कि जाऊंगी तो कपड़े में जाऊंगी। लेकिन दहेज देकर अपने बाप को कर्जे में छोड़कर नहीं जाऊंगी और उसका असर यही हुआ मुझे बड़ी लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ी क्योंकि मेरे ससुरालवालों को था कि मैं शायद बहुत दहेज लेकर

आऊंगी पहली दो बहनों की तरह बाप को कर्जे में छोड़कर आऊंगी लेकिन मैंने वो लड़ाई लड़ी और आज मुझे गर्व है कि मैं आज एक सिंगल पेरेंटस के तौर पर अपने 18 साल के बेटे को इस दहेज के खिलाफ जो भी कुरीतियां हैं महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं का सम्मान कैसे करें, कैसी उसकी जिम्मेदारी लें, उसके लिए। एक सुझाव भी मैं आपके सामने जब कपिल जी ने बात कही सामुहिक विवाह समारोह, अगर सरकार इस तरह के गरीब बच्चियों की बेटियां जो शादियों के लिए हमारे पास आते भी हैं, आपने बीस हजार रुपये के करीब, जितने भी गरीब परिवार की महिला बेटियों की शादी में उसकी मदद करते हैं पर मैं एक ओर प्रस्ताव सुझाव सरकार को देना चाहूंगी अगर सरकार सामूहिक विवाह सामारोह का आयोजन करना शुरू करे जो खुले में हो जो इस बात के साक्षी हों कि यहां पर किसी पर दबाव में दहेज लिया दिया नहीं जा रहा वो शादियां कम खर्चे में होंगी बिना दहेज के होंगी और मुझे लगता है ये जो हमारे समाज में कुरीति अभी भी दहेज हत्याओं की है, हम उस पर लगाम लगा पाएंगे, तो एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रस्ताव है, मैं तहे दिल से एक महिला होने के नाते भी, इसकी भुगत–भोगी होने के नाते भी आपका धन्यवाद करती हूं। जय हिंद।

v/;{k egkn; % बन्दना जी।

Jherh cUnuk dekjh % अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपका।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % नहीं, महेन्द्र जी, प्लीज। मैं महिलाओं को समय दे रहा हूं थोड़ा। वो चार बजे पूरा करना है। माननीय मंत्री जी भी बोलना चाह रहे हैं। प्लीज।

Jherh cUnuk dekjh % अध्यक्ष जी, कपिल मिश्रा जी की बात का मैं समर्थन करती हूं और सही बात है कि दहेज की बलि बहुत सारी महिलायें चढ़ चुकी है। अब बस इसको आगे हम लोग खासकर ये सदन न बढ़ने दे और इसके लिए हम सब एक संकल्प तो ले सकते हैं।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % मेरा ये कहना है प्लीज। ये गम्भीर मुद्दा चल रहा है। इस पर बातचीत जरा। थोड़ा प्लीज।

Jherh cUnuk dekjh % अपने बच्चों की शादी में हम सब कोई भी दहेज न लेंगे और न देंगे। नहीं होगी तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन दहेज न लेंगे न देंगे कि ये शपथ तो लेनी पड़ेगी। जहां तक मेरी बात है अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि मेरी शादी में न तो एक रूपया दहेज लिया गया था, मांगा भी नहीं गया था। मांगा भी नहीं गया था और मैं सिर्फ अपने कपड़े में आयी थी ससुराल में और मैं सदन के माध्यम से शपथ लेती हूं कि मैं अपने बच्चों की शादी में भी एक पैसे का दहेज नहीं लूंगी और कपिल मिश्रा जी, जहां तक सहयोग होगा, मैं इस सदन के माध्यम से और सदन को ये विश्वास दिलाती हूं जो अपने क्षेत्र में भी इस तरह की जो भी हो, उसका मैं बहिष्कार करूंगी। क्योंकि इससे समाज ही नहीं, पूरा देश पीड़ित है। दिल्ली ही नहीं पूरा देश पीड़ित है। जिससे कितनी महिलायें ऐसी हैं, कितनी महिलायें हैं जो उनको अपना घर, परिवार अपने बारे में सोचना पड़ता है कि मैं महिला क्यों हुई? मैं क्यों जन्म ली बेटी बनकर और उनको तिरस्कार जो

ससुराल से दिन–रात, ये सामान लेके नहीं आयी, ये सामान लेके नहीं आयी। तुम्हारे बाप ने क्या दिया। इस तरह के ताने सुनते मैंने, पर डे कम–से–कम पांच–छः केस मैं झेलती हूं ऑफिस में बैठ के। तो कपिल मिश्रा जी के इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूं और मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन से भी चाहूंगी कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन करें। धन्यवाद।

LokLF; ea=h }kjk ladYi] izLrqrhdj.k ,oa ikj.k

v/;{k egksn; % श्री सत्येन्द्र जैन जी। अन्त में। अन्त में श्री सत्येन्द्र जैन जी। राखी जी ये हंसने का विषय नहीं है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % नहीं, विषय हो गया पूरा। अब माननीय मंत्री जी खड़े हैं।

Jh lR;saæ tSu % आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सदन की ओर से एक संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हूं। संकल्प यह है कि यह सदन संकल्प करता है कि हम अपने बच्चों को शादी में न दहेज लेंगे और न दहेज देंगे। साथ ही साथ जिनकी शादी नहीं हुई है वो ये संकल्प करते हैं कि हम अपनी शादी में न दहेज देंगे और न लेंगे।

v/;{k egksn; % मंत्री जी का ये संकल्प हम सबके सामने है। नहीं, कोई बात नहीं, जितने भी सदस्य हैं। ये सदन संकल्प ले रहा है। मंत्री जी का प्रस्ताव ये है कि इस संकल्प में मेरा ये कहना है कुल मिलाकर,

जो इसके पक्ष में है वो हां कहें,

सभी के हां हुई है,

ये संकल्प।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % वोटिंग करवा दें? अनिल जी, दो मिनट रूकिये। नहीं, संकल्प आ गया। नहीं भावना, जी संकल्प आ गया। मैं डिवीजन ऑफ वोट का प्रस्ताव आया है।

मैं इस प्रस्ताव पर जो इस संकल्प के पक्ष है वो अपने स्थान पर खड़े होंगे।

(सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े हुए।)

सत्येन्द्र जी का ये प्रस्ताव पारित हुआ। बहुत–बहुत धन्यवाद।

सदन 4.30 तक चाय के लिए अब 4.30 बजे तक चाय के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित। धन्यवाद। बहुत–बहुत धन्यवाद।

¼lnu dh dk;Zokgh vijkºu 4-30 cts rd ds fy, LFkfxr dh x;hA½

lnu vijkºu 4%30 cts iqu% leosr gqvk

माननीय अध्यक्ष महोदय **¼Jh jke fuokl xks;y½** *पीठासीन हुए।*

Jh lathO >k % अध्यक्ष महोदय, मैं एमसीडी के.......दो मिनट प्लीज।

ekuuh; v/;{k }kjk 0;oLFkk

v/;{k egkn; % संजीव जी, दो मिनट बैठिए प्लीज। पहले बहुत समय दे दिया सब लोगों को।

Jh lJho >k % अध्यक्ष महोदय, काफी गम्भीर मुद्दा है ये। नार्थ एमसीडी ने अपना बजट पेश किया है। अपने बजट में 2754 करोड़ का अनुमानित घाटा पेश किया। मैं बताऊं आपको कि 2012–13 में जो घाटा 690 करोड़ था। 2013–14 में 540 करोड़ था। 2014–15 में 700 करोड़ था। और बार 2754 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया है, और बदले में कहा गया है इसकी पूर्ति हाउस टैक्स बढ़ाकर किया जाएगा और टैक्सेस बढ़ा कर किया जाएगा। ये सरासर धोखा है। मुझे लगता है कि एमसीडी को अपनी कार्य क्षमता बढ़ानी चाहिए थी। भ्रष्टाचार वहां चरमोत्कर्ष पर है। उसको रोकने के बजाए अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने की बजाए ये 2754 करोड़ घाटा प्रस्तुत किया गया है। फिर से पहले से शोरशराबा कर रहे थे। फिर यहां शोरशराबा करेंगे। मुझे लगता है कि ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। हम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा है। इस पर आपको संज्ञान लेना पड़ेगा।

v/;{k egkn; % चलिए। अब श्री गोपाल राय, श्रम मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 26 नवम्बर, 2015। भई महेन्द्र जी अब क्या रह गया?

Jh egUnz xk;y % अध्यक्ष जी, एमसीडी का घोटाला तो आपके सामने है ही जो दिल्ली कि जनता को गर्त के अंदर गिराने का काम कर रही है। इसको संज्ञान में ले। विधायकों के कहने से तो काम नहीं होता और घाटे पर घाटा हो रहा है। घाटे पर घाटा हो रहा है। सफाई के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। ये आपको संज्ञान में लेना पड़ेगा।

...(व्यवधान)...

श्री महेन्द्र गोयल : ये आपको संज्ञान में लेना पड़ेगा अध्यक्ष जी। इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता अध्यक्ष जी। और इससे भी बड़ा धोखा अध्यक्ष जी मैं एक और चीज कह रहा हूं आपको अखबार के माध्यम से हमारे साथी ने जैसे पुष्कर जी से तो आप अपने...(व्यवधान)... लेकिन हमारे साथी श्री विजेन्द्र गुप्ता जी ने कहा कि......

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र जी प्लीज। ये बात हो चुकी। मैं उस विषय को नहीं उठने दे रहा हूं। महेन्द्र जी आप विषय को डायवर्ट मत करिए। प्लीज।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : वो मैंने उसमें निर्णय दे दिया है।

...(व्यवधान)...

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय, बस मेरा निवेदन यह है कि इसे संज्ञान में लें। ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। एमसीडी अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाता। मैं कहता हूं साफ सफाई नहीं हो रही है। ये पैसा जा कहां रहा है? क्या कारण है कि ये 600 करोड़ 700 करोड़ अचानक 2700 करोड़। 400–500 प्रतिशत यह घाटा बढ़ गया। इसका क्या कारण है। आखिर क्या ऐसा है कि अचानक 700 करोड़ से 2754 करोड़ का अनुमानित घाटा एमसीडी फेस कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सदन इसको संज्ञान में और पूछे कि क्या आखिर कारण है इसके पीछे जो इतना........

v/;{k egkn; % संजीव जी, अब कन्क्लूड कीजिए अब इसको।

Jh latho >k % मेरा निवेदन है कि इसका आडिट होना चाहिए।

Jh fufru R;kxh % इस तरीके का इतना सारा आज की तारीख में बजट इतना बड़ा क्वैन्टम हो गया है कि आडिट होना चाहिए और ठीक टाइम पर होना चाहिए। एमसीडी का भी आडिट होना चाहिए और लगातार ऑडिट होना चाहिए। इतना पैसा हमेशा पैसे की मांग होती है।

...(व्यवधान)...

Jh latho >k % विधायक हैं, बेहतर पता है। हमें बेहतर पता है कि एमसीडी का काम क्या है। एमसीडी किस तरह से काम कर रही है। हमारे यहां नालियों का बहुत बुरा हाल है। 50 बार फोन करने के बाद भी नहीं आते।

v/;{k egkn; % संजीव जी, विषय आ गया। प्लीज कन्क्लूड करें।

Jh latho >k % मेरा आपसे अनुरोध है कि ये ऐसी कौन सी आफत थी कि 540 करोड़, 700 करोड़ के बाद 2754 करोड़ का घाटा इन्हें पेश किया है।

v/;{k egkn; % आप ऐसा करिए। अब इसके लिए कल नोटिस दीजिए। मैं चाहता हूं सदन इस पर चर्चा करे।

Jh latho >k % मैं चाहता हूं सदन इस पर चर्चा करे।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % एक सैकेंड मेरी बात सुन लीजिए। मैं कुछ राय दे रहा हूं। कल इसके लिए आप नोटिस दे दीजिए। अभी सदन की कार्यवाही के बाद नोटिस दे दीजिए।

...(व्यवधान)...

lJh vydk ykEck % महिला सुरक्षा सम्मान में एक मुशायरे का आयोजन कर रहे हैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने कल की शाम महिला सुरक्षा को समर्पित किया है।

v/;{k egkn; % खाली महिला सुरक्षा को नहीं।

Jh vydk ykEck % नहीं, नहीं महिला, सुरक्षा और कौमी एकता दोनों को मिलाकर।

v/;{k egkn; % अभी निमंत्रण आए नहीं है आपके पास?

Jh vydk ykEck % नहीं, निमंत्रण आए नहीं है। सूचना मिली है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % अलका जी, आप बैठिए प्लीज। मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप बैठिए।

...(व्यवधान)...

lJh jk[kh fcMyk % अध्यक्ष महोदय, दो मिनट पहले ही सरप्राइज खोल

दिया। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेण्ट मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं। अध्यक्ष जी सुन लीजिए।

v/;{k egksn; % राखी जी, जो भी कुछ आपको देना है राईटिंग में दीजिए। अलका जी ऐसे नहीं। आप जानती है। समझदार है। जो भी कुछ है राइटिंग में दीजिए मुझे। ऐसे न करें।

fo/ks;dk ij ppk

v/;{k egksn; % श्री गोपाल राय, माननीय श्रम मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 26 नवम्बर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित न्यूनतम वेतन दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक सं. 13 पर विचार किया जाये।)

Je e=h ¼Jh xksiky jk;½ % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम वेतन दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक सं. 13 पर विचार किया जाये।)

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % यह तो हो चुका है पास। पहले।

Jh fotUnj xqIrk % रीसेस से पहले?

v/;{k egksn; % हां।

Jh fotUnj xqIrk % हम भी इसमें शामिल हैं।

v/;{k egksn; % अब यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है, हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

अब श्री गोपाल राय, माननीय श्रम मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 26 नवम्बर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्ते) और विविध उपबन्ध दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक सं. 12) पर विचार किया जाये।

ekuuh; Je e=h ¼Jh xkiky jk;½ % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्ते) और विविध उपबन्ध दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक सं. 12) पर विचार किया जाये।

v/;{k egkn; % अब यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

अब माननीय सदस्य दोनों बिलों पर चर्चा में भाग ले सकते हैं। मेरे पास जो नाम आये हैं; श्री राजेन्द्र गौतम।

Jh jktsUnz iky xkSre % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मिनिमम वेजिज एक्ट और इसके साथ–साथ The Working Journalists and other Newspaper Employees Condition of Services and Miscallaneous Provisions Delhi (Amendment) Bill 2015. पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं मिनिमम वेजिज दिल्ली अमेन्डमैन्ट 2015 पर चर्चा करूं, मैं मिनिमम वेजिज की बैक ग्राउण्ड पर चर्चा करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1910 के आस पास पूरे विश्व में अगर हम देखें तो पूरा विश्व लगभग दो खेमों में बंट गया था। एक खेमा था कैपिटलिस्टिक स्टैट का जिसमें पूंजीवाद उपनिवेशवाद जोरों पर था तो आधा विश्व लगभग उस तरफ बंटा हुआ था और दूसरी तरफ सोशलिस्ट या कम्युनिज्म, समाजवाद आध ा विश्व समाजवाद की तरफ बंटा हुआ था। 1917 में चूंकि उस समय मजदूरों का कैपिटलिस्टिक स्टैट में बहुत ज्यादा शोषण होता था, वर्किंग ऑवर्स कोई तय नहीं थे। मिनिमम वेज कोई तय नहीं थे और 18–18 घंटे काम करने के बाद भी मिनिमम लिविंग स्टैण्डर्ड के हिसाब से भी उनको वेजिज नहीं मिलता था। इसी दौरान 1917 में रशिया में वॉल्शेविक क्रान्ति हुई। यहीं से एक डिमाण्ड सभी देशों के बीच से शुरू हुई कि मजदूरों का कुछ होना चाहिए। उसी डिमाण्ड के तहत इण्टर नेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन का गठन हुआ। इण्टर नेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन के गठन के बाद ये महसूस किया गया कि कानून बनाते वक्त मजदूरों के काम के घंटे और मिनिमम वेजिज निर्धारित करते वक्त कोई भी खेमा

ऐसा न रह जाये, जो अनसुना हो। किसी पक्ष के साथ अन्याय न हो। इसीलिए इसको ट्रि–पैट्राइट के तहत रखा गया। जिसमें एक पक्ष एम्पलायर का जिसमें एम्पलाई के रिप्रजेन्टेटिव्स होते थे, दूसरा पक्ष एम्पलाई का जिसमें एम्पलाई के रिप्रजेन्टेटिव्स उसमें हिस्सा लेते थे और तीसरा इन्डीपेडेन्ट पक्ष जो निष्पक्ष रूप से सही और गलत के फैसले में निर्णय दे सकते थे। जिसमें इण्टरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन के सामने उसकी रिपोर्ट 30 मई, 1928 को आई और 16/6/1928 को उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, रिकमण्डेशन हुआ। इस बीच कुछ मुद्दो को ध्यान में रख गया जैसे; The Employer and workers in the trade are a part of trade whose views on matters relating to the fixing of minimum wages should in any case be solicited and be given full equal consideration दूसरा जो इण्टरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन ने इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया, जो रखा गया कि इसको फिक्स करने से पहले इसको विशेष रूप से ध्यान में रखा जाये, वह था to secure greater authority for rates and may be fixed it should be in the General policy that the Employers and workers concerned whose representatives equal a number of having equal voting strength should jointly take a direct part in the deliberations and the decisions of the Wage Fixing Body. In any case where representation is accorded to one side, the other side should be represented on the same footing. The Wage fixing Body should also include one or more independent person whose vote can ensure effective decisions being reached in the event of wars of the employees and workers representatives being equal divided such independent person should, as far as possible be selected in agreement with or in consultation wth the employer and worker's representative on the Wage Fixing Body. यानी तो तीसरा पक्ष रख गया इण्डीपेन्डेन्ट। वह भी दोनों की कन्सेन्ट से रखा जाता है। उसके बाद में

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में मिनिमम वेजिज एक्ट 1984 में पास हुआ और आज मैं बड़े फख्र के साथ ट्रिब्यूट पर करना चाहता हूं भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी को उस वक्त के लेबर मिनिस्टर भी थे और प्रथम कानून मंत्री भी थे। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा। उन्होंने इस बात का बखूबी ध्यान रखा कि जो महिलाएं फैक्ट्रियों में काम करती हैं और प्रसव के समय उनको छुट्टी लेनी पड़ती है तो उनको तनख्वाह नहीं मिलती। यहां तक कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। उन्होंने मैटरनिटी लीव का प्रोविजन रखा।

दूसरी बात, हमारे देश में जिस तरह फैक्टरी मालिक मजदूरों से 18–18 घंटे काम लेते थे और कोई क्रइटेरिया ऑफ वेज का नहीं था कि कितना दिया जाये। तो पहली बार उस आवश्यकता को उन्होंने समझा, मिनिमम वर्किंग आवर्स तय किए और मिनिमम वेज तय किया। साथ ही साथ ओवर टाइम की व्यवस्था की कि अगर उससे ओवर टाइम काम लेना है मजदूर से तो मजदूरी को प्रति घंटे प्रवेलिंग रेट के डबल के हिसाब से पे किया जाता। इस प्रक्रिया के तहत धीरे–धीरे हमारे देश में मिनमम वेजिज एक्ट 1948 लागू हुआ। लेकिन समय–समय पर हमारे इस मिनिमम वेजिज एक्ट में परिवर्तन हुआ।

पंजाब ने किया, मध्य प्रदेश ने किया, उत्तर प्रदेश ने किया। इसी तरह समय–समय पर जैसे–जैसे जरूरत पड़ती रही, वैसे–वैसे अमेंडमेंट मिनिमम वेजेज एक्ट के अंदर किए गए प्रदेशों की सरकारों के द्वारा। आज क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि हमारी सरकार को अमेंडमेंट लाना पड़ा? उस पर मैं सिर्फ दो मिनट बात करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा।

v/;{k egkn; % ज्यादा लम्बा न करिये। कन्क्लूड कीजिए।

Jh jktUn iky xkSre % अध्यक्ष जी, आप घड़ी देखें, पांच मिनट से पहले खत्म कर दूंगा।

v/;{k egkn; % पांच बजे से पहले तो और भी हैं।

Jh jktUn iky xkSre % सर, तीन मिनट में कर देता हूं।

v/;{k egkn; % मेरी बात सुनिये। कम से कम बारह लोगों ने बोलना है।

Jh jktUn iky xkSre % सर, सिर्फ तीन मिनट और। इसके पश्चात् पिछले कुछ सालों में हमने यह देखा है कि जब से मल्टी नेशनल कंपनीज के प्रेशर में, मल्टी नेशनल कम्पनीज जब से इंडिया में आई, लगभग 1990 के दशक में, उसके बाद में लगातार मजदूरों के संबंधित कानूनों में लगातार बदलाव हुआ और वो बदलाव इस कद्र हुए हैं, अगर आप 1990 से पहले की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजमेंट को देखे, तो वो जजमेंट मजदूरों के फेवर में आती थी। मगर आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स को देखे, तो ज्यादातर जजमेंट मजदूरों के खिलाफ आ रही हैं। चूंकि मल्टी नेशनल कंपनीज के प्रभाव में कानूनों को बदल दिया गया है, जो बेहद खेद का विषय है। लेकिन यह अमेंडमेंट लाने के लिए हमारी सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जो सरकार के अंदर, चूंकि आंदोलन से यह पार्टी निकली है और आंदोलन के बीच हमने, गरीबों के बीच रह कर, मजदूरों के बीच रह कर उनके दुख–दर्द

को अहसास किया है और वो अहसास इस कद्र है, यहां तक कि हमारे अपनी सरकार में पिछले कई सालों में यह देख रहे हैं दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूलों के अंदर और दूसरे जो सरकारी विभाग है उनके अंदर, जो लोग सिक्योरिटी का काम करते हैं, जो लोग सफाई का काम करते हैं हाउस कीपिंग का, इस तरह का जो लोग काम करते हैं, अगर मिनिमम वेजेज 9042 समथिंग है तो उनको 4–5 हजार केवल दिया जा रहा है। यह हमारी पिछली सरकार बनने के टाइम पर हमने बड़ी आक्रामकता के साथ इस पर हमला किया था और कई हॉस्पिटल्स के अंदर उसको हमने बढ़वा कर उस वक्त मिनिमम वेज के पास लेकर आये। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटलों में जो–जो एजेंसीज, जो कांट्रेक्टर्स जिन लोगों को यह जिम्मा है, इस तरह के एम्प्लॉइज को रखने का, जिनके माध्यम से एप्लॉइज रखे जाते हैं, उनका लगातार शोषण हो रहा है, लगातर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और अगर कोई मजदूर उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ कोर्ट में जाता है लेबर कोर्ट में, तो वो ठेकेदार उसको नौकरी से निकाल देता है। इसी बात को लेकर मैं, स्वयं मेरे कई सारे साथी विधायक माननीय मंत्री गोपाल राय जी से मिले, तो उन्होंने उस एक्ट के अंदर कुछ खामियां पाई उसमें जो पनिशमेंट था, वो बहुत माइनर था या मोनेटरी था तो माननीय मंत्री जी ने जो एक्ट के अंदर बदलाव किए हैं, कुछ तो इस तरह के बदलाव हैं जो 'appropriate Government' की जगह National Capital Tarritory of Delhi होगा उसकी बजाय, मैं सीधा उस पर आता हूं, जो पनिशमेंट वाला पोर्शन उन्होंने डाला है जो बहुत इम्पोर्टेण्ट है, जैसे उन्होंने एक अमेंडमेंट 3(a) के रूप में है 'During the pendency

of the proceedings/enquiry in the application preferred by the workman under sub-section (2), the workman shall not be retrenched, dismissed, terminated or laid off without the prior approval of the authority before whom the application is pending' इसके लिए मैं थम्पिंग से धन्यवाद करूंगा, अपने माननीय मंत्री जी का चूंकि जो लोग कोर्ट का सहारा लेते थे, जो लोग लेबर कमिश्नर के पास केस डालते थे, उन लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाता था। इस अमेंडमेंट में आ जाने के बाद किसी कान्ट्रेक्टर की, इस तरह से एम्प्लॉयर की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो लोग मजदूरों को शिकायत करने पर नौकरी से निकाल सकें। इसके लिए मंत्री जी का बहुत–बहुत आभार। साथ ही साथ जो इन्होंने पनिशमेंट सैक्शन 22 में बदला है जो 500 रुपये केवल था, उसके बदल कर उन्होंने, उसको मिनिमम कर दिया 'fifty thousand rupees or imprisonment for three years or both' जो लोग 500 रुपये देकर छूट जाते थे, डरते नहीं थे, मजदूरों का शोषण करते थे, आज उन्हें 50 हजार रुपये की पैनल्टी प्लस साथ ही साथ तीन साल की सजा भी हो सकती है और दोनों भी हो सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं और जौ उन्होंने पैरा 14 में Article 22 (a) के अंदर जो अमेंडमेंट लाये हैं, अभी मैंने बताया इसमें in place of 'five hundred rupees' the following words shall be inserted' twenty thousand rupees or imprisonment for one year or both' जो सैक्शन 22(ए) में लेकर आये हैं मंत्री जी, उस अमेंडमेंट को करके कि 500 रुपये की बजाय 25 हजार रुपया या एक साल की सजा या दोनों। इस तरह जो शोषण की प्रक्रिया सालों में चली आ रही थी, वो हमारे माननीय मंत्री जी के इस प्रयास से दिल्ली सरकार के

द्वारा लाये गये इस बिल से मैं समझता हूं मजदूरों को शोषण में छुटकारा मिलेगा। एक और अमेंडमेंट मंत्री जी लेकर आये हैं Section 22(b) में after sub-section (2) of section 22(b) of Act 11 of 1948 sub-section (3) shall be added 'the court before whom the prosecution complaint is made under Section 22(a) and (b) of the Act shall dispose of the same whithin a period of three months from the date of making of the complaint'.

v/;{k egkn; % गौतम जी, कनक्लूड कीजिए प्लीज।

Jh jktUn iky xkSre % यानी कंप्लेंट जिस दिन की जाये, तीन महीने के अंदर उसको निर्णय देना होगा और साथ जो मजदूर का काम करते हैं वेबसाईट पर उनके नाम को डालना पड़ेगा ताकि मजदूरों को पहले से पता हो, उन्हें कहीं से अपनी डाटा इकट्ठा न करना पड़े। इतने महत्वपूर्ण बिल को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री का आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं और जो एक्ट मीडिया कर्मियों के बारे में लेकर आये हैं, उसमें मुझे सिर्फ एक बात और जोड़नी है बहुत अच्छा संशोधन मंत्री जी लेकर आये हैं पर मिनिमम वेजेज के साथ–साथ चूंकि जो मीडिया कंपनी है, अगर उनको देखें वो मिलियनियर्स होते जा रहे हैं, अबरपति बनते जा रहे हैं, वहां मिनिमम वेजेज नहीं, उससे हट कर जितनी उनकी इनकम हो रही है, उस हिसाब से उनको उसका लाख मिलना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री नरेश यादव जी।

Jh ujs'k ;kno % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इतने महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में जो संशोधन के लिए विधेयक, 2015 न्यूनतम वेतन दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2015 लाया गया है, यह बहुत सोच–समझ कर और इस पर बहुत ही डिस्कशन हुआ है और इसके ऊपर सारे एनजीओज से या जितने भी हमारे संगठन हैं, जो मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, उन सबसे चर्चा करके और पहले जो हमारा विधेयक था, उसको पूरी तरह से जांच के कि क्या वजह थी जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के होने के बावजूद भी हमारे मजदूरों को, हमारे कामगारों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही थी। सभी जानते हैं, सारे सदस्यगण जानते हैं कि मजदूरों का शोषण हमारे यहां दिल्ली में हो रहा है और ये प्राइवेट कान्ट्रेक्टरों के द्वारा ही नहीं हो रहा है। यहां तक भी पाया गया माननीय मंत्री जी ने जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी उन लोगों से मीटिंग्स की और वहां भी पता लगाया कि क्या सरकारी विभागों में मिनिमम वेजेज दी जा रही है। क्या कन्ट्रेक्टर अपने उन सारे कामगारों को न्यूनतम वेतन दे रहे हैं या नहीं। इस तरह की कई मीटिंग्स की गई और उसके बाद में इस विधयेक को लाया गया। इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय श्रम मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना सराहनीय कदम उठाया है, जो हमारे यहां दिल्ली में मजदूर, जो हमारे कामगार, श्रमिक जिनको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनका गुजारा नहीं होता। पेपर्स के अंदर तो न्यूनतम वेतन दिखाया जाता है, बहुत सारे कान्ट्रेक्टर्स ऐसे हैं। पेपरों के अंदर जो न्यूनतम वेतन दिखाया जाता है बहुत सारे कॉट्रेक्टर ऐसे हैं जो पेपर्स के अंदर न्यूनतम वेतन दिखाते हैं लेकिन उनके बैंक अकाउंट खुलवाकर,

उनके एटीएम से पैसा निकाल दिया जाता है। सारी फार्मेल्टीज पूरी कर दी जाती है। न्यूनतम वेतन का कोई भी केस अगर हमारे डिप्टी–लेबर कमीशनर के पास जाता है तो हमारा श्रमिक सालों–साल धक्के खाता रहता है। उसके समाधन का कोई टाइम नहीं है। उसको किसी तरह का कोई न्याय नहीं मिलता। वो यूनियन्स के चक्कर में पड़ जाता है। यूनियन्स भी उसका शोषण करती है। तो जिस तरह से शोषण हमारी दिल्ली में मजदूरों का हो रहा था, उस सबको ध्यान में रखते हुए जो माननीय श्रम मंत्री जी ने जो इस विधेयक में संशोधन पेश किये हैं, उसमें सबसे पहला जो एक संशोधन जो मुझे सबसे अच्छा लगा उसमें ये है कि जो सेक्शन '22–बी' में जो भी कोई न्यूनतम मजदूरी के संबंध में कोई भी शिकायत अगर हमारे डिप्टी–लेबर कमीशनर के यहां कोई मजदूर डालता है तो वो तीन महीने के अंदर उसको डिस्पोज–ऑफ करना पड़ेगा। तो ये टाइम तय हो गया कि तीन महीने के अंदर–अंदर उसको न्याय मिल जाएगा जो इससे पहले कभी इसमें संभव नहीं था। इसके अलावा जो मजदूरी नगद मिलती थी, अध्यक्ष जी, उसको इस संशोधन विधेयक के जरिये उसमें ईसीएस और चैक के द्वारा मिलेगी जिससे कि हमारे मजदूर साथियों को अपना अकाउंट खोलकर और उनको वो देना पड़ेगा और इसके साथ–साथ जहां भी न्यूनतम मजदूरी की अवहेलना और उसमें कमी पाई गई तो उसके लिए 'सेक्शन–22 और 22ए' में जो फाइल सिर्फ पांच सौ रुपये था उसको मिनिमम पच्चीस हजार से पचास हजार और जो कारावास की अवधि सिर्फ छह महीने थी, उसको एक साल से तीन साल कर दिया और वो दोनों भी दिये जा सकते हैं। इतने कड़े कारावास और सजा के प्रावधान के चलते मिनिमम वेजेज में जो

अवहेलना हमारे कॉट्रेक्टर्स, नियोक्ता और जो इम्पलॉयर कर रहे थे, उस पर लगाम लगेगी। इस विधेयक के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय श्रममंत्री जी को बधाई देता हूं कि ये इस तरह का एक विधेयक है जिसमें अगर कोई मजदूर अपनी कंप्लेंट देता है, आज के समय में इस संशोधन विध ोयक से पहले जो कंप्लेंट देता था अगर वो किसी इम्प्लॉयर की कोई शिकायत लगाता था तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता था। इस विधेयक में ये भी संशोधन किया गया है, जो 'सेक्शन 20' में 'सब–सेक्शन–3ए' जोड़ा गया है कि उसकी कंप्लेंट पेंडिंग होते हुए उसको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता जब तक कि हमारे डिप्टी–लेबर कमीशनर से उसकी इजाजत न मिल जाए। इसमें वो सब प्रावधान किये गये हैं जिससे कि मिनिमम वेजेज को हम अपने कामगार, अपने श्रमिक, अपने मजदूर भाइयों को हम दिलवा सकें और उसके साथ न्याय कर सकें।

इसके अलावा जिस दूसरे विधेयक पर मैं जो बोलना चाह रहा हूं वह The Working Journalists and Other Newspaper Employees Conditions of Service and Miscelleneous Provisions, Delhi (Amendment) Bill, 2015 है, इसमें जो हमारे पत्रकार और समाचार पत्र कर्मियों को जो वेतन मिलता था, उसके लिए एक मजीठिया वेतन बोर्ड का गठन किया गया था, केन्द्र सरकार के द्वारा लेकिन उसकी जो भी रिकमंडेशन्स थीं वो राज्य सरकार को लागू करनी थी लेकिन ये कहीं भी लागू नहीं की गईं क्योंकि इसका जो एक्ट था उसमें बहुत ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं था। उसमें केवल दो सौ रुपये का एक फाइन लगता था जिसको अब बढ़कार पांच हजार और जिसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है छह महीने का। अगर उसका उल्लंघन कंटीन्यू होता है तो दो

सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रति कर्मचारी भी रखा गया है। उसके बाद भी अगर पुनः उल्लंघन होता है तो उसमें दस हजार का प्रावधान है और एक साल तक की सजा और एक हजार प्रतिदिन के हिसाब से रखा गया है जिससे कि हमारे पत्रकार भाई, समाचारपत्र कर्मी जो उनको वेतन में नहीं दिये जाते थे उसमें ये कानून आने के बाद में काफी सुधार होगा और उनको उनका न्याय मिलेगा, उसका वेतन मिलेगा और मैं इन दोनों विधेयकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय श्रम मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने श्रमिकों के लिए भी और पत्रकार–समाचारपत्र कर्मियों के लिए भी बहुत अच्छा इसमें सारे प्रावधान किए है जिससे कि उनके वेतन को मिलने में बहुत आसानी होगी और ये दोनो बहुत ही मील का पत्थर साबित होंगे, बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री सहरावत जी।

duy fnoUn lgjkor % अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान न्यूनतम मजदूरी दिल्ली संशोधन विधेयक, 2015 की ओर दिलवाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो दिल्ली में आज मजदूरों का हाल है वो मेरे ख्याल से किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस हिसाब से हम देखते हैं कि मजदूर बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, अच्छे वस्त्र दिलवाना, उनका खाना–पीना, रोटी–कपड़ा जो है, ये भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि हमारी सरकार ने ये जो संशोधन विधेयक में किया है, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, खासकर के हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी श्री गोपालराय जी इनका धन्यवाद करता हूं। पहले

जो सजा का प्रावधान था और फाइन जो लगता था, जैसे पांच सौ रुपये और छह महीने की सजा का प्रावधान था तो इस संशोधन में सरकार द्वारा जो है पच्चास हजार से पचास हजार फाइन का प्रावधान किया गया और एक साल से तीन साल के लिए सजा का सख्त प्रावधान किया गया। कई जगह मजदूरों का शोषण हो रहा है और फैक्ट्री मालिक जैसे तनख्वाह चार हजार रुपये देते थे और मजदूरों में दस्तखत ज्यादा अमाउंट पर करवा लेते थे। उससे पहले मजदूर अपना कोई केस डालते हुए भी डरता था। मान लीजिए अगर कहीं कोर्ट में केस डाल दिया गया तो ठेकेदार या फैक्ट्री मालिक उनको नौकरी से हटा देगा तो इस तरीके से मैं बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं मंत्री जी का, सरकार का और मुख्यमंत्री जी का। ज्यादा समय न लेते हुए जैसा कि मेरे भाइयों ने नरेश जी ने, गौतम जी ने डिटेल में बहुत कुछ बताया तो इस संशोधन के लिए धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री जगदीश प्रधान जी।

Jh txnh'k iz/kku % आदरणीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं इसमें दो–तीन बातें कहना चाहता हूं। एक तो जो अभी मैं इस विधानसभा में जैसा हमारे यहां कुछ आदमी रखे गये हैं, मैं किसी से पूछ रहा था कि भइया, कब से लगे हो आप तो कहने लगे अभी एक महीने से कोई बीस दिन से लगे हैं। आपको क्या तनख्वाह दी जाती है साढ़े सात हजार रुपये। अब साढ़े सात हजार रुपये सुनकर मुझे बड़ा अटपटा सा लगा कि शायद ठेकेदार जिनके थ्रू ये लगे हैं वो बारह हजार रुपये एक

आदमी का लेता है। उसमें साढ़े सात हजार रुपये एक मजदूर को मिले तो मजदूर कहने लगा मेरे यहां जो लड़का काम करता है, एक–दो हजार रुपये तो किराये में खर्च हो जाते हैं हमारे आने में। बचे साढ़े पांच हजार रुपये अब साढ़े पांच हजार रुपये में एक आदमी पूरे दिन काम करे तो मैं समझता हूं कि वो वेतन बहुत कम है। तो मैं एक–दो बात और इसके बीच में जोड़ना चाहता हूं कि अभी भावना गौड़ जी ने अबसे पहले कुछ बात कही कि जलबोर्ड में जो कर्मचारी थे, जो हमारा खुदाई का काम करते है, पलम्बर का काम करते थे उनको मेरे विचार से 1990 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है वहां पर यही हाल फ्लड डिपार्टमैंट का है। वहां भी 1990 के बाद में कोई भर्ती नहीं हुई है। जितने भी कर्मचारी जो थे मजदूर टाईप के वो सब बुजुर्ग हो चुके हैं उनके बस का काम करना नहीं है, और जहां तक मैं भ्रष्टाचार की बात कहूं तो मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भर्ती पर रोक लागई हुई है, इस भर्ती को खोला जाए और हमारे फ्लड मिनिस्टर गोपाल राय भी हमारे बीच में है, उनसे भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि फ्लड डिपार्टमैंट के अंदर जो चार–पांच साल से मैं भ्रष्टाचार देख रहा हूं, मैं कुछ दिन में नमूना पेश करूंगा कि एक–एक विधान सभा के अंदर दस से लेकर 20–20 करोड़ रुपये तक के घोटाले हैं। मैं उसका प्रूफ आपके सामने पेश करूंगा। अगर वो पैसा अभी विजेन्द्र गुप्ता जी ने कहा था कि 1978 में केवल 165 करोड़ रुपया पूरी दिल्ली का बजट होता था, आज 41 हजार करोड़ पूरी दिल्ली का बजट है और ऑडिट में जो 800 लोग काम करते थे, ऑडिट डिपार्टमैंट में उनकी संख्या घटकर 600 रह गई है और दूसरी तरफ उसका हमारा बजट इतना बढ़ गया है। अगर

हमारी जांच करने वाली टीम मजबूत हो तो जिस बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कि जो भ्रष्टाचार है एक–एक जेई, एक–एक एई दो–दो, तीन–तीन करोड़ रुपया भ्रष्टाचार करके अपने घर में जेब भरते जा रहे हैं। उसका मैं प्रूफ दूंगा आपको, बड़ी जिम्मेवारी कह रहा हूं। मैं पूरी डिटेल दूंगा मैं आपको कि बजट सैंक्शन कराते हैं एक करोड़ रुपया टैंडर होता है 50 लाख रुपये का, जो 50 लाख रुपये बचा, उसका कोई अता–पता नहीं है, किसी को भी कि वो 50 लाख रुपया कहां गया। मैंने कुछ डिटेल मंगाई हैं और मेरी विधान सभा के अंदर भी अभी एक साल के अंदर जो नौ महीने के अंदर काम हुए हैं, पिछले बार जो टैंडर हुए थे, मुझे लगता है कि वहीं कम से कम चार से पांच करोड़ रुपये का घोटाला मेरी विधान सभा के अंदर हुआ है, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

v/;{k egkn; % जगदीश जी, ये इसके साथ नहीं है जुड़ा हुआ।

Jh txnh'k iz/kku % सर, मैं भी तो वही कह रहा हूं मजदूर को मजदूरी कैसे मिले, सरकार इस बारे सोचे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और हम लोगों को नौकरी दें, अगर आप नौकरी देंगे किसी को 15 हजार की, 20 हजार की तो लोगों भला होगा, तो विधेयक जो आप ला रहे हो लोगों के लिए मैं उसका समर्थन करता हूं, जो लोगों को न्यूनतम तनख्वाह 7500 हजार यहां दी जा रही है, उनकी कम से कम 15 से 20 हजार रुपये तनख्वाह होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों का पेट भर सके, धन्यवाद। जय हिंद।

v/;{k egkn; % अनिल बाजपेयी जी।

Jh vfuy ckt i;h % सबसे पहले मैं माननीय श्री गोपाल राय जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज वे मजदूरों के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव लेकर आए हैं और जिसकी जरूरत दिल्ली के लोगों को थी, अगर आप हम सभी सदस्य लोग कल्पना करें पिछली सरकारों का सबने हाल देखा है और पिछली सरकारों द्वारा आज तक मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं सोचा गया। कम से कम जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हमारे मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित हैं यहां कम से कम हमारी सरकार ने उन मजदूरों के बारे में सोचा है जो पिछली सरकार के लोगों ने नहीं सोचा। इसके लिए मैं तहे दिल से गोपाल राय साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि गोपाल राय साहब का जीवन संघर्ष पूर्ण जीवन रहा है, आंदोलन से वो जुड़े हुए हैं और एक कहावत है कि वो क्या जाने पीर पराई जिसके पैर ना फटे बिवाई, सभी लोग जानते हैं कि गोपाल राय साहब ने खुद भी स्वयं देखा है, आपका क्षेत्र भी उसमें आता है, जब हम लोग मजदूरों की समस्याओं को जब लेकर मंत्री जी के पास गए तो उनकी हमेशा उनका सोफ्ट कॉर्नर मजदूरों के प्रति रहा है, और इसीलिए उनकी दिल की भी इच्छा थी सरकार की भी इच्छा थी कि इस तरीके का प्रस्ताव यहां पर लाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय यहां पर उपस्थित हैं। क्या दिल्ली के अंदर जिस तरीके से मजदूरों का शोषण पिछली सरकारों के द्वारा किया गया, इहबास के अंदर अस्पताल में, मैं और माननीय अध्यक्ष महोदय जब वहां दोनों विजिट करने के लिए गए तो वहां के सैकड़ों मजदूरों ने हम लोगों को पकड़ लिया और हम लोगों को कहा कि साहब, हम लोगों को तनख्वाह

पूरी नहीं मिलती है। अध्यक्ष महोदय ने और हम लोगों ने उनको, अपने कमरे में बुलाया, ठेकेदारों को बुलाया और उनसे कहा कि उनकी आज तक इनकी जो मिनिमम मजदूरी है, वो क्यों नहीं दी जा रही है? ये अध्यक्ष महोदय जी की भी पीड़ा थी और हम लोगों ने उस अस्पताल के सभी मजदूरों को उनकी पूरी तनख्वाह दिलाई। इसी तरीके से हैडगेवार अस्पताल में था और दिल्ली के अंदर मैं समझता हूं कि जो मजदूरों का हक मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा था। गांधी नगर विधान सभा की मैं बात करूं। एक लाख से अधिक मजदूर मेरी विधान सभा में जो लोग काम करने के लिए आते हैं उनका ना तो प्रोविडैंट फंड कटता है ना उनका ई.सी.एस. कभी उनका आज तक कटा और जब भी उन्होंने किसी भी अपनी फैक्टरी मालिक के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो या तो उनको बंद करा दिया गया या उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करा दिया गया। कम से कम इस प्रस्ताव के अंदर ये जरूर है कि इस तरीके से मजदूरों को शोषण, मजदूरी के साथ जो फैक्ट्रियों के मालिक करते थे, वो कहीं न कहीं इस कानून के दायरे में जरूर आएंगे। एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब भी यहां मौजूद हैं और मीडिया के सारे लोग यहां पर मौजूद हैं, मीडिया वाले हमारे बारे में कुछ भी छापें, हमारी सरकार के बारे में कुछ छापें लेकिन असली सोच और उनके बारे में सोचने का जो काम किया है, वो हमारी सरकार ने किया है और हमारी सरकार के गोपाल राय साहब ने किया है इसके लिए मैं गोपाल राय साहब का धन्यवाद करूंगा, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egksn; % श्री मदन लाल जी।

Jh enu yky % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने इस अधिनियम को न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधन अधिनियम, 2015 पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री और रोजगार मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 1948 में बने इस कानून को संशोधित करने के लिए ये संशोधन बिल इस सदन में पेश किया। 1948 का बिल उस समय की जरूरत देश–काल और समय को ध्यान में रखते हुए जो बनाया था, आज वो बिल्कुल अप्रासांगिक हो गया। इस देश में या दुनिया के और अन्य भागों में हमें हमेशा पता चलता रहा कि मजबूत ने गरीब को शोषित किया गरीब का शोषण किया और उन्हें गुलाम बनाकर रखा। हमें ये भी पता है कि पुराने हमारे ग्रंथों में ये वर्णित है कि वहां दास–दासियों का आदान–प्रदान किया जाता था। शादियों के वक्त दासियां दुल्हन के साथ भेजी जाती थी वो काल आया जब हमने ब्रिटिशर से अपने शासन को अपने देश की आजादी को वापस लिया और अगले ही साल सन् 1947 में आजादी के बाद 1948 में जब ये देश आजाद हुआ तो इस साल 1948 का ये ग्यारहवां दिन था और उस समय के जो मजदूर थे उनकी जरूरतों को और उनके शोषणों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, हालांकि इस बिल पर समय–समय पर कई बार संशोधन हुए हैं परन्तु वो संशोधन कभी भी इतने कारगर नहीं हुए कि उससे मजदूरों के जीवन, मजदूरों की फैमली बैक ग्राउंड, मजदूरों के परिवार, मजदूर के बच्चों की जीवनयापन की जरूरतें और उनकी शिक्षा और रोजगार का ध्यान रखा जाए। ये पहला बिल है रोजगार के बारे में इस सदी का जब इन सब बातों को माननीय रोजगार मंत्री ने ध्यानपूर्वक इसकी रूप रेखा तैयार की और आज ये बिल यहां पेश किया। ये बिल दिल्ली राजधानी में न्यूनतम वेतन

अधिनियम 1948 को चेंज कर न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधन बिल विधेयक, 2015 कहलाएगा और इसकी संशोधन की रूपरेखा करते हुए माननीय मंत्री जी ने जो इस पर टिप्पणी की है, जो इसके उद्देश्य और कारणों का विवरण दिया है वो बहुत अच्छा है, उन्होंने लिखा है कि गुजरात और राजस्थान जैसे कुछ एक राज्यों ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 को और प्रभावशाली बनाने के लिए कई संशोधन किए हैं। इसीलिए इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार भी कामगारों के वेतन की न्यूनतम दरों में से उच्चतर दर सुनिश्चित करने के लिए ऐसा विधायी कानून पारित कराना चाहती है जो न्यूनतम मजदूरी कानून के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के पक्ष में हो। भिन्न–भिन्न श्रेणी वर्ग के कामगारों के लिए वेतन की न्यूनतम दरों की वास्तविक रूप में जांच कराने हेतु वेतन निर्धारण के सभी आवश्यक घटकों की आवश्यकता जांच के लिए जिसमें किसी कामगार की केवल मूलभूत आवश्यकताएं सम्मिलत न हो। अपितु उसमें भोजन, आवास, कपड़ा, बच्चों के लिए शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकताएं जैसे कल्याणकारी कार्य और सामाजिक दायित्व भी सम्मिलित हों। जिनका सामान्यता के लिए अनुसरण किया जाता है। जो अब से पहले इस कानून में कहीं भी न तो वर्णित थे, न ही इसका प्रावधान रखा गया था। न्यूनतम वेतन रिसीव करने के लिए दण्ड, बलात बढ़ाना, केवल लाभ सीधे अन्तरण के रूप में विधायी परिवर्तन करने के पर्याप्त नहीं होंगे। एक ऐसा कानून आना चाहिए जिसकी ये परिकल्पना करने के बाद ये संशोधन पेश किया गया है और इस लाभ को समेट कर श्रमिक कल्याण कानून के अन्तर्गत सभी कारगर कामगार लाये गये हैं और ये आम बात बन गयी है कि बहुत सारी संस्थापनाओं के बहुत सारे कार्य ऐसे कामगार

हैं, जिन्हें मजदूरी की न्यूनतम दरों से भी कम दरों पर तैनात किया गया है। मैं इसके जो प्राविजन्स हैं कि सेक्शन 11 में इसमें जो बहुत मूलभूत चेन्ज किया गया है, वो कहता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मूल अधिनियम के लागू होने से इसकी धारा 11 में उपधारा 1 में आये शब्द नकदी के स्थान पर कर्मचारियों के बैंक खाते में इसे इलेक्ट्रॉनिकली या एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा जमा कराना स्थापित किया जायेगा। ये सीधा–सीधा इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि पिछले सारे मजदूरों को जब भी पेमेन्ट दी गयी, वो पेमेन्ट कुछ और दी गयी। उनसे हस्ताक्षर किसी और एमाउन्ट पर कराये गये। हमने कल ही सदन में बहुत सारी चर्चा की है। हमारे बहुत सारे विधायक दोस्तों ने, माननीय उप मुख्यमंत्री ने बहुत जोर देकर इस बात पर कहा कि इस देश में टीचरों के साथ धोखा होता है और जहां पढ़े–लिखे टीचरों को नहीं बख्सा जा रहा है वहां उन मजदूरों को जो बिचारे बे पढ़े–लिखे हैं। जो बहुत ज्यादा असंगठित है। अगर उनका शोषण होता रहा तो एक केवल एक यही कानून है जिसके द्वारा उनके शोषण को रोकने की कोशिश की गयी है और आगे से उनको नकदी के स्थान पर इलेक्ट्रानिकली कम्प्यूटर के द्वारा और एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा उनकी मजदूरी देने का प्रावधान है। इसमें केवल एक और उपधारा भी जोड़ी गयी है जो बड़ी कारगर है कि जहां दिहाड़ी वेतन हो, वहां इसमें एक्जम्पट किया गया है परन्तु शर्त लगायी गयी है और ये इस बात का द्योतक है कि ये सरकार बहुत सेन्सिटिव है। बहुत ज्यादा जागरूक है। जब उन्होंने कहा है कि दिहाड़ी की मजदूर की तनख्वाह उसी दिन की उस मापदण्डों के आधार पर दी जाएगी जो गवर्नमेन्ट उस रूप में बनाये गये हों और वो

नकदी में भुगतान किया जा सकता है। इसमें आगे उपबन्ध है कि विशेष परिस्थितियां जो नियोक्ता के नियंत्रण से परे हैं। जैसे संस्थापक, संस्थापना में आग लगना, प्राकृतिक आपदायें, संस्थापना के नियोक्ता या निदेशक की मृत्यु और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी किसी अन्य परिस्थितियों में भी भुगतान नगदी में किया जा सकता है। इस बात का द्योतक है कि जो दिहाड़ी मजदूर है उसके पास बैंक एकाउन्ट नहीं है। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि उसे उसकी तनख्वाह उसके बैंक में दी जाए और चूंकि वो एक दिन के लिए, दो दिन के लिए दिहाड़ी कर रहा है, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। यहां धारा 14 में संशोधन किया गया है जो बहुत इम्पोर्टेन्ट है। उसमे लिखा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के लिए मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 14 में संशोधन किया गया है और उपधारा 1 में आये शब्द, नियोक्ता इस अधिनियम के अन्तर्गत या उस समय विद्यमान उपयुक्त सरकार की किसी विधि के अन्तर्गत निश्चित समय पर भत्ता की दर से अधिक दर पर जो भी अधिक हो, किये गये कार्य के लिए उसे प्रत्येक घण्टे या किसी घण्टे के भाग के लिए भुगतान करेगा। यह इन्श्योर किया गया है कि अगर वो रोजगार आदमी से अगर उसकी समयावधि से ज्यादा काम लिया जायेगा तो उसे उसके भुगतान के रूप में हर घण्टे के डबल रूप में उसकी तनख्वाह दी जाएगी। इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेन्ट एमेन्डमेन्ट है सेक्शन 20 में। यहां नौकरी से न निकाल दिया जाये किसी मजदूर को। इस बात की भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी गयी है और उसके उपधारा (2) में शब्द है कि जहां कहीं ऐसी किसी केस में जहां किसी मजदूर के साथ अन्याय हो रहा

है, उसकी कम्पलेन्ट जो इन्सपेक्टर अब तक फाईल करता रहा कोर्ट में। उसके अलावा एक और चीज इन्होंने जोड़ दी है कि अथवा कामगार द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा भी ऐसा कोई मुकदमा किसी कोर्ट में फाइल किया जायेगा। इसके साथ एक और बहुत ज्यादा इम्पार्टेन्ट बात की है कि ऐसा 3 का (क) उपधारा (2) के अन्तर्गत कामगार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कार्रवाई या जांच की देरी के दौरान कामगार की छंटनी, पद मुक्ति, पद से मुक्त नहीं की जायेगी। जिस अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र है अर्थात वो डिप्टी लेबर कमिशनर जिसकी कोर्ट में उस कामगार का मुकदमा पेन्डिंग हो, उसकी परमीशन के बिना उसकी छटनी नहीं की जाती। यह इन्श्योर किया जा रहा है उस कामगार मजदूर को कि अगर उसने किसी इन्स्टीट्यूशन, किसी आर्गनाईजेशन के खिलाफ आवाज उठायी तो उसे भय नहीं होगा कि उसे नौकरी से हटा दिया जाएगा। ये बहुत ज्यादा सोचा समझा और ये बताता है सरकार की नीति कितनी सैन्सिटिव है। इन्होंने इस अधिनियम के सैक्शन (12) में जो और एक उपबंध लाएं है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए मूल अधिनियम को लागू होने में इसकी धारा 22 में, 500/रु. जो 1948 के हिसाब से रखी गई थी, जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है, निम्नलिखित शब्द सम्मिलित किये जाएंगे, 50,000/रु. या तीन वर्ष का कारागार या दोनों। तो ऐसे किसी ऑफेन्स के लिए जो किसी कामगार के शोषण से सम्बन्धित हो अब 500/रु. की सजा का प्रावधान हटाकर उस पर या तो 50,000 हजार रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है, ये डिटरैण्ट है ऐसे भी कामगार इंस्टीट्यूशन के लिए ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो किसी कामगकार का शोषण

करता हो। यहां 22 (क) और इन्सर्ट की गई है इस संशोधन में जो कहती है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 22 (क) में आए सब 500/रु. के लिए निम्नलिखित शब्द समाविष्ट किए जाएगें। 30 हजार रुपये या एक वर्ष का कारावास या दोनों और ये एक नई सजा का प्रोविजन किया गया है। जिस में 20 हजार रुपये.....

v/;{k egksn; % मदन जी कन्क्लूड करिए प्लीज।

Jh enu yky % जी मैं खत्म कर रहा हूं। एक सबसे लास्ट। 22 (ख) उपधारा दो अधिनियम की धारा 22 (ख) में यहां संशोधन है कि न्यायालय के समक्ष अभियोग संबन्धी शिकायत की गई है व न्यायालय की शिकायत होने की तिथि से तीन माह के भीतर इसका फैसला करेगा। सर, आज के दिन तक अगर किसी मामले में किसी कामगार का मुकद्दमा चला गया। मैं कोर्ट का आदमी हूं, वहां छः महीने नहीं बल्कि 6 साल में भी इसका फैसला नहीं होता था। ये पहली बार सैन्सिटिविटी दिखाती है सरकार की जहां प्रोविजन किया है कि ऐसे किसी भी मुकद्दमें का फैसला कोर्ट तीन माह में उसको निपटाएगी और तीन माह के भीतर–भीतर उसको न्याय दिलाएगी। तो एक बहुत बड़ा ड्रास्तिकचेंज आएगा इस लॉ के बाद। एक सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेण्ट प्रोविजन इन्होंने किया है इस कानून में की जो भी लेबर काम करेगी, उन सब का वेबसाइट पर विवरण होगा। जिससे किसी भी कामगार की न तो छटनी होगी और न ही उसके साथ एक्सप्लायटेशन होगा, क्योंकि तब उसमें सारे पर्टिकुलर्स, उसकी अपनी योग्यता, उसका अपना वेतन और उसके काम करने का पद इसमें सम्मिलित

होगा। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय चीफ मिनिस्टर जी को कि उन्होंने अपनी दूरदर्शिता अपने ज्ञान और अनुभव के द्वारा माननीय रोजगार मंत्री के द्वारा इस बिल को यहां सदन में प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है कि ये सदन इसकी सैन्सिटविटी को इसको सब पास करेंगे और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं चाहता हूं कि ये बिल यहां पास हो। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री जगदीप सिंह जी।

Jh txnhi flag % अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह बिल जो है जर्नलिज्म को ध्यान में रखते हुए इस बिल को हम लोग लेकर आएं हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेण्ट बिल है। मैंने पीछे ही जितने भी हमारे इलैक्ट्रोनिक मीडिया के साथी हैं, जितने कैमरा मैन है उस सबसे जब ये बिल इन्ट्रोड्यूस होने पर इन सबसे चर्चा की, उनमें बात की, तो पता चला कि क्या–क्या दिक्कतें ये लोग फेस कर रहे हैं अपनी कम्पनियों में, अपने में अपने ऑर्गनाइजेशन में। वैसे तो टीवी पर कैमरा लेते हुए बहुत सुंदर दिखाई देते है, बड़ा अच्छा लगता है हमें कि ये लोग हवाइट कॉलर जांब कर रहे हैं। लेकिन उस कैमरे के पीछे या उस माईक के पीछे जो दर्द छुपा हुआ था, वो इनसे बात करके पता चला कि वो दर्द वाकई ही बहुत संजिदगी थी उसमें बहुत गम्भीरता दिखाई सरकार ने और मैं अपने श्रम मंत्री का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस पर संज्ञान लेकर इस पर जो चेन्जेज लेकर आए है, वे वाकाई सराहनीय है। जहां पर बात हुई कॉण्ट्रेक्चुअल लोग तो ये कैमरा मैने डर रहे थे बात करके कि मेरा नाम मत लेना। मैं बता तो रहा हूं लेकिन मेरा नाम मत लेना, कि

कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। इन्सेक्योरिटी ऑफ जॉब पैसे कटने का डर time boundation कहते हैं कि सवेरे भेज दिया है आधे घंटे की न्यूज होती है, सवेरे आठ बजे से हम जगते हैं रात को 12 बजे तक हम वेट करते रहते हैं कि इस न्यूज को हमें कम्पनी को देना है। ऐसी जगहों पर भेज दिया जाता है, जहां पर उनकी लाईफ बहुत इन्सेक्योर होती जब उनसे बात हुई तो इन लोगों से बताया कि कुछ साथी मुजफ्फर नगर कांड में मर गए वहां पर हरियाणा में एक संत की प्रोफाइल बनाने गये ये लोग, जिसका मंदिर...पता नहीं क्या बना हुआ था, वह टूट रहा था। इनके कैमरे तोड़ दिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए। इनकी कंपनियों ने जो इनको कहा कि मुआवजे के रूप में देंगे, वह 50 हजार रु. भी आज तक नहीं दिया। बहुत दिक्कत थी। कहीं खाने पीने के पैसे नहीं दिए जाते। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती है उनके लिए। अभी पीछे बात हुई कि एक बहुत ही मशहूर चैनल के कांट्रेक्टचुअल रिपोर्टर हैं, मेरी उनसे बात हुई, उसने अपने मालिक से बोला कि मेरे यहां बच्चा हुआ है, मुझे आज छुट्टी दे दीजिए। वह घर गया मालिक नहीं था, मैनेजर था, बोल कर गया था। घर गया। अगले दिन रिपोर्ट करने पहुंचा। उसने सोचा कोई नई न्यूज के लिए फोन आया है। उसको वहीं पर कह दिया गया कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। कल से आप नौकरी पर मत आइये। शर्म आती है ये बात सुनते हुए। No job jo security। आज हम ये बिल लेकर आये हैं। जिसमें इनकी कम्पनियों के मालिकों को सरकार ने बोला है कि कोई भी ऐसी शिकायत आती है, तो जहां 500 रु. का फाइन होता था पहले, आज उसे 5000 रु. कर दिया जाता है। दुबारा शिकायत आती है तो उसको दस हजार रु. कर दिया जायेगा। अगर

बहुत संगीन होगा तो एक साल की कारावास दी जा रही है। ये एक बहुत सराहनीय स्टैप लिया गया है सरकार की तरफ से, मैं सरकार को बहुत मुबारक देता हूं। मेरी मंत्री जी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मजीठिया रिपोर्ट में और बड़ी सारी चीजें ली गयी हैं। एक बार और रिव्यू करके ये जितनी कम्पनियां हैं, अगर तीन साल से ज्यादा कोई भी रिपोर्ट या कोई भी कांट्रेक्ट पर है, तो उसे रेगुलर करना चाहिए। उसको एक जॉब इन्सेक्युरिटी फील होती है कि कल उसके घर में रोटी बनेगी या नहीं बनेगी। वह सिक्योरिटी की फील आनी चाहिए, वह रात को चिन्ता ग्रस्त नहीं सोना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा बातें न करके यही बात रखूंगा कि यह बिल जो लेकर आये हैं, सरकार चारों तरफ एक एक आदमी से जाकर बात कर रही है। एक गाना है न मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो हाल यू पूछे कि तेरा हाल क्या है...तो आज वो आम आदमी पार्टी की सरकार यही कर रही है कि घर में जाकर हर टूटे हुए दिल से ये बात कर रही है कि आज तेरा हाल क्या है...आज तेरा टूटा हुआ दिल हम जोड़कर कर देंगे। आजादी के इतने साल बाद एक ऐसी पार्टी आयी है, जो इतना बड़ा बदलाव लायी है। मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं पूरा सरकार को कि जो एक झुग्गी से लेकर एक बड़ी इमारत तक हर किसी का दर्द समझ रही है। उससे जाकर बात कर रही है। जय हिन्द, जय भारत, जय हिन्दुस्तान।

v/;{k egkn; % धन्यवाद। सौरभ भारद्वाज जी।

lkjHk Hkkj}kt % अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। एक शिकायत है कि

असेम्बली के अंदर कॉलर माइक्स भी, मुझे लगता है कि आने चाहिए। इसके न होने की वजह से कई बार हमें झुकना पड़ता है। मदन लाल जी सामने से कहते रहते हैं कि सीधे....

...(व्यवधान)...

lkjHk Hkkj}kt % बिजेन्द्र जी, मैं आपके नाम से कुछ लिखकर लाया था। मैं बोलने वाला था। आजकल आप हाउस में बहुत मुस्कुराते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। कहीं ये सोहबत का असर तो नहीं है मीडिया के कर्मी भी आज बहुत मुस्कुरा रहे थे जब जगदीप भाई जी बोल रहे थे कि जो ये खूबसूरत चेहरे हैं, इनका बहुत दर्द.....तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हों....क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। अध्यक्ष जी, कल विधान सभा के अंदर कवि सम्मेलन और मुशायरा भी है, इसलिए मैंने एक शेर शुरू में पढ़ दिया। जो मजीठिया कमेटी की रिपोर्ट थी, मुझे लगता है कई सालों से, कई कोर्ट्स इसके बारे में कह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में इस रिपोर्ट को लागू किया गया, मगर सच्चाई यह है कि ग्राउंड पर यह रिपोर्ट आज भी लागू नहीं की गई है। मैं अपने पत्रकार मित्रों से माफी भी मांगना चाहूंगा कि कई दफा हमने अपने पत्रकार मित्रों से इसी सदन में थोड़ा सा रुष्ट होकर बात की। कई बार इनकी बातों पर हम थोड़े नाराज हुए कि भई, आप इस तरह से क्यों रिपोर्टिंग करते हैं? क्योंकि आप लोग हमेशा सामने आते हैं इसलिए आपकी तरफ यह बात उठती है। मगर आज मुझे इस चीज का बहुत मलाल है कि हमने आपको यह बात कही। दरअसल आप लोग भी उसी तरीके से इस सिस्टम का शिकार हैं, जिस

तरीके से बाकी लोग इस सिस्टम का शिकार होते हैं। मैं एक शेर कहना चाहूंगा आपके लिए, जो मलाल मुझे हुआ आपके लिए।

v/;{k egkn; % सौरभ जी, इधर देख कर बात करें, प्लीज।

Jh lkjHk Hkkj}kt % जी सर।

v/;{k egkn; % मैं भी आपके मुंह से शेर सुनना चाहता हूं, कैसा लगता है।

Jh lkjHk Hkkj}kt % कत्ल करके मुझे, कातिल ने बहुत हाथ मले,
जब उसने मेरे तड़पने का सलीका देखा।

तो हमें खुद बहुत दुःख हुआ कि हमने अपने पत्रकार भाइयों के बारे में कई बार ऐसा कहा, जबकि वो खुद इस सिस्टम के बहुत बड़े शिकार रहे हैं और आज हमारी सरकार यह जो बिल लेकर आई है, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो फर्क इनकी जिंदगी में इस बिल के बाद आना चाहिए क्योंकि बार–बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी अगर मजीठिया कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं हुईं तो एक बहुत बड़ा झालमेल था। मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार जो रही, स्टेट गवर्नमेंटस जो हमारी रहीं और जो मीडिया आर्गेनाइजेशंस थी, मेरा मकसद मीडिया के भाइयों की तरफ नहीं है, लेकिन जो इनके मालिकान है, वो बड़े–बड़े सेठ और साहूकार हैं, जिन्होंने मीडिया हाउसेस का धंधा या कहे व्यवसाय संभाला हुआ है। उन दोनों के बीच में, उन व्यवसायियों के बीच में और सरकारों के बीच में एक ऐसा झालमेल था, तालमेल नहीं, इसको झालमेल

कहा जाएगा, ऐसा झालमेल था कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी वो सिफारिशें लागू नहीं हुई। कई मीडिया के दोस्त इस बारे में पूछ रहे हैं, यह जो मजीठिया कमेटी की सिफारिशें थीं, जिनके प्रति आज सरकार बहुत सजग है, जिसमें हमने सजा को बढ़ाने के प्रावधान रखे हैं, क्या वे सिफारिशें और वे सजाए इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों के ऊपर भी लागू होंगी या नहीं होगी? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जरूर इसके बारे में सदन को आश्वस्त करें और सदन के माध्यम से पूरी दिल्ली को आश्वस्त करें कि क्या ये सिफारिशें और क्या ये सरकार का शिकंजा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी रहेगा या नहीं रहेगा?

दूसरी बात, जिस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने कमेटी की बात की है कि एक कमेटी होगी जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज के चेयरमैनशिप के अंदर रहेगी और वो कमेटी जांच करेगी, हर साल स्कूल के खातों की कि कितनी आय आयी और कितना पैसा इन्होंने स्कूल टीचर्स को बांटा। मुझे लगता है कि पत्रकारों के मामले में भी हमें कोई एक कमेटी, मैं यह नहीं कहता कि वो कमेटी सरकारी कमेटी हो, एक इंडिपेंडेंट कमेटी हो, जो हर साल इन पत्रकारों के खातों की भी जांच करे कि क्या वो तनख्वाहें जो कागज पर पत्रकारों को कहा जाता है कि इनको हम ये तनख्वाह दे रहे हैं। क्या वो तनख्वाहें वास्तविक तौर पर इनको दी जाती है या नहीं दी जाती है। क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि एसडीएम की रिपोर्ट भी जाती है तो दबाव के अंदर इन पत्रकारों से लिखवा लिया जाता है कि हमको इतनी तनख्वाह मिल रही है, हमको इतनी तनख्वाह मिल रही है जबकि हालांकि इनकी तनख्वाहें उससे काफी कम है। मैं मंत्री जी से इस चीज की सिफारिश करूंगा

कि इस तरीके की कमेटी अगर बन सकती हो इसके अंदर तो इसके बारे में भी सोंचे।

दूसरी बात, मुझे यह पता चली है कि बहुत बार इन पत्रकारों के ऊपर दबाव रहता है, जर्नलिस्ट के ऊपर दबाव रहता है कि अगर ये सरकार से इसकी शिकायत करते हैं तो इनके ऊपर यह दबाव रहता है कि इनको दूर–दूर ट्रांसफर कर दिया जाता है। मुझे तो यहां तक भी लोगों ने कहा कि आप कितनी भी डिस्कशन कर लीजिए, आप कितना भी वाद–विवाद कर लीजिए, यह जो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग हो रही है, मजीठिया कमेटी के बारे में या जर्नलिस्ट की वेजेज के बारे में, इन लोगों के ऊपर इतना दबाव रहेगा कि कल अखबारों में इसके बारे में शायद नहीं लिखा जाएगा। तो ये बहुत गंभीर बात है कि अगर इन लोगों के विषय में भी इतनी अच्छी डिस्कशन हो रही है और इन लोगों के ऊपर इतना दबाव रहेगा कि अखबारों में ये चीज नहीं छापी जाएगी तो एक बड़ा गंभीर विषय है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये लोग कितने दबाव में काम करते हैं।

अध्यक्ष जी, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मंत्री जी इसका जरूर ध्यान रखें कि इस बात की कोई इंडीपेंडेंट कमेटी जरूर बने जिसके द्वारा ये चीज जरूर देखी जाए कि क्या इन लोगों को उतनी सेलरीज इनके खातों में मिल रही है या नहीं मिल रही है जिसके बारे में मजीठिया कमेटी ने बार–बार सिफारिशें की हैं। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि मीडिया वाले अब सौरभ भारद्वाज जी और जगदीप जी के लिए तो निश्चित रूप से बढ़िया–बढ़िया छापेंगे।

बाकी का क्या होगा अभी कह नहीं सकता। श्री जरनैल सिंह जी।

Jh tjuy flg ¼राजौरी गार्डन½ % अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद मैं खासतौर पर The Working Journalist and Other Newspaper Employees Conditions of Service and Miscellaneous Provisions, Delhi (Amendment) Bill, 2015 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो बात मैं कहना चाहता था वो सौरभ भाई ने कह दी। क्योंकि सिर्फ दो मिनट पहले मुझे ख्याल आया कि पत्रकार की मेरी सेन्स कहती है कि कल ये खबर छपने वाली नहीं है। ये सच्चाई है, छपेगी भी तो सिंगल कॉलम या कहीं और, ऐसा होता है। हिन्दुस्तान के इतिहास में पत्रकारिता का युग उदंड मार्तण्ड...से शुरू होता है फिर अमृत बाजार पत्रिका फिर उसके बाद अंग्रेजों के वक्त अखबार निकालने का काम कभी भगत सिंह ने निकाला कभी क्या हुआ। ये यात्रा आगे आकर जब इमरजेंसी का वक्त आता है, तब आती है और सच्चाई ये है कि एक पत्रकार के तौर पर मैं कह दूं। जब मैंने जर्नलिजम शुरू किया तो होता यही था कि भई, पत्रकारिता का मतलब है फकीरी। कंधे पर झोला, जेब में चने और हाथ में पैन। ये पत्रकार की पहचान थी और उस समय पत्रकारिता के बारे में कोई बहुत सोचा नहीं करता था। लेकिन फिर भी जब उदारीकरण का वक्त आया उसके बाद जो डिपेन्डेन्स थी अखबारों की भई, आपको कागज वहीं से लेना है। कोटा सरकारों से लेना है तो उनकी कलम कहीं न कहीं झुक जाया करती थी। उदारीकरण में एडवर्टाइजिंग सरकार से लेनी है, तो कलम झुक जाया करती थी सरकार के वक्त लेकिन बाद में जब उदारीकरण हुआ जो विज्ञापन आपको और मिलने लगा। प्राइवेट मिलने लगा तो यह कम हुआ लेकिन धीरे–धीरे सच्चाई

ये है कि पीछे का एक रिपोर्ट आई है कि हिन्दुस्तान में प्रैस कितना फ्री है। दुनिया भर के देशों में एक सर्वे हुआ तो हम एक सौ चौबीसवें नम्बर पर हैं। हम अभी भी इतने पीछे हैं। तो इससे पता लगता है कि जो पत्रकारिता को ऊपर चढ़ना चाहिए था, वो पत्रकारिता एक उत्पाद बनकर रह गई है, एक प्रोडक्ट बनकर रह गई है और जो बड़े–बड़े धंधे हैं। अखबार चलते हैं साथ में चीनी की मिलें भी चलती हैं और कैसे सरकारों के साथ क्या सौदा किया जाता है, ये हालात बनते हैं। पत्रकारिता में मेरे परिवार में कोई नहीं था। मुझे याद है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी मैं दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है, मैं वहां पढ़ने गया। एक किताब लेने गया तो मुझे पता लगा कि यहां पर पिछले तीस–चालीस सालों का अखबारों का रिकार्ड पड़ा हुआ है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने उस समय खोलकर ढूंढना शुरू किया कि 1984 में क्या कवर हुआ तो जब मैंने बंडल पर बंडल उठाकर देखे तो किसी अखबार में जिक्र तक नहीं था कि दिल्ली की राजधानी के अंदर सड़कों पर हजारों लोग कत्ल हो रहे थे किसी अखबार में जिक्र तक नहीं था। मैंने देखा जनसत्ता में और इंडियन एक्सप्रेस में छोटी–छोटी खबरें आईं कि हिंसा की छिटपुट घटनाएं। मैंने उस दिन तय किया था कि मैं भी पत्रकारिता में जाऊंगा और देखता हूं कि ये बायस कैसे खत्म किया जा सकता है। मैंने उस समय ये कोशिश की थी। सच्चाई ये है कि तकरीबन आज से जब मैंने 2009 में पत्रकारिता छोड़ी या छूट गई उससे दो–तीन साल पहले दिल्ली के एक बहुत बड़े अखबार ने 200 पत्रकारों को एक साथ निकाल दिया था। 200 पत्रकारों, को लेकिन कोई खबर नहीं बनी, मनीष जी समझ गये होंगे वो कौन सा अखबार था। 200 पत्रकार

हटा दिये गये कोई खबर नहीं बनी। उनके साथ हम लोग काम किया करते, वो कहते जरनैल, तुम ठीक रहे यार। हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया। तो कब निकाल दिये जाओगे आप और जिस पत्रकार ने केस कर दिया तो वो डरता क्यों है। वो डरता इसलिए है कि जिस दिन उसने केस कर दिया वो पत्रकार विवादित हो गया। उसको कोई भी अखबार या टीवी चैनल नौकरी नहीं देगा। उसका कैरियर खत्म हो गया वो बोलेगा तो बोलेगा किससे और एक इनकी सबकी आपस में अंडर स्टैंडिंग है एक अखबार के बारे में क्या किया, दूसरा नहीं बोलेगा किसके यहां क्या घटना हो गई दूसरा नहीं लिखेगा, किसने किसको निकाल दिया, किस तरह से कर दिया दूसरा नहीं लिखता। तो ये जाएंगे कहां? सबसे बड़ा शोषण जो है, इनके साथ होता है, जब मैंने पहले अखबार में काम शुरू किया 'अक्षय भारत' से शुरू किया, सांध्य टाइम्स में काम किया तो मुझे पहली सैलरी मिली उस समय 2000 रुपये की सैलरी थी तो मैंने सोचा अरे मैं कहां आ गया, हालांकि बाद में जब उसको छोड़ा उस समय 60 हजार से ऊपर पहुंच गये थे तो कितना बड़ा एक.... अभी भी पत्रकार ऐसे होंगे जो न्यूज चैनल्स में काम करते हैं और 10 लाख रुपये महीना ले रहे होंगे। ऐसे भी पत्रकार हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि पांच–पांच सौ करोड़ की सम्पत्ति भी जमा कर चुके हैं और कहां से कर चुके हैं किन–किन सरकारों के साथ मिल के कर चुके हैं, इसका भी एक बार खुलासा हो जाना चाहिए, इसकी एक जांच हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसे भी पत्रकार हैं जिनको सैलरी नहीं मिलती है, जिनको वेतन नहीं मिलता है, जिनकी कोई पैंशन नहीं है और खासकर जो छोटे अखबार है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है, बड़े–बड़े अखबार कॉन्ट्रैक्ट

पर रखते हैं और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही दो साल के बाद आपको निकाल देते हैं, पक्का आपको नहीं किया जाता, ये लोग दुनिया के लिए लड़ते हैं किसी बेटी के साथ क्या हो गया, निर्भया के साथ क्या हो गया इसकी खबर तो हम छापेंगे लेकिन अखबार या किसी न्यूज चैनल के साथ किसी बेटी के साथ क्या हुआ था, इसकी खबर कोई न्यूज चैनल नहीं लेके आता। तो ये सब समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। तो इनको आपने जो प्रावधान किया मैं बहुत आपका...

v/;{k egkn; % कन्कलूड करिए प्लीज।

Jh tjuy flag % मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बस मैं एक मिनट में खत्म कर देता हूं कि जो भी पत्रकार केस करेगा, अछूत हो जाएगा। इसका ध्यान रखिए। अगर कोई भी पत्रकार केस में आता है, उस पर केस करता है, उसकी नौकरी ना जाए, इसका प्रावधान आपको करना पड़ेगा। उसकी नौकरी नहीं जानी चाहिए जब तक उसका केस चलता रहेगा, नहीं तो कोई भी पत्रकार कभी भी हिम्मत नहीं जुटा सकेगा कि वो अपने संस्थान के खिलाफ कोई भी केस कर सके, या मालिक के खिलाफ हो के लड़ सके और आखिरी में, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि छोटे अखबार वाले जो हैं मनीष जी से शिकायत कर रहे हैं, मेरे पास भी आये थे। हमारा दिल्ली सरकार ने विज्ञापन कम कर दिया, ऐसे में हम उनको नौकरी कहां से देंगे? जो ओर छोटे–छोटे पत्रकार हैं तो उनकी भी शिकायत है। उनको भी ध्यान में रखा जाए और इतनी ही बात मैं कहना चाहता था अगर आपने प्रोटैक्शन नहीं दी तो हाल वही चलता रहेगा। केस आप करने की बात करेंगे जो उनको आपने ये कहा ना कि सजा दी

जाएगी, जेल में भेजा जाएगा ये बहुत बड़ा डिटरैण्ट बन सकता है सच्चाई ये है कि ये एक बहुत बड़ा डिटरैण्ट बनेगा और मुझे खुशी है कि कम से कम जो चौथे स्तंभ के नाम पर एक तरह का व्यापार कर रहे हैं, उनके ऊपर एक अंकुश लगेगा। इतनी बात कहते हुए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

v/;{k egkn; % चलिए धन्यवाद मैं विजेन्द्र गुप्ता जी को आमंत्रित करूं बोलने के लिए उससे पहले जगदीश जी ने प्रश्न उठाया था, मैंने उसकी जानकारी मंगवा ली है, ये विश्वास सिक्योरिटी सर्विसिज को ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अप्वाइंटमैंट दिए गए हैं, इसमें मिनिमम वेजिज उसको 9178 रुपये दे रहे हैं, ई.पी.एफ. 1226, ई.एस.आई. 436, 10840 उसको दे रहे हैं कांट्रैक्टर को। मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है कि उनको कम मिल रहे है, आज पहली बार ये शिकायत आई है इसकी मैं जांच करवाता हूं। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

...(व्यवधान)...

Jh lkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय, दो मिनट क्योंकि उनके बाद आप मुझको मौका नहीं देंगे। इसलिए मैं पहले वो बता दूं।

v/;{k egkn; % बोलिए, दो मिनट में बोलिए प्लीज।

Jh lkeukFk Hkkjrh % अध्यक्ष महोदय सेक्शन 22 में कुछ चेन्ज। जो ओरिजिनल एक्ट है उसके अन्दर प्रावधान है छः महीने की सजा या पांच सौ रूपये का फाईन। एमेन्डमेन्ट के अन्दर सिर्फ पांच सौ रुपये के फाईन को रिप्लेस किया गया है by Five thousand rupees or imprisonment of three years or both

इसका मतलब हुआ कि ये दोनों रह जायेगा so you have to replace both of them अब मैं ओरिजिनल एक्ट पढ़ देता हूं। Section 22: Penalty for certain offences. Any employer who so and so A and B, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both. आप सिर्फ इस सेक्शन के अंदर सिर्फ पांच सौ रुपये को रिप्लेस कर रहे हैं। by fifty thousand rupees or imprisonment for three years or both. तो इसके अन्दर आप संज्ञान में ले लें कि वो imprisonment for six months को भी साथ में रिप्लेस करना पड़ेगा एवं अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया तो मैं भी दो बात अपनी रख लूं।

v/;{k egkn; % नहीं, प्लीज ऐसा है। सी.एम. साहब ने बोलना है। सोमनाथ जी प्लीज। मैं आपको, सोमनाथ जी एक बार मना करते हैं आप समझदार हैं।

lkeukFk Hkkjrh % प्लीज, दो बात। दो बातें रखनी है। एक बड़ा सा इम्पार्टेन्ट चूकि contractual workers जो हैं ये माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश है चूंकि इसमें कहीं भी वर्कस का मतलब कान्ट्रैक्चुअल वर्कस इन्कलूड नहीं किया गया है। तो वो मेरा ख्याल है अगर छूट गया है या छोड़ा गया है जो कुछ bacause majority of the people working for the newspapers and channels, they are on contract. तो ये जो आपने प्रावधान किया है। इतना अच्छा प्रावधान किया है वो उनको भी फायदा मिल सके। ये भी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, अभी सौरभ जी अपना वक्तव्य रख रहे थे तो इन्होंने अपने आपको कातिल कहा। मैं वहां से आगे बढ़ना चाहता हूं। एक शेर के माध्यम से इन्होंने अपने आपको कातिल कहा। मैं पत्रकारों को मुखातिब हो के उस बात को आगे बढ़ाता हूं।

ok dRy Hkh dj n rk ppk ugh gkrhA
vkj ge ÅQ Hkh dj n rk gk tkr g cnukeAA

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % वो तो कल हो गया न।

Jh fotUn xIrk % मैं पत्रकारों को कह रहा हूं। मैंने सौरभ को, आम आदमी पार्टी मान के बात कही है। अब पत्रकारों को याद दिला रहा हूं कि शेर पर रिलेवेन्स है। रिलेवेन्स से मैंने शेर बोला। तुकबन्दी नहीं की है शेर के साथ छेड़ क्योंकि मुझे याद है इस सरकार में एक सर्कुलर निकाला था और पत्रकारों की स्वतंत्रता, निर्भीकता पर एक प्रकार का प्रहार था वो। लेकिन मुझे लगा कि मेरी जितनी राजनीतिक समझ थी कि मैंने कहा कि ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पत्रकरों से पंगा ले लिया। ऐसा सर्कुलर निकाल दिया। अब तो अखबार छोड़ेगे नहीं इनको। पर मुझे बाद में समझ में आई कि शायद इस मामले में आम आदमी पार्टी से हमारी समझ कम है और हमारी समझ ही कम नहीं है। पत्रकारों की नब्ज और पत्रकारों का माईन्ड सेट हमसे ज्यादा आम आदमी पार्टी समझती है। अध्यक्ष जी, फिर

मैंने सोचा कि ये ज्यादा समझते हैं क्रेडिट इनको दूं या पत्रकारों का जो अपना एक धर्म है, अपना एक मजहब है, अपनी एक कर्तव्यपरायणता है, उसको मैं डेडिकेट करूं। अपनी इस सोच को। तो निष्कर्ष ये निकला कि पत्रकार का अर्थ है कि विपरीत परिस्थितियों में तिरस्कार के बावजूद निर्भीकता से अपनी कलम से न्याय करना और एक बार नहीं, अभी इसी सरकार ने अखबारों में बड़े–बड़े एडवर्जटिजमेन्ट देकर के पूरा लोहा लिया कहो या पंगा लिया। पत्रकारिता के जगत से और सभी से। लेकिन वहां भी मुझे लगा कि इसके दो मायने हो सकते हैं। एक मायना तो मैंने अभी बताया और दूसरा ये है कि विचलित मत होइये। ठंडा करके मारिये। अब वो समय बतायेगा कि ये लेशमात्र विचलित नहीं होना है या दुश्मनी की शुरूआत आपने की है और समाप्त दूसरी तरफ से होगी। ये तो टाईम बतायेगा। कहने अर्थ ये तो सब बातें जो भी मैंने कही इसकी आवश्यकता नहीं थी इस बिल से इसका कोई लेना देना नहीं है। एस्सेप्ट कर रहा हूं ना। अरे आपने सुन लिया? इतने ध्यान से मेरे मतलब की बात। धन्यवाद है इसका। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपने जो दो बिल पेश किये है। चलिए, अरविन्द जी मोदी जी को कितनी भी गालियां दें। गाली से अर्थ है डिफरेन्स कितना भी ये सरकार उनकी प्रति आग उगले या हमारे सदस्य.

Jh txnhi flg % एक मिनट बिल का नाम जो है ना वो आम आदमी पार्टी नहीं है। बिल का नाम कुछ और है।

v/;{k egksn; % जगदीप जी, प्लीज।

Jh fotsUnz xqIrk % सरकार तो आम आदमी की है ना?

v/;{k egksn; % उनको बोल लेने दीजिए। मैं आपने आप निकला दूंगा।

इतना नहीं, सब मेरे संज्ञान में है। एक बार इकट्ठा जो कुछ होगा। जगदीप जी प्लीज।

Jh fotUn xlrk % न्यूनतम वेतन संशोधन विधेयक है। इस विधेयक की शुरूआत मंत्री जी ने गुजरात के अनुभव से इसको समझकर जो 1948 जो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। उनका जो प्रभावशाली अमैण्डमैंट जो किया और संशोधन जो हुए और जो लागू हुए, उसको एप्रिशिएट करते हुए ओर वो तमाम सजेशन या वो अनुभव उनको इसमें शामिल किया गया है। इस लिए में तो इतना ही कहूंगा कि इस सोच के साथ कुछ और साथ में सोचने की जरूरत है जो काण्ट्रेक्चुअल लेबर है, यहां पर आपने उनकी शिक्षा को, बच्चों की शिक्षा को लेकर के एक सुनिश्चित करने की बात की है। लेकिन व्यावहारिक में वो इस बिल से सुनिश्चित होने वाली नहीं है। एक कंस्ट्रक्शन लेबर एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान पर कंस्ट्रक्शन के लिए जाती है और वो ही उसका घर हो जाता है, उतने दिनों के लिए जितने दिन कंस्ट्रक्शन चलती है। वहीं बच्चा बड़ा होता है, लेकिन उसको विद्यालय नसीब नहीं हो पाता। क्या कुछ ऐसे विद्यालय सरकार जिनको हम मोबाइल स्कूल भी कह सकते हैं, क्या उस कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए स्थापित किये जा सकते है कि जहां–जहां कंस्ट्रक्शन होगी, वहां वो मोबाइल विद्यालय जाएगा और उन बच्चों को एकट्ठा करके पढ़ाएगा उनको वातावरण देगा। उससे दो मकसद हल होंगे। मां–बाप जब लेबर का काम करते हैं तो बच्चे को मिट्टी में छोड़ देते है और कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है, क्योंकि कस्ट्रक्शन वर्क वहां चल रहा होता है। तो एक तो क्रैच की तरह भी होगा। क्रेच वाली स्थिति भी होगी और दूसरा उसको एक शिक्षा का

वातावरण भी मिलेगा और फिर उन तमाम लेबर को हम रजिस्टर्ड कर लें। कहीं उनका रिकार्ड बना लें, उनके बच्चों का रिकार्ड बना लें तो फिर जब वो वहां से अगले स्थान पर जाएं तो उनकी एजुकेशन की कन्टिव्युटी हो सके इससे वो हो सकता कि उस गरीब के बच्चे में भी भारत का भविष्य छिपा हो। हो सकता है उस बच्चे को हम आज उसकी चिन्ता करें वो आने वाले दिन में इस देश की चिंता करने के लिए सक्षम हो सके। मैं इसमें अपना सुझाव दूंगा।

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, एक बार धन्यवाद कर दीजिए, सबने तालियाँ बजाई है।

Jh fotUn xIrk % धन्यवाद। सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप हमें अपनी बात कहने का मौका दीजिए। जब हम बोलते है, हमारे दिमाग पर बड़ा प्रेशर होता है लेकिन जब मुख्यमंत्री जी यहां होते हैं, तो वो प्रेशर कम हो जाता है। मुझे लगता है कि वो जरूर सदस्यों को समझाएंगे कि विपक्ष को भी बोलने का मौका दें तो रोज आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा।

v/;{k egkn; % माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी।

e[;e=h % आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत–बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने अहम मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले जगदीश जी ने कुछ मुद्दे उठाये कि उनके पास फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमैन्ट और कुछ अन्य विभागों के भ्रष्टाचार के सबूत हैं, मैं उनको भी और यहां पर बैठे हुए सभी सदस्यों को आवश्वास देना चाहता हूं और दिल्ली के सभी नागरिकों को ये आवश्वासन देना चाहता हूं कि आपके पास दिल्ली

सरकार के किसी भी विभाग का कहीं भी भ्रष्टाचार का सबूत है, आप मुझे लाकर दीजिए, उन पर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी और ये हम सभी को मिलकर करना है। अपने जो दिल्ली में सरकार है, ये विधान सभा है, इसकी नीयत अच्छी है और सब लोग मिलकर भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। मुझे आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी की आप बहुत जल्दी सबूत लाकर देंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जायेगी।

मैं माननीय श्रम मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज जो दो बिल प्रस्तुत किए गए, इस विधान सभा में, वे दोनों बिल कई मायनों में ऐतिहासिक हैं। सबसे पहले तो आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, जो समाज के बिल्कुल अंतिम हाशिये पर जी रहे हैं। जो न्यूनतम मजदूरी लेकर काम करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में, मैं तो खैर उम्र में छोटा हूं, अनुभव में बहुत छोटा हूं। लेकिन जहां तक मेरी याद जाती है, कभी भी इन लोगों के बारे में किसी भी सरकार ने तब तक कोई कदम नहीं उठाया, जब तक कि कोई बहुत बड़ा आन्दोलन नहीं हो गया। सरकार को मजबूर होकर घुटने नहीं टेकने पड़ गये। बड़ी–बड़ी ट्रेड यूनियन्स ने काम बंद नहीं कर दिया, हड़ताल नहीं कर दी। मुझे नहीं लगता कि इस तबके के बारे में किसी ने सोचा है। ये शायद हो सकता पहले भी कभी हुआ हो, लेकिन मेरी याद में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार अपनी मर्जी से बनी किसी दबाव में समाज के इस अंतिम व्यक्ति के बारे में सोच रही है और इतना बड़ा प्रभावशाली कदम उठाने जा रही है। एक अंग्रेजी में कहावत है Those who have less in life

should have more in law. जिन्हें भगवान ने जिन्दगी में कम दिया है, उनके बारे में कानून में ज्यादा होना चाहिए। ये कानून उसी दिशा में एक कदम है, जब हम लोग समाज के इस अंतिम व्यक्ति के बारे में बैठकर आज ये विधान सभा उस पर चर्चा कर रही है और इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पास करने जा रही है। इसमें सबसे पहले मिनिमम वेज एक्ट के बारे में मैं बात करूंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो मिनिमम वेज की डेफिनेशन पहली बार डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक मिनिमम वेज की डेफिनेशन मिनिमम वेज एक्ट के अंदर प्रॉपरली डिफाइन्ड नहीं थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमैन्ट आया था 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 92 में, आज से 23 साल पहले the wage structure was to be tested at the anvil of social justce which is the live fiber of our society today, The court said keeping in view the socio-economic aspect of the wage structure we are of the view that it is necessary to add the following additional components as guide for fixing the minimum wage in the industry सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है मिनिमम वेज फिक्स करते वक्त

No. 1.....minimum food requirement calculated on the basis of food intake in terms of calories. कितनी कैलरी एक आदमी लेता है। No. 2... clothing requirement should be estimated at per capita consumption of 18 yards per Annum which would give for the average worker family of four a total of 72 Yards. No. 3... House rent No. 4...fuel,

lighting and other misc. items of expenditure should constitute 20% of the total minimum wage. Number 5, Children Education, medical treatment, minimum recreation including festivals, ceremonies, provision for old age marriage should further constitute tewenty five percent of the total minimum wage.

आज तक भारत में किसी भी सरकार ने इसको लागू नहीं किया। अभी तक जब भी मिनिमम वेज की बात होती थी, कहते थे, इतनी कैलोरी खाने की जरूरत है कोई, आदमी है, इंसान है, जानवर थोड़े ही है कि इतनी कैलोरी खाना खिला दो और वो जिंदा रहेगा। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा घर की भी जरूरत है, हाउसिंग रेंट की जरूरत है, फ्यूल की जरूरत है, लाइटिंग की जरूरत है, एंटरटेनमेंट की जरूरत है, मेडिकल की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, ओल्ड ऐज की जरूरत है, शादी–ब्याह की जरूरत है, इन सारी चीजों को मिनिमम वेज के अंदर लाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इन चीजों को इन्क्लूड करने के लिए जो मिनिमम वेज की डेफिनेशन बदली गई है, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार देश की पहली सरकार है, जो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को लागू करने जा रही है।

दूसरी बात, जब हम लोग पिछले छह महीने से गोपाल भाई के साथ और लेबर डिपार्टमेंट के साथ कई बार मीटिंग्स हुई, जब हम बात करते थे, यार ये लोग मिनिमम वेज नहीं दे रहे, क्या करें, तो पता चलता था जी upto a maximum of छह महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना है। अगर कोई मिनिमम वेज नहीं दे रहा, 500 रु. जुर्माना देकर निकल जाये, तो बड़ा अच्छा

सौदा है। अभी सजा को बढ़ाकर तीन साल तक की मैक्सिमम सजा की गई और हम यह सुनिश्चित करेंगे, अगर ये सरकार अपने आप, अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव में विधान सभा के अंदर कानून बदलने का प्रस्ताव ला रही है तो सरकार की मंशा है कि इस कानून को सख्ती के साथ लागू किया जायेगा। मैं आज इस सदन के माध्यम से पूरी दिल्ली के लोगों को यह मैसेज देना चाहता हूं और जिन–जिन फैक्ट्रियों में, जिन–जिन संस्थाओं के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जिनको मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा है, उन सभी संस्थाओं को मैं आज आगाह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर किसी ने भी इस कानून को भंग करने की कोशिश की, वायलेट करने की कोशिश की, तो इस सरकार से ज्यादा सख्त कार्रवाई करने वाला आपको नहीं मिलेगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ इसके अंदर एक बड़ा अच्छा प्रावधान किया गया पहली बार कि मिनिमम वेज उनके एकाउंट में डाला जाएगा तीन महीने के अंदर अगर किसी भी संस्था के खिलाफ केस किया जाता है कि वो मिनिमम वेज नहीं दे रहे, तो तीन महीने के अंदर कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ और सारा एम्प्लॉइज का डेटा वेबसाईट पर डाला जाएगा। यह सभी जो प्रस्ताव है, ये बहुत काबिलेतारीफ है। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्कूल्स बनाने के लिए। स्कूल के साथ–साथ हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर्स और उनके लिए कोई मोबाइल किस्म के हॉस्पिटल्स भी बनाने को सोच रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए अलग फंड बनाया गया है, जिसके अंदर शायद लेबर सेस लेकर उनका अलग ...(व्यवधान)...

Jh fotUnz xIrk % गवर्नमेंट पूरा खर्च नहीं कर रही है।

e[;e=h % उसी का पूरा प्लान बनाया जा रहा है और उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के फंड को इस्तेमाल करके उनके लिए स्कूल, उनके लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स और हॉस्पिटल्स बनाये जा रहे हैं। जो अभी सोमनाथ भारती जी ने धारा 22 के तहत सुझाव दिया, वो मुझे भी लग रहा है कि typographical error है और उसको मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसमें एप्रोप्रिएन्ट चेंजेज किए जाये।

अब हम पत्रकारों के कानून के बारे में आते हैं। कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2015 मुझे लगता है कि मजीठिया कमीशन आए हुए तो कुछ साल हो गये। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि मजीठिया कमीशन लागू किया जाये, तारीख पर तारीख पड़ रही है लेकिन मुझे लगता है दिल्ली सरकार है पूरे देश के अंदर, पहली सरकार जिसकी हिम्मत है मजीठिया कमीशन को लागू करने की बाकी जैसा अभी विजेन्द्र गुप्ता जी ने कहा कि बाकी सारी सरकारें तो डरी हुई है मीडिया हाउसेस से कि अगर मजीठिया कमीशन लागू कर दिया तो ये मीडिया वाले कभी हमारी ऐसी–तेसी न करे दें। हमारी एक अकेली सरकार है, जो मीडिया से नहीं डरती, क्योंकि हमारी तो रोज ही ऐसी–तेसी करते हैं मीडिया वाले। हम अच्छा काम करें, तो भी ऐसी–ऐसी करते हैं मीडिया वाले और बुरा काम करें तो भी ऐसी–तेसी करते हैं मीडिया वाले तो हमें कोई डर ही नहीं लगता मीडिया वालों से। मीडिया के अंदर, मीडिया के कुछ चंद मालिक हैं जिन्होंने तो खूब पैसा कमा लिया है जी। मीडिया के कुछ चंद एडिटर हैं

जिन्होंने खूब पैसा कमा लिया है, मुझे ऐसा कोई बता रहा था, दस लाख रुपये, पन्द्रह लाख रुपये, बीस लाख रुपये महीने की तनख्वाहें हैं इनकी। मीडिया में कुछ एंकर भी हैं जिन्होंने खूब पैसा कमा रखा है लेकिन जो आम रिपोर्टर है, वो गरीब होता जा रहा है और ये ऊपर वाले अमीर होते जा रहे हैं। इनके बीच में वो गैप बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार इन रिपोर्टरों के साथ खड़ी है और दूसरी सरकारें उन मालिकों के साथ खड़ी हैं। कुछ पार्टियों ने मालिकों को अपनी जेब में भी रख रखा है तो पत्रकारों के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। मजीठिया कमीशन को जब लागू करने की बातें आती थी। हर सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के पहले हमारे यहां मीटिंग भी होती थी, तो हम ये देखते थे कि लगभग एक–आधा किसी मीडिया हाउस ने थोड़ा बहुत इसको लागू किया हो तो अलग बात है लेकिन लगभग किसी भी मीडिया हाउस ने मजीठिया कमीशन को ठीक से लागू नहीं किया। जो आम पत्रकार हैं, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। जो आम रिपोर्टर हैं, कई ऐसे रिपोर्टरों को हम जानते हैं जो पन्द्रह–पन्द्रह, बीस–बीस साल से काम कर रहे हैं और आज पन्द्रह–बीस हजार रुपये महीने की तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। तो मजीठिया कमीशन बिल्कुल लागू नहीं किया जा रहा है। अभी जब हम सोचते थे कि मजीठिया कमीशन लागू कराएं तो देखते थे अगर कोई मीडिया हाउस मजीठिया कमीशन लागू नहीं करता तो आपको ये जानकारी हैरत होगी उसके खिलाफ कितनी पैनल्टी है? दो सौ रुपये की। बस कोई सजा नहीं है, कोई जेल नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक्स–वाई–जेड अखबार बहुत बड़ा अखबार कोई मजीठिया कमीशन को लागू नहीं करता, अपने पत्रकारों को ठीक

से तनख्वाह नहीं देता तो उस पर दो सौ रुपये की पैनल्टी है तो वो तो आकर कहेगा जी ये दो सौ रुपये की पैनल्टी रखो और मेरा पीछा छोड़ो। अब पहली बार इसके अंदर लिया गया है और उसमें लिखा है कि अगर कोई पत्रकार शिकायत करता है सरकार को तो सरकार अपनी पूरी मशीनरी लगाने के बाद उसको उसकी ड्यू तनख्वाह दिलवाएगी। तनख्वाह भी कैसे दिलवाएगी? सरकार जब पैनल्टी का नोटिस इश्यू करेगी वो दो सौ रुपये दे जाएगी। अब इसमें पहली बार लिखा है कि अगर कोई शिकायत करेगा तो उसकी जितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, उसकी पांच गुना तनख्वाह दिलवाई जाएगी, तो रिपोर्टर भी बड़ा खुश। रिपोर्टर सोचेगा महीना भर न ही दे तो अच्छा है उसके बाद पांच गुना ले लूंगा मैं। तो पांच गुना तनख्वाह दिलावाई जाएगी और जो पहले दो सौ रुपये पैनल्टी थी वो अब दो सौ रुपये पर–डे के हिसाब से लगाई जाएगी जब तक वो पूरी तनख्वाह नहीं दे देता और छह महीने तक की जेल का प्रावधान है उसके मैनेजमेंट के ऊपर जो अखबार वाला ऐसा करता है। ये पहले आफेन्स के लिए और सेकेण्ड आफेन्स के लिए thousand rupees per-day of default जब तक उस पत्रकार की तनख्वाह पूरी नहीं दे दी जाती, जिस दिन से देनी थी, तब से लेकर नहीं दी जाती Thousand rupees per-day of default और एक साल तक की सजा का प्रावधान इस कानून के अंदर है। अभी–अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, एक चीज इसमें मुझे लगता है रह गई है जिसकी तरफ मैं श्रम मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके अंदर रेगुलर एम्पलायीज का जिक्र है, पत्रकारों वाले कानून में। इसके अंदर कॉस्ट्रेक्ट

एम्पलायीज का जिक्र रह गया। दूसरे वाले कानून में तो कॉट्रेक्ट भी हैं ये गलतफहमी है जो मिनिमम वेज वाला एक्ट है, उसमें कॉट्रेक्ट वाले भी मिनिममवेज लेते हैं और दूसरे भी लेते हैं उसमें तो कॉट्रेक्ट वाले आ गये लेकिन अब कोई सारे मीडिया हाउसेज के अंदर वो रेगुलर एम्पलायीज रखने बंद कर दिये वो कॉट्रेक्ट पर रखते हैं और वो कॉट्रेक्ट वाले इसके बाहर हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि इसके अंदर, कुल जब इस कानून को पास किया जाए उसके पहले ये अमेंडमेंट ले आया जाए कि अब इसके अंदर, उन अखबारों के अंदर जो कॉट्रेक्ट में इम्प्लॉयीज काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी मजीठिया कमीशन लागू होगा। इस सदन की जानकारी के लिए मैं एक–दो चीजें और बता दूं। सरकार के अंदर दो किस्म के कमर्चारी ठेके पर काम कर रहे हैं। एक वो ठेके पर काम कर रहे हैं जो रेग्यूलर पोस्ट्स के ऊपर ठेके पर काम कर रहे हें। जो रेग्यूलर पोस्ट है मान लीजिए वो भरी नहीं गई किसी भी कारण से उस कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर, टेम्परेटी बेसिस पर आपने एम्पलायीज रख लिए। ऐसे एम्पलायीज को रेगूलाइज करने के लिए सरकार ने पॉलिसी बना दी है। कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। ऐसे एम्पलायीज को रेगुलाइज करने के लिए सरकार एज रिलेक्शेसन और उन्होंने जितने साल सरकार में काम किया, उतना उनको एक्सपीरियेंस का वजन देकर ओपन भर्तियां खोल रही है और इन सब लोगों को पक्का करने की तैयारी शुरू कर रही है। उसी के तहत अगल–अलग विभाग अपनी–अपनी पोलिसी बना रहे हैं। जल्दी ही गैस्ट टीचर्स के लिए भी अनाउंसमैंट किया जाएगा, नर्सिज के लिए भी अनाउंसमैंट किया जाएगा, डॉक्टर्स के लिए भी, सबके लिए अनाउंसमैंट किया जाएगा। दूसरे वो लोग हैं जो सर्विस

कांट्रैक्टस पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपने इस विधान सभा का सफाई का कॉंट्रैक्ट किसी को दिया और वो कोई रैगुलर पोस्ट नहीं है, सफाई का कांट्रैक्ट अगर किसी को दिया और वो आदमी अपने एम्पलाइज लेके आया तो जो एम्पलाइज वो लेकर आया तो उन सबको मिनिमम वेजिज मिलना चाहिए। ये इस मिनिमम वेजिन एक्ट के तहत मिलना चाहिए लेकिन जैसा अभी जगदीश प्रधान जी ने बताया इस किस्म का हमारी भी नजर में आ रहा है। अभी तक सरकार में जो ठेके दिये जा रहे थे, मान लीजिए किसी सफाई के कांट्रैंक्ट में दस एम्पलॉइज की जरूरत है नौ हजार रुपए आपका मिनिमम वेज है तो 90 हजार रुपये महीने की तो तनख्वाह तनख्वाह हो गई, जब वो ठेके के लिए अप्लाई करता है, तो वो 85 हजार के लिए अप्लाई करता है, जितनी तनख्वाह है, उससे भी कम अप्लाई करता है तो वो कहां से लाएगा, 85 हजार रुपये वाले को वो ठेका दे देते हैं, एनुअल के आधार पर, तो वो कहां से लाएगा? वो सबकी तनख्वाह में से काटेगा, सबकी तनखह में से काटके अपना प्रोफिट भी बनाएगा और जितना कम उसने अप्लाई किया था, वो भी करेगा। तो इसके ऊपर भी सरकार जल्दी पॉलिसी लाने वाली है कि अब जब ठेके सर्विस कोन्ट्रैक्ट दिये जाएंगे, वो इनकी तनख्वाहों के ऊपर नहीं दिये जाएंगे, जितना मिनिमम वेज है, ई.पी.एफ. है, ई.एस.आई. है जितना देना है वो अलग, वो अपना मार्जिन कितना लेगा। उसको केवल अपना मार्जिन कोट करना पड़ेगा। मैं आज बहुत खुश हूं जो कल बिजेन्द्र गुप्ता जी ने कहा था कि भई कन्सेसस के हिसाब से विधान सभा चलनी चाहिए तो इस विधान सभा सत्र में मोटे–मोटे तौर पर तीन एक तो राइट टू सर्विसिज बिल आया था जो मुझे बताया गया कि कॉन्सेसस से पास हुआ था। कल एजूकेशन के बिल हैं जो कि आप सहमत नहीं हुए।

वैसे बात तो हमारी जायज थी। आप का बिल भी जो है, वह कन्सेसस से पास हो रहा है दोनों हमारे अपोजिशन के मैंबर को ये मंजूर है। मुझे बड़ी खुशी है और इसी तरह से हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी ये पूरा सदन जो है ये पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठ के और हम सब लोग मिल के दिल्ली के लोगों के लिए काम करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों बिलों के ऊपर अपना सपोर्ट जाहिर करता हूं, थैंक्यू।

v/;{k egksn; % माननीय गोपाल राय जी बोले तब तक सदन का समय 6.30 बजे तक हम बढ़ा रहे हैं। श्री गोपाल राय जी, श्रम मंत्री।

ifjogu e=h ¼Jh xksiky jk;½ % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य के दौरान इस बात का जिक्र किया है। इसके पूर्व पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्यों ने इन दोनों बिलों पर बात रखते हुए इस बात को रेखांकित किया है कि दिल्ली के अंदर मजदूरों की भी और पत्रकारों के रूप में जो संस्थानों में काम कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी, पत्रकार उन पर भी जिस तरह से उनके श्रम के द्वारा जो उनको अपनी जिंदगी को संचालित करने के लिए मजदूरी मिलनी चाहिए, उस पर भी कहीं न कहीं तमाम तरीकों से उसको छीना जा रहा है, उसको हड़पने की कोशिश हो रही है और उसको एक मजबूत हथियार मिले, जिससे वो अपनी लड़ाई लड़ सके। इस दिशा में ये जो दोनों बिल है, हमें उम्मीद है ये कारगर हथियार साबित होंगे। जैसा कि तमाम पक्षों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रख दिया है। दो–तीन प्रश्न जो सदन में उठे थे, उस पर मैं आपके माध्यम से सारे सदस्यों के संज्ञान में लाना

चाहता हूं, पहला दिल्ली के अंदर जो न्यूनतम वेतन अधिनियम है, ये दिल्ली के अंदर कोई भी मजदूर चाहे वो किसी भी संस्थान में काम करता हो, कॉट्रैक्ट पर काम करता हो या बिना कॉट्रैक्ट के काम करता हो, इस एक्ट के तहत ये जो संशोधित बिल हमारे सदन के सामने है, ये पास होने के बाद उन सब के ऊपर ये लागू होता है और सबकी जिंदगी में एक बेहतरी का रास्ता निकलेगा, दूसरा जो वर्किंग जर्नलिस्ट का बिल है, ये जो बिल है ये जो हमारे अखबारों के पत्रकार है उनके लिए ये बिल बनाया गया, मजीठिया वेज बोर्ड भी उसी के लिए गठित किया गया था तो अभी ये जो संशोधन हो रहा है, ये वर्किंग जर्नलिस्ट जो वैलफेयर बिल है वो हमारे जो अखबारों के पत्रकार और कर्मचारी हैं, समाचार पत्रों के उनके ऊपर ये लागू होता है, आज सदन के अंदर भी और जिस तरह से दिल्ली के अंदर इलैक्ट्रोनिक मीडिया का इस तरह से लगातार दायरा बढ़ रहा है, उसकी जरूरत बढ़ रही है, निश्चित रूप से उन सारे लोगों को भी उन्हीं तकलीफों का, उन्हीं दुख–दर्द का सामना करना पड़ता है जो समाचार पत्रों के पत्रकार और कर्मचारियों को करना पड़ता है। लेकिन ये जो अभी कानून है, जो पहले से चल रहा है जिसमें संशोधन हम लेकर आ रहे हैं उसमें अभी वो डायरेक्ट शामिल नहीं होते हैं लेकिन निश्चित रूप से उनका दर्द और उनका जो दुख है वो हमारे लिए प्राथमिकता पर है। आगामी दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के साथ और तमाम जो कानूनविद हैं उनके साथ जरूर हम लोग इस पर चर्चा करें कि इनके लिए भी हम क्या प्रभावी कदम उठा सकते हैं इस दिशा में जरूर हम लोग प्रयास करेंगे की उसको भी कैसे एक कानून की शक्ल में या कोई रास्ता निकाला जाए। एक प्रश्न माननीय

प्रतिपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता जी ने किया था जिसका जिक्र अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, दिल्ली के अंदर जो निर्माण मजदूर है, कंस्ट्रैक्शन वर्कर है, उनकी सबसे ज्यादा हालत खराब है, और इसी को ध्यान में रखते हुए पहले से ही केन्द्रीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रावधान बनाया था कि जहां भी वो काम करते हैं, वहां से सेस इकट्ठा किया जाये और उस सेस के पैसे से इन कन्स्ट्रक्शन वर्करों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाये। उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और दिल्ली के अन्दर जो सेस का फण्ड है। एक तो दिल्ली सरकार के पास जो कन्स्ट्रक्शन लेबर बोर्ड, है, उसके पास फण्ड है। सोलह सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का वो फण्ड है जो पिछले दिनों लगातार पैसे तो जमा हुए बट खर्च नहीं हुए। दूसरी तरफ हमने जब ये देखा कि जो पैसे थे अभी तक अलग–अलग संस्थानों पास, चाहे सरकारी संस्थान है या प्राईवेट है। जो कम्पनियों के पास जमा है मजदूरों की तरफ से, उसमें से जो पैसा आना चाहिए वो कटकर के जमा है। एम.सी.डी. के पास है, डी.डी.ए. के पास है, पी.डब्ल्यू.डी. के पास है, डी.एम.आर.सी. के पास है। वो पैसा भी कन्स्ट्रक्शन बोर्ड में अभी नहीं आया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार इस पर हम लोगों की चर्चा हुई थी और हम लोगों ने अभी श्रम मंत्रालय ने तेजी के साथ सारे लोगों से जो मजदूरों का पैसा है उसको इकट्ठा करने का काम शुरू किया है और हमें उम्मीद है कि जो सोलह सौ करोड़ रुपया है, वो और बढ़ेगा। साथ–साथ अभी नया कन्स्ट्रक्शन बोर्ड का गठन हुआ है। पिछले 10 अक्तूबर, 2015 को उसकी हमने पहली बैठक ली है और उस बैठक में हमने जो मजदूरों को पहले से

सुविधायें मिलती थीं, उसमें बड़े पैमाने पर बढ़ोत्तरी की है और साथ–साथ ये फैसला लिया है कन्स्ट्रक्शन बोर्ड ने हर लेबर चौक पर जहां मजदूर सुबह आकर के बैठता है उसके लिए पानी की व्यवस्था, उसके लिए वहां पर टॉयलेट की व्यवस्था दिल्ली सरकार कन्स्ट्रक्शन बोर्ड की तरफ से हम लोग करने की गारण्टी करने जा रहे हैं। दिल्ली के अन्दर जो अलग–अलग जगहों से आकर मजदूर रहते हैं उनके लिए दिल्ली के अलग–अलग हिस्सों में हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, जहां कन्स्ट्रक्शन लेबर आकर के रहेगा। उसे झुग्गी–झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे मान–सम्मान के साथ खाने की व्यवस्था वहां पर और उसको जो रहने की व्यवस्था दिल्ली सरकार के कन्स्ट्रक्शन बोर्ड की तरफ से की जायेगी। दिल्ली के अलग–अलग हिस्सों में खासतौर से जहां पर कन्स्ट्रक्शन वर्कर रहता है, वहां पर उनके लिए डेडिकेटेड स्कूल की व्यवस्था, वहां पर हॉस्पिटल की व्यवस्था और जो कन्स्ट्रक्शन साईट है, वहां पर कन्टेनर में जो है बड़े–बड़े इस तरह के चालित विद्यालय और हॉस्पिटल की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। जहां पर इस तरह के मजदूर रहते है, वहां पर जो आम आदमी कैन्टीन का कॉन्सेप्ट सरकार लेकर आ रही है। उन इलाकों में आम आदमी कैन्टीन का भी कन्स्ट्रक्शन बोर्ड की तरफ से हम निर्माण करेंगे। जिससे कि वो मजदूर एक सम्मानजनक जिन्दगी जी सके। ये भी एक प्रस्ताव कन्स्ट्रक्शन बोर्ड में आया है कि दिल्ली के अन्दर हम एक ऐसा प्रतिभा इन्स्टीट्यूट खड़ा करना चाहते हैं कि जो पूरे दिल्ली के अन्दर जो कन्स्ट्रक्शन लेबर के बेटे–बेटियां पढ़ते हें उनका एक टैलेन्ट एक्जाम करा करके और चालीस, एक बैच में चालीस विद्यार्थियों को उनको सारी सुविधा सरकार के कन्स्ट्रक्शन बोर्ड की तरफ से दी

जाएगी। उनके हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी जिससे उनकी प्रतिभा अगर है तो वो भी इस हिन्दुस्तान के अन्दर जो भी प्रतिभाशाली लोग इन्जीनियर, डॉक्टर, मेडिकल के अन्दर हो चाहे राजनेता हो जो भी प्रतिभाशाली प्रतिभाएं हैं, उनको हम विकसित कर सकें और देश के संचालन में उनकी भूमिका हो सके। तो इस तरह के भी प्रस्ताव कन्स्ट्रक्शन बोर्ड की तरफ से पारित हो चुके हैं और उसको इम्प्लीमेन्ट करने के लिए हम लोग जल्दी ही प्रभावी कदम उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज जो दोनों बिल आयें, इन बिल में जो थोड़े–थोड़े संशोधन आये हैं, वो काफी जरूरी हैं और मैं ये चाहता हूं कि कल इसमें संशोधन के साथ इस बिल को सदन के सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा और विस्तृत चर्चा करने के बाद जिससे कि कल वो सारी चीजों को समाहित करके और फिर उस बिल को पास किया जा सके।

v/;{k egkn; % धन्यवाद। एक तो कल के कार्यक्रम के कार्ड सब माननीय विधायकों को मिल गये हैं न? लिखा हुआ है उसमें सोमनाथ जी। आप तो डिनर करते कहां हैं? आप तो डिनर करते ही नहीं। चलिए। एक जरूरी सूचना और। भावना गौड़ जी कहां गयीं? ये भावना गौड़ जी की ओर से सभी माननीय सदस्यों को, यहां जो विधान सभा के अधिकारी बैठे हैं, मीडिया बन्धु हैं। मेम्बरर्स लॉज–2 में केक काटने के लिए निमन्त्रण दिया है। उनका आज बर्थ डे है। लेकिन साथ में भोजन उन्होंने कह दिया कि आप दे रहे हैं कल भोजन वहां कर लें। अभी कर लेंगे। सभी सदस्य इनवाइट है हॉ, बहुत

प्यार भरे माहौल में आज सदन चला। मेरा ख्याल है आज का दिन सबके लिए बहुत बढ़िया रहा। मैं बधाई देता हूं विपक्ष को भी, सभी साथियों को भी और अब सदन की कार्यवाही वीरवार दिनांक 3 दिसम्बर, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

¼lnu dh dk;Zokgh fnukd 3 fnlEcj] 2015 dk vijkgu 2-00 ct: rd d: fy, LFkfxr dh x;h½

विषय सूची

l=&2 Hkkx ¼1½ c/kokj] 02 fnlEcj] 2015@11 vxgk;.k] 1937 ¼'kd½ vad&23

Øl-	fo"k;	i"B l-
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	3-40
3.	विधेषाधिकार हनन व अवमानना सूचनाएं (नियम–66)	40-51
4.	समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	51
5.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	51
6.	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (नियम–54)	52-69
	(1) दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा भर्ती की धीमी प्रक्रिया के संबंध में	
	(2) थाना स्तरीय समितियों का गठन न होने के संबंध में	
7.	पर्यटन एवं जल मंत्री का वक्तव्य नियम–270(1)	69-76
8.	स्वास्थ्य मंत्री द्वारा संकल्प प्रस्तुतीकरण एवं पारण	76-77
9.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	78-82
10.	विधेयकों पर चर्चा	82-137
	1) मुख्यमंत्री का वक्तव्य	
	2) श्रम मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर	